खण्ड-456, अंक-6
गुरुवार, 17 अग्रहायण, शक संवत् 1927
(8 दिसम्बर, 2005 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(चौदहवीं विधान सभा, तृतीय सत्र 2005)

खण्ड 456 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

2005

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये |

विषय -सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	छ - ट
उपचुनाव में जनपद सन्त रविदास नगर के औराई से नवनिर्वाचित विधान सभा के सदस्य श्री रंगनाथ मिश्र द्वारा शपथ ग्रहण.....	1
श्री कृष्णानन्द राय की हत्या विषयक नियम 311 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर पहले चर्चा कराने की मांग .....(जारी).....	1-2
प्रश्नोत्तर.....	3-50
श्री कृष्णानन्द राय की हत्या विषयक नियम 311 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर चर्चा कराने की मांग	50-51
वित्तीय वर्ष 2005-2006 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों की मांगों के विवरण का प्रस्तुतिकरण ..... (प्रस्तुत किया गया).....	51
श्रीमती सुमन पाण्डेय गोरखपुर के परिवाद संख्या 4286-2002 (गोरखपुर) में लोकायुक्त के प्रतिवेदन तथा विशेष प्रतिवेदन के परिपेक्ष्य में शासन का स्पष्टीकरण ज्ञापन ..... (सदन के पटल पर रखा गया).....	51
यूपी0 प्रोजेक्टस कारपोरेशन लि0 के वार्षिक प्रतिवेदन 2002-2003..... (सदन के पटल पर रखा गया).....	51
उ0 प्र0 उपभोक्ता संरक्षण (आठवां संशोधन) नियमावली, 2005..... (सदन के पटल पर रखी गयी).....	52
कार्मिक अनुभाग-2 की अधिसूचना ..... (सदन के पटल पर रखी गयी).....	52
उत्तर प्रदेश कृषि उधार (संशोधन) विधेयक, 2005 ..... (विधान परिषद् से वापसी की सूचना).....	52
उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) विधेयक, 2005 ..... (विधान परिषद् से वापसी की सूचना).....	52
उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2005 ..... (विधान परिषद् से वापसी की सूचना).....	52

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2005 ..... (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना).....	53
उत्तर प्रदेश कृषि उधार (संशोधन) विधेयक, 2005 ..... (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना).....	53
उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) विधेयक, 2005 ..... (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना).....	53-54
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषय के प्रस्ताव ..... (स्वीकृत).....	54-56
प्रदेश के किसानों को डी0ए0पी0 उर्वरक खाद की आपूर्ति न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री प्रमोद कुमार, श्री राम नरेश यादव, श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह 'मुन्ना', श्री प्रदीप माथुर तथा श्री राम इकबाल सिह द्वारा नियम 56 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर कृषि मंत्री के वक्तव्य का स्थगन.....	56
डाक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि संस्थान, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2005 ..... (पुर:स्थापित).....	57
उत्तर प्रदेश ग्रामीण एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई विधेयक 2005 ..... (पुर:स्थापित)	57
सदन में शान्ति बनाये रखने तथा मुख्य मंत्री का विचार सुनने हेतु श्री अध्यक्ष का नेता विरोधी दल से अनुरोध	57-59
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं	59-60
फैजाबाद के विकास खण्ड आमानीगंज स्थित राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के भवन का निर्माण तथा उसको उच्चीकृत करके इण्टरमीडिएट की मान्यता देने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	60
जनपद एटा के नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल की सुचारू व्यवस्था कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	60-61
आजमगढ़ के मेंहनगर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सभा देवकली रामगढ़ में मगई नदी पर पुल बनवाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	61

विषय	पृष्ठ-संख्या
मिर्जापुर के मंझवा क्षेत्रान्तर्गत कछवा में राजकीय कन्या बालिका विद्यालय का निर्माण कार्य पूरा कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	61-62
जनपद चित्रकूट में बरदहा नदी में बनाये गये चैकडैम तथा रपटा के घटिया निर्माण की टी0ए0सी0 से जाँच कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	62
अलीगढ़ के विकास खण्ड लोधा अन्तर्गत मडराक माइनर पर पुल बनवाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	62
प्रदेश के स्कूल-कालेजों में खेलों को बढ़ावा योजना के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	63
पीलीभीत के पूरनपुर में स्वीकृत 132 के0वी0ए0 विद्युत सब-स्टेशन के रुके निर्माण को पूरा कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	63
जनपद-बुलन्दशहर में राजकीय कृषि फार्म शिकारपुर को पूरा कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	64
लखनऊ के मलिहाबाद क्षेत्रान्तर्गत रानीखेड़ा सड़क का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	64
जनपद सोनभद्र को सूखाग्रस्त घोषित करते हुए किसानों को उचित मुआवजा देने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	64-65
जनपद गौतमबुद्ध नगर अन्तर्गत दादरी रेलवे फाटक पर ओवर ब्रिज बनवाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	65
आजमगढ़ के फूलपुर क्षेत्रान्तर्गत सभी क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	65-66
जौनपुर के बयालसी क्षेत्रान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में नये राशन कार्ड बनवाने की कार्यवाही शुरू करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	66
अलीगढ़ के इगलास क्षेत्रान्तर्गत मुन्सिफ न्यायालय हेतु दो मुन्सिफ मजिस्ट्रेट एवं स्टाफ के पदों का सृजन करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	66
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	66-67

विषय	पृष्ठ-संख्या
नियम 311की नियम 56 तथा 52 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य स्थगन की सूचनाएँ ...	67
भारत के स्वतन्त्रता आन्दोलन के इतिहास में ' चौकीदार चपाती ' के अप्रतिम संघर्ष के इतिहास को अंकित किये जाने सम्बन्धी नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्ताव पर चर्चा (व्यपगत)	67-68
उत्तर प्रदेश राज्य में कन्या भ्रूण हत्या पर अविलम्ब प्रभावी रोक लगाये जाने सम्बन्धी नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्ताव पर चर्चा (व्यपगत)	68
प्रदेश में पुलिस कर्मियों एवं वैतनिक होमगार्ड के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भांति अवैतनिक होमगार्ड के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष किये जाने सम्बन्धी नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्ताव पर चर्चा (जारी)	68
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएँ	69-70
जनपद व तहसील सदर, लखनऊ स्थित अनुसूचित जातियों के किसानों की भूमि भू-माफियाओं की सांठ-गांठ से बंजर भूमि में दर्ज कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कौशल किशोर द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का वक्तव्य	70-71
जनपद मुजफ्फरनगर के तहसील कैराना के ग्राम ईसापुर खुरगान की लगभग दो हजार बीघा सरकारी जमीन पर भू-माफियाओं द्वारा अनाधिकृत कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में श्री हुकुम सिंह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री के वक्तव्य का स्थगन	72
जनपद लखनऊ के थाना माल में तैनात पुलिस कर्मियों/थानाध्यक्ष द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में श्री रणवीर राना द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	72
विधान सभा क्षेत्रों में क्षेत्रीय विकास निधि राजकीय जिला चिकित्सालय, मेडिकल कालेज शासन से अनुदानित महाविद्यालयों को धन उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	73-74
जनपद लखीमपुर में इण्डियन आयल के अधिकारी श्री मंजूनाथ की हत्या के सम्बन्ध में श्री प्रमोद कुमार द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	74-75

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद बस्ती के बहादुर ब्लाक देवराव में कुआनों नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम करन आर्य द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	75-76
जनपद आजमगढ़ के बाढ़ पीड़ित गाँवों में राहत सामग्री एवं मिट्टी का तेल बांटने में धांधली किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री आलम बदी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का वक्तव्य	76-77
जनपद चंदौली के मिल्कीपुर पम्प कैनाल को बिजली आपूर्ति न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री राम किशुन द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	77
जनपद फतेहपुर के ग्राम भाऊपुर में पूर्वांचल विकास निधि राज्यांश के अन्तर्गत भदोकीपुर वाया कानपुर मार्ग को डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अमरजीत सिंह 'जनसेवक' द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	78
प्रदेश के गन्ना किसानों को चीनी के दाम को दृष्टिगत रखते हुए चालू पेराई सत्र में गन्ना मूल्य 140 रुपये प्रति क्विंटल किये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	78-79
जनपद गाजियाबाद के सिम्भावली शुगर मिल द्वारा प्रदूषित गन्दे पानी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री मदन चौहान द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर पर्यावरण मंत्री का केवल वक्तव्य	79-80
जनपद आगरा शहर में विभिन्न सड़कों एवं प्रमुख स्थानों पर किये गये अतिक्रमण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री जगन प्रसाद गर्ग द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य	80-81
जनपद गाजीपुर में सैकड़ों विद्यालयों के रजिस्ट्रेशन वर्ष 2004-2005 में कक्षा 9 व 11 के लिये रजिस्ट्रेशन फीस लेट जमा होने के कारण छात्र-छात्राओं को परीक्षा से वंचित किये जाने के सम्बन्ध में श्री बीजू पटनायक द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	81-82
जनपद सोनभद्र के मैदानी क्षेत्र में सिंचाई हेतु घघरौल बांध से घाघर मुख्य नहर की सफाई न किये जाने के सम्बन्ध में श्री परमेश्वर दयाल द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य	82-83

विषय	पृष्ठ-संख्या
प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में हजारों रिक्त पदों पर बी0टी0सी0 प्रशिक्षित छात्रों को नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर बेसिक शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य	83-84
महिला विद्यालय इण्टर कालेज, अमीनाबाद लखनऊ के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी स्व0 सुन्दर लाल की पत्नी को देय, अवशेष धनराशि एवं पारिवारिक पेंशन जारी कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अलगू प्रसाद चौहान द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	84-85
जनपद गौतमबुद्ध नगर के नोयडा में प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा आबादी की भूमि छोड़कर किसानों की भूमि अधिग्रहण करने के सम्बन्ध में श्री मदन चौहान द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	85-86
नई चीनी उद्योग प्रोत्साहन नीति, 2004 में संशोधन करते हुए 500 करोड़ एवं 300 करोड़ रुपये के निवेश के प्रतिबन्ध को समाप्त करके नई चीनी मिल को विशेष प्रोत्साहन/छूट दिये जाने विषयक दिनांक 24 नवम्बर, 2005 की कार्य सूची में नत्थी 'क ' के तारांकित प्रश्न संख्या -2 के सम्बन्ध में श्री हुकुम सिंह द्वारा दी गयी सूचना पर नियम 49 के अन्तर्गत आधे घण्टे की चर्चा का स्थगन	86
नत्थी	87-91

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

गुरूवार दिनांक 8 दिसम्बर, 2005

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य - 293

1-अकीलुर्रहमान खां, श्री	मुरादाबाद
2-अखिलेश कुमार सिंह, श्री	रायबरेली
3-अजय कुमार, डा0	बागपत
4-अजीम भाई, श्री	फिरोजाबाद
5-अताउल रहमान, श्री	बरेली
6-अनवर महमूद, श्री	बलरामपुर
7-अनार सिंह दिवाकर, श्री	एटा
8-अनिल कुमार, श्री	बुलन्दशहर
9-अनिल कुमार पाण्डेय, श्री	सुल्तानपुर
10-अनिल कुमार मौर्य, श्री	मिर्जापुर
11-अनिल कुमार वर्मा, श्री	सीतापुर
12-अनिल कुमार वर्मा, श्री	हरदोई
13-अनिल कुमार सिंह यादव, श्री	एटा
14-अनिल सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
15-अनीस अहमद खां उर्फ फूलबाबू, श्री	पीलीभीत
16-अनुग्रह नारायण उर्फ खोखा सिंह, श्री	देवरिया
17-अनूप कुमार पाण्डेय, श्री	बस्ती
18-अन्सार अहमद, श्री	इलाहाबाद
19-अब्दुल मन्नान, श्री	हरदोई
20-अमरजीत सिंह जनसेवक, श्री	फतेहपुर
21-अमर सिंह परमार, श्री	आगरा
22-अम्बिका चौधरी, श्री	बलिया
23-अम्बेश कुमारी, श्रीमती	महोबा
24-अयोध्या प्रसाद पाल, श्री	फतेहपुर
25-अरविन्द कुमार सिंह उर्फ गोप, श्री	बाराबंकी
26-अरुणवीर सिंह, श्री	बहराइच
27-अलगू प्रसाद चौहान, श्री	सन्त कबीरनगर
28-अवधेश कुमार वर्मा, श्री	शाहजहांपुर
29-अवधेश प्रसाद, श्री	फैजाबाद
30-अशोक बाजपेयी, डा0	हरदोई
31-अशोक सिंह चौहान, श्री	मैनपुरी
32-आनन्द प्रकाश लोधी, श्री	फतेहपुर
33-आर0एस0 कुशवाहा, श्री	खीरी
34-आलोक कुमार शाक्य, श्री	मैनपुरी
35-आशा किशोर, श्रीमती	रायबरेली
36-आशीष यादव, श्री	बदायूं
37-आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री	बदायूं
38-इकबाल महमूद, श्री	मुरादाबाद
39-इन्द्रजीत सरोज, श्री	कौशाम्बी
40-इन्द्रदेव सिंह, डा0	बिजनौर
41-उदयराज यादव, श्री	उन्नाव
42-उमा किरन, श्रीमती	मुजफ्फरनगर
43-उमा शंकर कुशवाहा, श्री	गाजीपुर
44-ओइमवेश, स्वामी	बिजनौर
45-ओमकार सिंह यादव, श्री	बदायूं
46-ओम प्रकाश (ओ0 पी0 सिंह), श्री	सुल्तानपुर
47-ओम प्रकाश पाण्डेय, श्री	सुल्तानपुर
48-ओम प्रकाश सिंह, श्री	मिर्जापुर
49-कपिल देव यादव, श्री	मऊ
50-कमलेश कुमार पाठक, श्री	कानपुर देहात
51-कमाल यूसुफ मलिक, श्री	सिद्धार्थनगर
52-कल्यान सिंह दोहरे, श्री	कन्नौज
53-कामेश्वर उपाध्याय, श्री	देवरिया
54-कालीचरन राजभर, श्री	गाजीपुर
55-किरण पाल कश्यप, श्री	मुजफ्फरनगर

56-किरन पाल सिंह, श्री — बुलन्दशहर
57-कुतुबुद्दीन अन्सारी, श्री — बिजनौर
58-कुलदीप सिंह सेंगर, श्री — उन्नाव
59-कृष्ण कुमार उर्फ सतीश वर्मा, श्री — हरदोई
60-कृष्णा पासवान, श्रीमती — फतेहपुर
61-केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री — इलाहाबाद
62-कैलाश, श्री — गाजीपुर
63-कैलाश चौरसिया, श्री — मिर्जापुर
64-कोविद कुमार, श्री — शाहजहांपुर
65-कौकब हमीद खां, श्री — बागपत
66-कौशल किशोर, श्री — खीरी
67-कौशल किशोर, श्री — लखनऊ
68-गंगा प्रसाद पुष्कर, श्री — आगरा
69-गंगा बक्श सिंह, डा0 — उन्नाव
70-गंगा भक्त सिंह, श्री — हरदोई
71-गीता सिंह, श्रीमती — बलरामपुर
72-गुलाब देवी, श्रीमती — मुरादाबाद
73-घूरा राम, श्री — बलिया
74-चन्द्र किशोर, श्री — महराजगंज
75-चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री — श्रावस्ती
76-चितरंजन स्वरूप, श्री — मुजफ्फरनगर
77-छेदी राम, श्री — गाजीपुर
78-छोटे लाल यादव, श्री — बाराबंकी
79-जंग बहादुर, श्री — सुल्तानपुर
80-जगदम्बिका पाल, श्री — बस्ती
81-जगदीश नारायण (राय), श्री — जौनपुर
82-जगदीश मिश्र बाल्टी बाबा, श्री — कुशीनगर
83-जगराम सिंह, श्री — मुरादाबाद
84-जटाशंकर सिंह, श्री — बहराइच
85-जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री — फर्रुखाबाद
86-जय प्रकाश यादव, श्री — गोरखपुर
87-जयराम विमल, श्री — अम्बेडकरनगर
88-जयवीर सिंह, श्री — मैनपुरी
89-जयवीर सिंह, ठाकुर — अलीगढ़
90-जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ पप्पू भैया, श्री — गोरखपुर
91-जियाउद्दीन रिजवी, श्री — बलिया
92-ज्ञानेन्द्र सिंह, श्री — महराजगंज
93-तेजपाल सिंह, श्री — मथुरा
94-ददू प्रसाद, श्री — चित्रकूट
95-दयाराम, श्री — कौशाम्बी
96-दिनेश सिंह, श्री — सिद्धार्थनगर
97-दिलीप कुमार वर्मा, श्री — बहराइच
98-दीनानाथ कुशवाहा, श्री — देवरिया
99-दीनानाथ भाष्कर, श्री — सन्त रविदास नगर भदोही
100-दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री — देवरिया
101-दुर्गा प्रसाद यादव, श्री — आजमगढ़
102-देवकी नन्दन, श्री — हाथरस
103-देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री — रायबरेली
104-धर्मपाल सिंह, श्री — गाजियाबाद
105-धर्मपाल सिंह, श्री — बरेली
106-धर्मराज निषाद, श्री — अम्बेडकरनगर
107-धर्म सिंह सैनी, डा0 — सहारनपुर
108-धर्मेन्द्र कुमार कश्यप, श्री — बरेली
109-घू-राम लोधी, चौधरी — हमीरपुर
110-नरेन्द्र कुमार, श्री — गौतमबुद्ध नगर
111-नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, डा0 — इलाहाबाद
112-नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री — सीतापुर
113-नरेन्द्र सिंह यादव, श्री — फर्रुखाबाद
114-नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री — हरदोई
115-नवाब सिंह नागर, श्री — गौतमबुद्ध नगर
116-नारद राय, श्री — बलिया
117-परमेश्वर दयाल, श्री — सोनभद्र
118-पी0के0 राय, डा0 — कुशीनगर
119-पीटर फैन्थम, श्री — नाम-निर्देशित
120-पीतम राम, श्री — पीलीभीत
121-पूर्णमासी देहाती, श्री — कुशीनगर
122-प्रताप चौधरी, श्री — हाथरस
123-प्रदीप जैन " आदित्य ", श्री — झांसी
124-प्रदीप माथुर, श्री — मथुरा
125-प्रभू दयाल, श्री — मेरठ
126-प्रभू नारायण, श्री — चन्दौली
127-प्रमोद कुमार, श्री — प्रतापगढ़
128-प्रमोद गौड़, श्री — अलीगढ़

129-प्रागी लाल अहिरवार, श्री झांसी
130-प्रेमलता कटियार, श्रीमती कानपुर नगर
131-प्रेम सिंह, श्री मथुरा
132- बंशीधर राज, श्री खीरी
133-बलराम यादव, श्री आजमगढ़
134-बादशाह सिंह, श्री हमीरपुर
135-बाबूराम, एम0काम0, श्री जालौन
136-बाबू लाल, श्री गोण्डा
137-बाबू लाल कुशवाहा, श्री बांदा
138-बीजू पटनायक, श्री गाजीपुर
139-बृजेन्द्र कुमार व्यास (डमडम महाराज), श्री झांसी
140-बृजेन्द्र प्रताप सिंह कुंवर, एडवोकेट जालौन
141-बैजनाथ पासवान, श्री मऊ
142-ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी, श्री देवरिया
143-भगवत सरन गंगवार, श्री बरेली
144-भगेलू राम, श्री सुल्तानपुर
145-भरत सिंह, श्री बलिया
146-भारतेन्द्र सिंह, कुंवर बिजनौर
147-भूपेन्द्र सिंह, श्री बदायूं
148-मदन गोपाल वर्मा, श्री फतेहपुर
149-मदन चौहान, श्री गाजियाबाद
150-मदन भैया, श्री बागपत
151-मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री रायबरेली
152-मलिक मसूद, श्री आजमगढ़
153-मशहूद खां, श्री बलरामपुर
154-मस्तराम चौ0, एडवोकेट उन्नाव
155-महबूब अली, श्री ज्योतिबाफूले नगर
156-महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा आगरा
157-महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री इटावा
158-महेश त्रिवेदी, श्री कानपुर देहात
159-महेश नारायण सिंह, श्री इलाहाबाद
160-माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
161-माया प्रसाद, श्रीमती खीरी
162-मिथिलेश कुमार, श्री शाहजहांपुर
163-मुकुट बिहारी वर्मा, श्री बहराइच
164-मुकुल उपाध्याय, श्री अलीगढ़
165-मुलायम सिंह यादव, श्री बदायूं
166-मुंशी लाल गौतम, श्री बुलन्दशहर
167-मूल चन्द चौहान, ठाकुर बिजनौर
168-मोख्तार अंसारी, श्री मऊ
169-मोहन देव शंखवार, श्री फिरोजाबाद
170-मोहम्मद आकिल उर्फ मुन्ना मियां, श्री मुरादाबाद
171-मोहम्मद आजम खा., श्री रामपुर
172-मोहम्मद इरशाद खां, श्री लखनऊ
173-मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
174-मौहम्मद शफीर, श्री फतेहपुर
175-यशपाल चौधरी, श्री खीरी
176-यशवन्त सिंह, डा0 मुजफ्फर नगर
177-योगेन्द्र कुमार, श्री बदायूं
178-योगेश प्रताप सिंह उर्फ योगेश भइया, श्री गोण्डा
179-रंगनाथ मिश्रा, श्री सन्त रविदास नगर भदोही
180-रणवीर राणा, श्री मेरठ
181-रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, कुंवर कुशीनगर
182-रतन लाल अहिरवार, श्री झांसी
183-रमेश चन्द्र बिन्द, डा0 मिर्जापुर
184-राकेश पाण्डेय, श्री अम्बेडकर नगर
185-राकेश सचान, श्री कानपुर देहात
186-राजनाथ यादव, श्री वाराणसी
187-राजपाल त्यागी, श्री गाजियाबाद
188-राजपाल सिंह बालियान, श्री मुजफ्फरनगर
189-राजपाल सिंह सैनी, श्री मुजफ्फरनगर
190-राजरानी रावत, श्रीमती बाराबंकी
191-राजलक्ष्मी वर्मा, श्रीमती बाराबंकी
192-राजीव कुमार सिंह, श्री बाराबंकी
193-राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री प्रतापगढ़
194-राजेन्द्र प्रसाद यादव, श्री लखनऊ
195-राजेन्द्र सिंह राणा, श्री सहारनपुर
196-राजेश कुमार, श्री खीरी
197-राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0 गोरखपुर

198-राधेश्याम जायसवाल, श्री सीतापुर
199-राधेश्याम सिंह, श्री कुशीनगर
200-राबिया कलाम, श्रीमती वाराणसी
201-राम अचल राजभर, श्री अम्बेडकरनगर
202-राम करन आर्य, श्री बस्ती
203-राम किशुन, श्री चन्दौली
204-राम कृपाल, श्री इलाहाबाद
205-राम कृष्ण, श्री सीतापुर
206-राम गोविन्द चौधरी, श्री बलिया
207-राम चन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
208-रामजी शुक्ला, श्री औरैया
209-राम नरेश यादव, श्री आजमगढ़
210-रामपाल यादव, श्री सीतापुर
211-राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री कन्नौज
212-रामबाबू हरित, डा0 आगरा
213-राम बिशुन आजाद, श्री गोण्डा
214-राम मगन, श्री बाराबंकी
215-राम लाल अकेला, श्री रायबरेली
216-रामवीर सिंह, श्री फिरोजाबाद
217-राम सेवक, श्री सुल्तानपुर
218-राम स्वरूप सिंह, श्री बिजनौर
219-रिजवान अहमद खां,श्री ज्योतिबाफूले नगर
220-रियाज अहमद, श्री पीलीभीत
221-लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0 मेरठ
222-लल्लू सिंह, श्री फैजाबाद
223-लालजी टण्डन, श्री लखनऊ
224-लाल बहादुर यादव, श्री जौनपुर
225-वकार अहमद शाह, डा0 बहराइच
226-वसीम अहमद, श्री आजमगढ़
227-विजमा यादव, श्रीमती इलाहाबाद
228-विजय कुमार मिश्रा, श्री सन्त रविदासनगर भदोही
229-विजय बहादुर पाल, श्री कन्नौज
230-विजय सिंह, श्री सोनभद्र
231-विद्या चौधरी, श्रीमती आजमगढ़
232-विद्या सागर गुप्ता, श्री लखनऊ
233-विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह, श्री गोण्डा
234-विनोद कुमार यादव उर्फ कल्लन, श्री इटावा
235-विनोद कुमार सिंह, [illegible] जौनपुर
236-विनोद तिवारी, डा0 पीलीभीत
237-विमला राकेश, श्रीमती सहारनपुर
238-विवेक बंसल, श्री अलीगढ़
239-विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री बांदा
240-विश्राम सिंह यादव, श्री हरदोई
241-वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना", श्री शाहजहांपुर
242-वीरेन्द्र सिंह, श्री वाराणसी
243-वीरेश्वर, श्री अलीगढ़
244-शचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री सन्त रविदासनगर भदोही
245-शब्बीर, श्री बहराइच
246-शरदवीर सिंह, श्री शाहजहांपुर
247-शहजिल इस्लाम, श्री बरेली
248-शाकिर अली, श्री देवरिया
249-शारदा देवी, श्रीमती गोरखपुर
250-शारदा नन्द अंचल, श्री बलिया
251-शाहिद मंजूर, श्री मेरठ
252-शिव चरन प्रजापति, श्री हमीरपुर
253-शिव प्रताव यादव, डा0 बलरामपुर
254-शिवाकान्त ओझा, प्रोफेसर प्रतापगढ़
255-शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री महाराजगंज
256-शिशुपाल सिंह यादव, श्री एटा
257-श्यामदेव राय, चौधरी, वाराणसी
258-श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
259-श्याम लाल रावत, श्री सीतापुर
260-श्याम सूरत उपाध्याय, श्री इलाहाबाद
261-श्रद्धा यादव, श्रीमती जौनपुर
262-श्रीराम भारती, श्री मिर्जापुर
263-संजय गर्ग, श्री सहारनपुर
264-संजीव दरियाबादी, श्री कानपुर नगर
265-संदीप अग्रवाल, श्री मुरादाबाद
266-सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
267-सत्तो देवी, श्रीमती सहारनपुर
268-सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री मेरठ
269-सदल प्रसाद, श्री गोरखपुर
270-सन्ध्या कठेरिया, कु0 मैनपुरी

271-समरपाल सिंह, श्री	बागपत	283-सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री	लखनऊ
272-सलिल विश्नोई, श्री	कानपुर नगर	284-सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री	लखनऊ
273-सिद्ध गोपाल साहू, श्री	महोबा	285-सुल्तान बेग, श्री	बरेली
274-सियाराम सागर, डा0	बरेली	286-सुशील चौधरी, डा0	सहारनपुर
275-सुखदेव राजभर, श्री	आजमगढ़	287-सोमारू राम सरोज, श्री	जौनपुर
276-सुखदेवी वर्मा, श्रीमती	इटावा	288-स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री	रायबरेली
277-सुन्दर लाल, श्री	उन्नाव	289-हरि प्रताप सिंह, श्री	प्रतापगढ़
278-सुन्दर सिंह, श्री	बुलन्दशहर	290-हरि शंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर
279-सुरेन्द्र कुमार मुन्नी, श्री	गाजियाबाद	291-हीरा लाल गौतम, श्री	आजमगढ़
280-सुरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	जौनपुर	292-हुकुम सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
281-सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री	वाराणसी	293-होशियार सिंह, श्री	बुलन्दशहर
282-सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर		

नोट :--- सिंचाई मंत्री, श्री मुन्ना सिंह चौहान
ओद्यौगिक विकास मंत्री, श्री ख्वाजा हलीम
बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री, श्री अजीत कुमार राजू भी सदन में उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उप चुनाव में जनपद सन्त रविदास नगर के औराई से नव निर्वाचित विधान सभा के सदस्य श्री रंगनाथ मिश्र द्वारा शपथ ग्रहण

श्री अध्यक्ष-

पहले शपथ ग्रहण हो जाय।

(विधान सभा क्षेत्र सं0-231 औराई, जनपद सन्त रविदासनगर (भदोही) से उपचुनाव में निर्वाचित विधान सभा के सदस्य श्री रंगनाथ मिश्र को श्री अध्यक्ष द्वारा शपथ ग्रहण करायी गयी)

(श्री रंगनाथ मिश्र ने शपथ ग्रहण की)

(बहुजन समाज पार्टी के सदस्यों के द्वारा मेजें थपथपाई गई)

श्री कृष्णानन्द राय हत्या विषयक नियम 311 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर पहले चर्चा कराने की मांग

नेता विरोधी दल (श्री लाल जी टण्डन)-

अध्यक्ष महोदय, मेरी नियम 311 में नोटिस है। हमारे विधायक कृष्णानन्द राय की हत्या हुई है। उसके बारे में मैं चाहूँगा कि सारे कार्य रोककर उस पर चर्चा कराई जाय।

श्री अध्यक्ष-

इस पर नेता बहुजन समाज पार्टी, नेता कांग्रेस व अन्य कई सदस्यों ने सूचनाएं दी है किसी ने नियम 311 में दी है किसी ने 56 में दी है मैंने इन सबको पुनः परिवर्तित करते हुए नियम 52 के अन्तर्गत दो घण्टे की चर्चा स्वीकार कर ली है। इसमें कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में तय हो जायेगा कि कब चर्चा हो।

श्री लाल जी टण्डन-

मैं सारे कार्य रोककर इस पर चर्चा कराना चाहता हूँ। (इसी मध्य भारतीय जनता पार्टी के अनेक सदस्य वेल में आ गए व विधायक के हत्यारों को फांसी दो-फांसी दो के नारे लगाने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

संसदीय कार्य नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

माफिया किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी दल का हो, वह माफिया है। अपराधी प्रवृत्ति के माफियाओं की मदद में नेता विरोधी दल और इनके साथी वेल आफ द हाउस में हैं।

(वेल से विधायक के हत्यारों को फांसी दो-फांसी दो, हत्यारों की सरकार बर्खास्त करो-बर्खास्त करो, विधायक हत्याकाण्ड की सी0बी0आई0 जाँच करो के नारे लगाते रहे व बैनर लहराते रहे।)

श्री अध्यक्ष-

मैंने आप लोगों की सूचना पर नियम 52 के अन्तर्गत दो घण्टे की चर्चा स्वीकार कर ली है। कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक में उसके समय पर विचार कर लिया जायेगा उसमें आपका पक्ष आ जायेगा और अन्य नेताओं की बातें भी आ जाएंगी व सरकार का पक्ष आ जायेगा। अभी प्रश्न प्रहर चलने दें। मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप अपनी-अपनी जगह पर जायं।

(हत्यारों की सरकार बर्खास्त करो, बर्खास्त करो के नारे लगाये जाते रहे जिससे घोर व्यवधान बना रहा।)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग अपनी जगह पर चले जायं। मैंने नियम-52 में चर्चा स्वीकार कर ली है। आपकी बात चर्चा में आ जायेगी, सरकार का पक्ष और सबकी बातें चर्चा में आ जायेंगी। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप अपने स्थान पर चले जायं, अपना अपना स्थान ग्रहण करें। कृपया प्रश्न प्रहर हो जाने दें।

(सदस्यगण सदन के वेल में खड़े होकर सरकार विरोधी नारे लगाते रहे)

श्री अध्यक्ष-

मैं सदन की कार्यवाही 12 बजकर 29 मिनट तक के लिये स्थागित करता हूँ ।

(तत्पश्चात् 11 बजकर 5 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 12 बजकर 29 मिनट तक के लिये स्थागित कर दी।)

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश की चीनी मिलों पर बकाये गन्ना मूल्य के भुगतान की जानकारी

****1-श्री जगदम्बिका पाल तथा डा0 अजय कुमार-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की चीनी मिलों पर किसानों का 31 जुलाई, 2005 तक कितना गन्ना मूल्य बकाया है? सरकार गन्ना मूल्य भुगतान कराने हेतु क्या उपाय कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)-

प्रदेश की चीनी मिलों पर किसानों का 31 जुलाई, 2005 तक विभिन्न वर्षों का निम्न विवरणानुसार 179.55 करोड़ रू0 बकाया था :--

वर्ष	अवशेष (करोड़ों में)
2004-05	21.18
2003-04	9.50
2002-03	81.04
(एस0एम0पी0 व अन्तर गन्ना मूल्य)	
2001-02	15.91
2001-02 के पूर्व वर्षों का	51.92
योग--	179.55

गन्ना मूल्य बकाये के भुगतान हेतु विधिक रूप से अनुमन्य कार्यवाही की जा रही है।

नोट:--उ0प्र0 विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली 1958 के नियम 41 के अन्तर्गत सभी प्रश्न उत्तरित माने गये।

सार्वजनिक क्षेत्रों की बीमार औद्योगिक इकाइयों के पुनर्वास हेतु कार्य योजना

डा0 सुशील चौधरी-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्रों की बीमार औद्योगिक इकाइयों के पुनर्वास हेतु कोई कार्य योजना बनाई गई है? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री ख्वाजा हलीम)-

औद्योगिक विकास विभाग के नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र की औद्योगिक इकाईयों को रूग्ण/बीमार रूग्ण औद्योगिक कम्पनीज (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 के तहत गठित औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) द्वारा घोषित किया जाता है और ऐसी रूग्ण घोषित औद्योगिक इकाईयों के पुनर्वासन की कार्यवाही भी बीआईएफआर के निर्देशों के अनुसार की जाती है जो प्रत्येक रूग्ण घोषित इकाई के लिए पृथक-पृथक होती है।

तारांकित प्रश्न

कृषि क्षेत्र में निजी पूँजी निवेश को बढ़ाने हेतु कार्य योजना

***1-डा0 अजय कुमार-**

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि वित्तीय वर्ष 2004-05 में कृषि क्षेत्र की विकास दर क्या थी और वर्तमान वित्तीय वर्ष 2005-06 में विकास दर का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है? क्या कृषि क्षेत्र में निजी पूंजी निवेश को बढ़ाने हेतु सरकार ने कोई कार्य योजना बनाई है? यदि हां तो वह योजना क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?

कृषि मंत्री (डा0 अशोक बाजपेयी)-

खाद्यान्न के उत्पादन में गत वर्ष के सापेक्ष/ऋणात्मक बृद्धि दर (-15.12 प्रतिशत) रही। उत्तर प्रदेश कृषि नीति 1999 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2005-06 में विकास दर 5.1 प्रतिशत निर्धारित किया गया है।

जी हाँ।

भारत सरकार के सहयोग से एग्री बिजनेस का कार्यक्रम संचालित किया जाता रहा है जिसमें एग्री क्लीनिक तथा एग्री बिजनेस सेन्टर्स की स्थापना कर कृषकों को फसलोंत्पादन बढ़ाने के लिए उपयोगी तकनीकी एवं निवेश तथा विपणन संबंधी सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रदेश में संचालित डास्प (कृषि विविधीकरण परियोजना) के अन्तर्गत ग्रामीण बाजारों का निर्माण, निजी फल एवं सब्जी नर्सरी की स्थापना एवं पैरावेट के प्रशिक्षण के माध्यम से निजी क्षेत्र की सहभागिता की गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

पूर्वान्चल में आम के बाग लगाने के लिए सरकार से सब्सीडी की मांग

***2-श्री राम करन आर्य-**

क्या उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वांचल में आम की खेती के लिए सरकार द्वारा कोई विस्तृत योजना तैयार की जा रही है? यदि हां, तो क्या ? क्या सरकार आम के बाग लगाने पर कोई सब्सीडी देगी? यदि हां, तो कितना? यदि नहीं, तो क्यों?

उद्यान मंत्री (श्री राज किशोर सिंह)-

वर्तमान में पूर्वांचल में आम की खेती हेतु कोई विस्तृत कार्ययोजना तैयार नहीं की जा रही है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

आम के नवीन उद्यान रोपण के लिए पूर्वांचल के फैजाबाद व वाराणसी जनपदों में आम फल पट्टी विकास योजना पूर्व से संचालित है, जिसमें आम के नवीन उद्यान रोपण के लिए राज्य सरकार द्वारा रू0-5000/- प्रति हैक्टेयर की राज सहायता दी जाती है।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

लखनऊ में अवैध जहरीली शराब की बिक्री पर रोक लगाने की मांग

***3-श्री श्यामदेव राय चौधरी-**

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि अवैध जहरीली शराब की बिक्री पर प्रभावी रोक नहीं लगाये जाने के कारण सितम्बर, 2003 में लखनऊ में हुए हादसे में 25 लोगों की जानें गयी थी और उसके बाद से अब तक अनेक स्थानों पर इसकी पुनरावृत्ति हो चुकी है? यदि हां, तो क्या सरकार इस पर रोक लगाये जाने हेतु कोई प्रभावी कार्ययोजना लागू करेगी ? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जनपद लखनऊ में मुहल्ला कैसरबाग के धोबियाना, खटिकाना, हाता करीम बक्स व आस-पास के क्षेत्रों में सितम्बर, 20/21-09-2003 को जहरीली मिथाइल अल्कोहल पीने से 16 लोगों की मृत्यु हुई थी। मिथाइल अल्कोहल से होने वाले विषाक्त काण्ड की रोकथाम हेतु शासन द्वारा मिथाइल अल्कोहल को सरकारी अधिसूचना संख्या-2473/आठ-9-4 (5) -89 दिनांक 27-07-1995 द्वारा विष घोषित कर दिया गया है। मिथाइल अल्कोहल नामक विष को कब्जे में रखने और उसके क्रय/विक्रय को विनियमित करने के लिये उत्तर प्रदेश प्वायजन्स (रेगुलेशन आफ पजेशन एण्ड सेल) (संशोधन) नियमावली-1994 को सरकारी गजट उत्तर प्रदेश के भाग-1(क) में दिनांक 22-02-1997 को विज्ञापित कर दिया गया है। उक्त अधिनियम के अन्तर्गत मिथाइल अल्कोहल को कब्जे में रखने एवं क्रय/विक्रय तथा परिवहन को नियंत्रित किया जा रहा है। मिथाइल अल्कोहल तथा पेय मदिरा में प्रयुक्त होने वाले इथाइल अल्कोहल रंग, गन्ध एवं बनावट में एक ही प्रकार के हैं। मिथाइल अल्कोहल की अलग पहचान के लिए इसमें रंग मिलाने का प्रविधान आबकारी आयुक्त के आदेश दिनांक 17-07-1998

द्वारा किया गया था, किन्तु उक्त आदेश के विरूद्ध कई इकाइयों द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ में याचिका दायर की गयी है जो अभी स्थागित है। सभी याचिकाओं में प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया जा चुका है। विषाक्त काण्ड की रोकथाम हेतु शासन/आबकारी आयुक्त द्वारा समय-समय पर समस्त जिलाधिकारी/विभागीय अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं।

जनपद गाजियाबाद एवं गौतमबुद्धनगर के अन्तर्गत सरकारी भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करने वालों के विरूद्ध जांच

***4-श्री नवाब सिंह नागर-**

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद गाजियाबाद एवं गौतमबुद्धनगर के अन्तर्गत सरकारी भूमि पर अनाधिकृत कब्जा किये जाने के दोषी श्री मोती गोयल की जांचों को कराने के लिए श्री टी0 जार्ज जोजफ को विगत कुछ माह पूर्व जांच अधिकारी बनाया गया था? यदि हां, तो इस प्रकरण में कुल कितने दोषी प्रकाश में आये और क्या उनके विरुद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज करायी गयी है? क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि इसमें कितने अधिकारी एवं कर्मचारी संलिप्त पाये गये हैं और उनके विरुद्ध अब तक क्या कोई कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

जी हाँ।

अब तक जनपद गाजियाबाद में कुल 36 व्यक्ति दोषी पाये गये हैं, जिनमें से 27 व्यक्तियों के विरुद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज करायी गयी है।

जनपद गौतमबुद्धनगर में अब तक जांच में पाये गये 240 दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज करायी गयी है।

जनपद गाजियाबाद में अब तक कुल 10 अधिकारी/कर्मचारी संलिप्त पाये गये, जिनमें एक कर्मचारी के विरुद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज करायी गयी है तथा 08 अधिकारियों/कर्मचारियों को निलम्बित किया गया है तथा 02 कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की गयी है।

जनपद गौतमबुद्धनगर में कुल 04 कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है, इन्हें निलम्बित किया जा चुका है। इनमें से विवेचना के फलस्वरूप 03 कर्मचारी कारागार में निरूद्ध है। इसके अतिरिक्त संलिप्त पाये गये 03 लेखपालों की मृत्यु हो चुकी है।

राष्ट्रीय खेल में प्रदेश की भागीदारी बढ़ाये जाने हेतु सरकार द्वारा किये गये प्रयास की जानकारी

***5-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-**

क्या खेलकूद एवं युवा कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में पंजाब से दो, गुजरात से दो, महाराष्ट्र से तीन तथा मध्य प्रदेश से दो मान्यता प्राप्त टीमें भाग लेती है जबकि उत्तर प्रदेश से सिर्फ 1 टीम की भागीदारी होती है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं। उक्त राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में प्रदेश की भागीदारी बढ़ाये जाने हेतु सरकार द्वारा क्या कोई प्रयास किये गये हैं? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

खेलकूद एवं युवा कल्याण मंत्री (श्री आर0 के0 चौधरी)-

जी हाँ।

राष्ट्रीय खेलों में प्रदेश की कितनी टीमें भाग लेंगी यह निर्णय भारतीय ओलम्पिक संघ तथा राष्ट्रीय स्तर के खेल संघों द्वारा लिया जाता है। इसमें प्रदेश सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

चूंकि यह कार्य सरकार के कार्यक्षेत्र के बाहर का है इसलिए सरकार द्वारा प्रयास किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद-सोनभद्र की तहसील राबर्ट्सगंज एवं धोरावल में वर्षा से प्रभावित किसानों को मुआवजा दिलाये जाने की मांग

***6-श्री परमेश्वर दयाल-**

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र की तहसील -राबर्ट्सगंज एवं धोरावल में इस वर्ष वर्षा न होने के कारण धान की खेती नहीं की जा सकी है? यदि हां, तो क्या सरकार प्रभावित किसानों को मुआवजा देने पर विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

सूखे के कारण वर्तमान वित्तीय वर्ष में जिले और तहसीलों के किसानों को राहत राशि वितरित किये जाने की मांग

***7-श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"-**

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में कौन-कौन से जिले और तहसील सूखे के कारण प्रभावित हुए हैं? क्या फसलों की क्षति आंकलन रिपोर्ट भारत सरकार को भेजी गई है? यदि हां, तो किसानों को राहत राशि कब से वितरित की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्बिका चौधरी-

कोई नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

जनपद- जालौन की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत हेतु धनराशि की मांग

1-डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि कालपी विधान सभा क्षेत्र जनपद जालौन के ग्रामीण सम्पर्क मार्ग मरम्मत न होने के कारण क्षति ग्रस्त हो गये हैं? क्या यह सही हैं कि मरम्मत हेतु राज्य सड़क निधि से धन की मांग की गयी है? यदि हां, तो क्या धनराशि स्वीकृत करने पर सरकार विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

लोक निर्माण मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

कुछ ग्रामीण सम्पर्क मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गये हैं।

जी हां।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है

प्रश्न नहीं उठता।

लो0नि0वि0 में अवर अभियन्ता (प्रा0) के स्वीकृत पद व मानचित्रकारों की पदोन्नति की जानकारी

2-श्री ओम प्रकाश पाण्डेय-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लो0नि0वि0 में अवर अभियन्ता (प्रा0) के कुल कितने पर स्वीकृत हैं? उन स्वीकृत पदों के विरुद्ध कुल कितने अवर अभियन्ता (प्रा0) कार्यरत हैं? क्या यह सही है कि कुल स्वीकृत अवर अभियन्ता (प्रा0) के 50% पदों पर शासनादेश के अन्तर्गत मानचित्रकारों की पदोन्नति की जानी है? यदि हां, तो क्या वर्ष 1997 के पश्चात् से इनकी पदोन्नति की गई है? यदि नहीं, तो उक्त तिथि से इनकी पदोन्नति कब तक की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

467 पद स्वीकृत हैं।

264 अवर अभियन्ता (प्रा0) कार्यरत हैं।

जी हां।

जी हां।

वर्ष 2003 में पदोन्नतियां की गयी थीं।

गणना के अनुसार शेष उपलब्ध रिक्तियों पर विभागीय प्रक्रिया प्रगति पर है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी विधान सभा क्षेत्र के लिए पूर्वान्चल विकास निधि राज्यांश से स्वीकृत मार्ग

3-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माह मार्च, 02 से अब तब जनपद-प्रतापगढ़ के पट्टी विधान सभा क्षेत्र के लिए पूर्वांचल विकास निधि के राज्यांश से कौन-कौन से मार्ग स्वीकृत किये गये,उनमें से कौन-कौन से मार्ग अभी अधूरे हैं? क्या सरकार उक्त अधूरे कार्य को पूर्ण किये जाने हेतु आदेश देगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

माह मार्च, 2002 से अब तक जनपद-प्रतापगढ़ के पट्टी विधान सभा क्षेत्र के लिए पूर्वान्चल विकास निधि राज्यांश से निम्नलिखित मार्ग स्वीकृत हुए है :--

1-सरसतपुर--रमईपुर--नेवादा मार्ग

2-अरैला--भाट --पट्टी--महरूपुर मार्ग

3-भीखमपुर --तेलयानी--लखनूडीह मार्ग

4-रूर से लालगंज मार्ग

उपर्युक्त मार्ग अभी अधूरे है।

उपर्युक्त मार्गो को पूर्ण किया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आजमगढ़ के तहसील मेंहनगर के तहसील भवन का निर्माण

4-श्रीमती विद्या चौधरी-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-आजमगढ़ के अन्तर्गत तहसील मेहनगर के तहसील भवन का निर्माण कार्य पूरा करने की कोई तिथि/माह निर्धारित है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हां।

माह दिसम्बर, 2005 तक कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सुल्तानपुर के वि0 ख0 दूबेपुर में समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत स्वीकृत गांवों के सम्पर्क मार्ग बनाये जाने हेतु आवंटित धनराशि

5-श्री ओम प्रकाश पाण्डेय-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वि0खं0 दुबेपुर, जनपद सुल्तानपुर में समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2003-2004 में स्वीकृत ग्राम चन्देलेपुर, सरैया पूरे साऊ एवं करौदिया

गाँवों के सम्पर्क मार्ग बनाये जाने हेतु कितना धन स्वीकृत हुआ था? क्या निर्धारित लागत मूल्य से कम मूल्य पर उक्त सड़कों का निर्माण हुआ है? यदि हाँ, तो शेष धनराशि का उपयोग किन कार्यों में किया गया?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

राज्य योजना के अन्तर्गत ग्राम चन्देलेपुर-सम्पर्क मार्ग हेतु रू0 22.27 लाख, सरैयापूरे साऊ सम्पर्क मार्ग हेतु रू0 25.74 लाख तथा ग्राम करौदिया (देहात) मार्ग निर्माण हेतु रू0 5.94 लाख स्वीकृत किया गया है।

जी हाँ।

शेष धनराशि का उपयोग किसी अन्य कार्यों पर नहीं किया गया है।

जनपद सुल्तानपुर विकास खण्ड कुड़वार, में समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत सम्पर्क मार्गों का निर्माण

6-श्री ओम प्रकाश पाण्डेय-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वि0खं0 कुड़वार जनपद-सुल्तानपुर में समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2003-2004 में स्वीकृत ग्राम पूरे मितई पाण्डेय का पुरवा, कुड़वार ग्रेन्ट को सम्पर्क मार्ग से लेपन स्तर तक जोड़ने हेतु कितना धन स्वीकृत हुआ था? क्या निर्धारित लागत मूल्य से कम मूल्य पर उक्त सड़कों का निर्माण किया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार को जानकारी है कि शेष धनराशि का उपयोग अन्य सड़क के निर्माण में किया गया? यदि हां, तो किन सड़कों पर?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

राज्य योजना के अन्तर्गत ग्राम पूरे मितई पाण्डेय का पुरवा सम्पर्क मार्ग हेतु रू0 24.75 लाख एवं कुड़वार ग्रेन्ट सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु रू0 15.84 लाख स्वीकृत किया गया है। उक्त में से पूरे मितई पाण्डेय का पुरवा सम्पर्क मार्ग का निर्माण निर्धारित लागत मूल्य से कम मूल्य पर किया गया है तथा कुड़वार ग्रेन्ट सम्पर्क मार्ग में स्वीकृत लम्बाई के बीच में लगभग 150 मीटर भाग में भूमि विवादित होने के कारण कार्य शेष है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद-प्रतापगढ़ की ग्राम सभा चकबड़ में गाटा सं0 512 पर अंकित पट्टा

7-श्री हरि प्रताप सिंह-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ की ग्राम सभा चकबड़, ब्लाक बिहार, तहसील कुण्डा में गाटा सं0-512 का खेती हेतु पट्टा किया गया था परन्तु उस पर विद्यालय बना दिया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच करवाकर इसके दोषी व्यक्तियों को दण्डित करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्बिका चौधरी-

जनपद प्रतापगढ़ की ग्राम सभा चकवढ़ ब्लाक-बिहार तहसील कुण्डा की गाटा संख्या-512 वर्तमान समय में राम मैन, राम समुझ पुत्रगण श्री राम के नाम संक्रमणीय भूमिधर अंकित है, जिसमें कोई विद्यालय अंकित नहीं है। गाटा संख्या-512 संक्रमणीय भूमिधर होने के कारण कोई पट्टा नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

8-श्री राम करन आर्य-

[2सरे मंगल के अता0 प्र0 सं0-49 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद सोनभद्र एवं मिर्जापुर में भूमि संरक्षण एवं डी0पी0ए0पी0 विभाग द्वारा कृषि योग्य बनायी गयी भूमि

9-श्री जगदीश नारायण राय-

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद सोनभद्र एवं मिर्जापुर में भूमि संरक्षण एवं डी0पी0ए0पी0 विभाग द्वारा विगत दस वर्षों में कुल कितने क्षेत्रफल भूमि को कृषि योग्य बनाया गया है? वह क्षेत्रफल उक्त दोनों जनपदों के सम्पूर्ण क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है और कितनी भूमि कृषि योग्य बनाने हेतु शेष है? वर्तमान में क्या कोई कार्य योजना बनायी गयी है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

डॉ0 अशोक बाजपेयी-

(क) जी हां। विगत दस वर्षों में जनपद-सोनभद्र में कृषि विभाग एवं डी0पी0ए0पी0 विभाग द्वारा 158367.99 हे0 व जनपद मिर्जापुर में 34451.00 हे0 भूमि को कृषि योग्य बनाया गया है।

(ख) जनपद-सोनभद्र में विगत दस वर्षों में उपचारित क्षेत्रफल जनपद के सम्पूर्ण क्षेत्रफल 681607 हे0 का 23.23 प्रतिशत है। इसी प्रकार जनपद-मिर्जापुर में उपचारित क्षेत्रफल जनपद के सम्पूर्ण क्षेत्रफल 451862 हे0 का 07.62 प्रतिशत है। जनपद-सोनभद्र में 115379 हे0 तथा जनपद-मिर्जापुर में 58316 हे0 समस्याग्रस्त भूमि कृषि योग्य बनाने हेतु शेष है।

(ग) जी हां।

(घ) कृषि विभाग द्वारा वर्तमान में सोनभद्र जनपद में भूमि सेना, केन्द्र पूरोनिधानित बाढ़ोन्नमुखी सोन योजना के अन्तर्गत कुल 2110 हे0 तथा मिर्जापुर जनपद में भूमि सेना, राष्ट्रीय जलागम विकास कार्यक्रम, सम विकास योजना, समेकित बंजर भूमि विकास, नावार्ड योजना के अन्तर्गत कुल 7590 हे0 की कार्य योजना बनायी गयी है। डी0पी0ए0पी0 कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष दोनों जनपदों में लगभग 500 हे0 की 20 से 24 परियोजनायें स्वीकृत की जाती है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-प्रतापगढ़ के क्षेत्र पट्टी के अवशेष मार्ग निर्माण कार्यों को पूर्ण कराने के सम्बन्ध में पत्र

10-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधीक्षण अभियन्ता, परियोजना वर्ग,

लो0नि0वि0, लखनऊ का पत्र 4153 बी जी/7 बी/अधि0/02, दिनांक 1-11-02 जो जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के अवशेष मार्ग निर्माण कार्यों को पूर्ण कराये जाने हेतु धन की स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में था, शासन को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

समस्त कार्यों पर धन आवंटित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत बीबीपुर-बधवा-बीरापुर मार्ग की स्वीकृति के संबंध में पत्र

11-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत बीबीपुर-बधवा-बीरापुर मार्ग की स्वीकृति के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री कार्यालय का पत्र सं0 सी0एम0/वि0को0/एम/124642/05, दिनांक 10-5-05 एवं पत्र सं0 126706 दि0 17-6-05 प्रमुख सचिव, लोक निर्माण को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मुख्य मंत्री कार्यालय का पत्रांक-सी0एम0/वि0को0/एम-1 126706/05 दिनांक 17-06-05 प्राप्त हुआ है।

प्राक्कलन गठित करा लिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-प्रतापगढ़ के ग्राम मदाफरपुर में अपात्र व्यक्तियों को अवैध पट्टे दिये जाने की जांच

12-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र 589/वी0आई0पी0 राज्य मंत्री, कृषि/02, दिनांक 31-2-02, जो जनपद प्रतापगढ़ के ग्राम मदाफरपुर में बाहरी ग्रामवासियों को एवं दूसरे जनपद के लोगों को तथा अपात्र व्यक्तियों को किये गये अवैध पट्टे की जांच एवं कार्यवाही हेतु जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ को भेजा गया प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्बिका चौधरी-

प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 31-2-2002 का न होकर दिनांक 31-12-2002 का है।

ग्राम मदाफरपुर के 35 व्यक्तियों को आवास आवंटन दिनांक 22-3-03 को तत्कालीन उप

जिलाधिकारी पट्टी द्वारा स्वीकृत किया गया था, जिसके निरस्तीकरण हेतु वाद न्यायालय में विचाराधीन हैं। इसी ग्राम में दिनांक 26-01-95 को 16 व्यक्तियों, दिनांक 29-03-93 को 19 व्यक्तियों, दिनांक 10-12-93 को 7 व्यक्तियों को आवास आवंटन तत्कालीन उपजिलाधिकारी पट्टी द्वारा स्वीकृत किया गया, जिनके निरस्तीकरण हेतु वाद न्यायालय में विचाराधीन है। उपरोक्त ग्राम के शेष अनियमित आवंटनों के निरस्तीकरण का वाद न्यायालय में विचाराधीन हैं। जिलाधिकारी द्वारा सूचित किया गया है कि उक्त ग्राम से संबंधित एक पट्टा निरस्तीकरण वाद में दिये गये निर्णय/आदेश के द्वारा पट्टा स्वीकृति दिनांक 10-12-93, 31-12-93 व 14-04-95 को निरस्त किया जा चुका है। तत्कालीन लेखपालगण सर्वश्री इन्द्रपाल वर्मा, पारसनाथ व राजस्व निरीक्षकगण सर्वश्री सोमेश्वर नाथ एवं नोखई राम एवं मुन्नी लाल उप जिलाधिकारीगण सर्वश्री शिव शंकर तिवारी, श्री बृजगोपाल अग्रवाल व इन्द्रदेव सिंह दोषी पाये गये। इनमें से तत्कालीन लेखपालगण सर्वश्री इन्द्रपाल वर्मा व पारसनाथ को छोड़कर शेष सभी सेवानिवृत्त हो चुके हैं। लेखपाल श्री इन्द्रपाल वर्मा को दिनांक 01-06-2005 को निलम्बित किया जा चुका है। तत्कालीन लेखपाल श्री पारसनाथ वर्तमान में सहायक रजिस्ट्रार कानूनगों के पद पर कार्यरत है। उनके विरूद्ध आरोप पत्र निर्गत किया गया है। विभागीय कार्यवाही विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला हरदोई के अवशेष बीजों/बोरो की नीलामी से प्राप्त अग्रिम धनराशि सरकारी खजाने में जमा किये जाने की जानकारी

13-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि जिला हरदोई में दिनांक 30-12-2003 को समस्त बीज भण्डारों के अवशेष बीजों/बोरों की नीलामी की बोली का 1/4 भाग व्यापारी से अग्रिम धनराशि के रूप में 1.84 लाख रुपये टड़ियांवा बीज भण्डार जनपद-हरदाई के प्रभारी श्री प्रेमशंकर त्रिवेदी के कैशबुक/रसीद में जमा कराकर रखा गया है? यदि हां, तो क्या उक्त धनराशि को केन्द्रीय बीज भण्डार/जिला कार्यालय/सरकारी खजाने में जमा करा दिया गया? यदि नहीं तो क्यों?

डा0 अशोक बाजपेयी--

जिला हरदोई में दिनांक 30-12-2003 को बीज की नीलामी हुई और बीज मूल्य की अग्रिम राशि 25 प्रतिशत रू0 1.84 लाख कैश रसीद से जमा किया गया।

अग्रिम राशि से बीज मूल्य समायोजन के उपरान्त सरकारी खजाने में जमा कर दी गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

शाहजहांपुर,के दि किसान सहकारी चीनी मिल तिलहर के श्रमिकों के भविष्य निधि में कटौती किये गये धन के बैलेन्स शीट पूर्ण करने की मांग

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि दि किसान सहकारी चीनी मिल तिलहर, शाहजहांपुर में श्रमिकों की भविष्य निधि में कटौती किये गये धन की बैलेन्स शीट कई वर्षों से नहीं बनी है? यदि हां, तो इस हेतु कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं तथा उनके विरुद्ध कार्यवाही करके बैलेन्स शीट कब तक पूर्ण करा दी जायेगी? यदि नहीं , तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

किसान सहाकारी चीनी मिल तिलहर (शाहजहांपुर) के भविष्य निधि ट्रस्ट की बैलेन्स शीट वर्ष 2000-01 तक बनायी जा चुकी है तथा वर्ष 2001-02 से 2004-05 तक की बैलेन्स शीट तैयार करायी जा रही है।

इस संबंध में कोई भी अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है। भविष्य निधि की कटौती का पूर्ण लेखा-जोखा चीनी मिल ट्रस्ट के पास उपलब्ध है और बैलेन्स शीट शीघ्र पूरी कर ली जायेगी।

प्रश्न ही नहीं उठता।

उर्वरक/कीट नाशक के लाइसेंस लेने का प्राविधान

15-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उर्वरक/कीटनाशक के लाइसेंस प्रदान करने हेतु जिला कृषि अधिकारी/जिला कृषि रक्षा अधिकारी को अपने सक्षम अधिकारी से संस्तुति लेने का प्राविधान है? यदि हां,तो क्या श्री बी0 एन0 पाण्डेय जिनके पास जिला कृषि अधिकारी, हरदोई के साथ-साथ जिला कृषि रक्षा अधिकारी, हरदोई का अतिरिक्त चार्ज था, ने वर्ष 2004-05 में व्यापारियों से खाद एवं कीटनाशक दवाइयों के लाइसेंस/नवीनीकरण की फीस से अधिक धनराशि लेकर एवं बिना सक्षम अधिकारी से अनुमोदन कराये लाइसेंस निर्गत किया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रकरण की जांच कराकर दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 अशोक बाजपेयी-

जी हां।

जी नहीं । खाद एवं कीटनाशक दवाइयों के व्यापारियों को निर्धारित शासकीय फीस लेकर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर लाईसेंस निर्गत किए गए हैं।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अवर अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड जौनपुर, श्री राजेन्द्र कुमार दुबे की शिकायत के आधार पर तैनाती का प्रकरण

16- श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि श्री राजेन्द्र कुमार दुबे, अवर अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, जौनपुर की शिकायत के आधार पर मुख्य अभियन्ता, आजमगढ़ के कार्यालय से सम्बद्ध किया गया था? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि उक्त अवर अभियन्ता की जांच पूरी कराये बिना इन्हें निर्माण खण्ड आजमगढ़ में पूर्ण रूप से चार्ज देकर तैनात कर दिया गया है? यदि हां, तो क्यों? क्या उक्त अवर अभियन्ता को मुख्य अभियन्ता कार्यालय से सम्बद्ध रखेंगे? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां ।

शिकायत की जांच पूरी होने पर उक्त जांच में दोषमुक्त पाये जाने पर प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0 द्वारा संबंधित अवर अभियंता का स्थानान्तरण किया गया है ।

उपरोक्तानुसार

जी नहीं।

उक्त अवर अभियन्ता जांच में दोषमुक्त पाया गया है।

जनपद-प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में सात मार्गों के निर्माण की स्वीकृति

17-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा घोषणा संख्या-70/2001 में जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में सात मार्गों के निर्माण की घोषणा की गयी थी? यदि हाँ, तो क्या उक्त सभी मार्गों की स्वीकृति निर्गत कर दी गई है? यदि नहीं, तो किन-किन मार्गों की स्वीकृति एवं शासनादेश अभी निर्गत नहीं किये गये हैं और उनकी स्वीकृति कब तक निर्गत करा दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

अनुमोदित 05 मार्गों की स्वीकृतियां निर्गत की जा चुकी हैं।

02 मार्गों की स्वीकृति एवं शासनादेश निर्गत नहीं हुआ है। विवरण निम्नवत् है :-

(1) लखनूडीह से तेलियानी (महुली नहर मार्ग होते हुए) मार्ग का निर्माण। लम्बाई 6.00 कि0मी0।

(2) बीबीपुर-बारडीह से बन्धवा सलाहपुर मार्ग का निर्माण। लम्बाई 15.00 कि0मी0।

वित्तीय संसाधन सीमित होने के कारण स्वीकृति निर्गत नहीं की गयी है।

उपरोक्तानुसार।

त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत जनपद-प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के मार्ग निर्माण हेतु पत्र

18-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के मार्ग निर्माण हेतु आदेश संख्या सी0एम0/वि0को0/एम/1-124595/05, दिनांक 9-5-05 प्रमुख सचिव, लोक निर्माण को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

प्राक्कलन गठित करा लिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

गत वर्ष में कतिपय योजनाओं के अन्तर्गत कृषकों को प्रशिक्षण कृषि रक्षा रसायन हेतु अनुदान का प्राविधान

19-श्री जगदीश नारायण राय-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2004-2005 में मैक्रोमोड योजना तथा दलहन योजना, तिलहन योजना, डब्लू0आर0एस0पी0 योजना के अन्तर्गत कृषकों को प्रशिक्षण कृषि रक्षा रसायन हेतु अनुदान का प्राविधान किया गया था? यदि हां, तो क्या वर्ष 2005-2006 की योजना में भी उक्त प्राविधान किया गया है? क्या सरकार जनपद-जौनपुर में उक्त अनुदान वितरण का सत्यापन करायेगी?

डॉ0 अशोक बाजपेयी-

जी हां।

जी हां।

सत्यापन कार्य विभाग के निर्देशानुसार एक नियमित प्रक्रिया के अन्तर्गत जनपद स्तरीय अधिकारी एवं अन्य उच्चाधिकारियों द्वारा नियमित रूप से कराया जाता है। मा0 सदस्य के अनुरोध पर जनपद जौनपुर के वर्ष 2004-05 के वितरण का सत्यापन कराया जायेगा।

जनपद-प्रतापगढ़ के सदर विधान सभा क्षेत्र में विश्व बैंक द्वारा स्वीकृत परियोजना में मार्गों का निर्माण

20-श्री हरि प्रताप सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में विश्व बैंक द्वारा पोषित मार्ग निर्माण परियोजना के फेस-(2) का कार्य स्वीकृत कर लिया है? यदि हां, तो उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद-प्रतापगढ़ के सदर विधान सभा क्षेत्र में किन-किन मार्गों का निर्माण प्रस्तावित है तथा उक्त मार्गों के चयन का आधार क्या है?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

जनपद प्रतापगढ़ के सदर विधान सभा क्षेत्र में निम्न मार्गों का निर्माण प्रस्तावित है :-

(क) गौरीगंज-बेला प्रमुख जिला मार्ग सं0-154 ई लम्बाई 2.50 कि0मी0

(ख) बेला-पट्टी-ढकवा प्रमुख जिला मार्ग संख्या-98 ई लम्बाई 1.75 कि0मी0

पर्यावरणीय, समाजिकीय एवं तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप मार्गों के उच्चीकरण/वृहद रख-रखाव के लिए आंकलित सम्भावित लागत के आर्थिक विश्लेषण के फलस्वरूप प्राप्त इकोनॉमिक इन्टर्नल रेट ऑफ रिटर्न (ई0आई0आर0आर0) का वरीयता क्रम मार्गों के चयन का आधार रहा है।

नगर क्षेत्र सुल्तानपुर के अन्तर्गत गोमती नदी के दक्षिणी छोर पर बन्धा व सड़क पूर्वांचल राज्यांश से बनाने विषयक-पत्र

21-श्री ओम प्रकाश पाण्डेय-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2005 के दूसरे गुरूवार हेतु निर्धारित प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या-77 के उत्तर के संदर्भ में क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रश्नगत बन्धा तथा सड़क बनाये जाने हेतु मण्डलायुक्त, फैजाबाद से आगणन प्राप्त हो गया है? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक प्रारम्भ करा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नगत कार्य स्थलीय स्थिति के अनुसार कराया जाना सम्भव नहीं है।

जनपद सुल्तानपुर में लोक निर्माण विभाग हेतु स्वीकृत पांच परियोजनाओं की अवशेष धनराशि अवमुक्त करने की मांग

22-श्री ओम प्रकाश पाण्डेय-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2005 के तीसरे गुरूवार हेतु निर्धारित प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न-29 के उत्तर के संदर्भ में क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या वित्तीय वर्ष 2005-2006 के प्रश्नगत परियोजनाओं हेतु अवशेष धनराशि उपलब्ध करा दी गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रकरण में क्षेत्र स्तर से पूर्ण सूचना व पुनरीक्षित आगणन चाहे गये हैं, जोकि प्रतीक्षित हैं।

मण्डी समिति, सुल्तानपुर क्षेत्रान्तर्गत सम्पर्क मार्गों के निर्माण की मांग

23-श्री ओम प्रकाश पाण्डेय-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2005 के दूसरे गुरूवार हेतु निर्धारित प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न-79 के उत्तर के संदर्भ में क्या कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या वित्तीय वर्ष 2005-2006 में प्रश्नगत सम्पर्क मार्गों के निर्माण के मद में धनराशि उपलब्ध करा दी गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां। विधान सभा के प्रथम सत्र, 2005 के दूसरे गुरूवार हेतु निर्धारित अतारांकित प्रश्न-79 के माध्यम से मण्डी समिति, सुल्तानपुर क्षेत्रान्तर्गत 04 नग सम्पर्क मार्गों के निर्माण की मांग की गयी थी। इस क्रम में वित्तीय वर्ष-2005-06 में मण्डी समिति की वित्तीय स्थिति कार्य की आवश्यकता एवं

प्राथमिकता के आधार पर 01 नग सम्पर्क मार्ग की स्वीकृति प्रदान करते हुए धन की व्यवस्था कर दी गयी है एवं अन्य मार्गों की स्वीकृतियां धनाभाव के कारण नहीं दी जा सकी है।

उपरोक्तानुसार।

मण्डी समिति, सुल्तानपुर की सड़कों का कार्य पूर्वांचल विकास निधि से कराने की मांग

24-श्री ओम प्रकाश पाण्डेय-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2005 के दूसरे गुरूवार हेतु निर्धारित प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या-78 के उत्तर के संदर्भ में क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या वित्तीय वर्ष 2005-2006 में प्रश्नगत चार सड़कों का कार्य पूर्वांचल विकास निधि (राज्यांश) के अन्तर्गत पूर्ण कराया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

परियोजनाओं की प्राथमिकता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के तहसील मेंहनगर के निर्माण कार्यों को पूरा कराने की मांग

25-श्रीमती विद्या चौधरी-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-आजमगढ़ की निर्माणाधीन तहसील मेहनगर के कौन-कौन से निर्माण कार्य पूरे हो चुके हैं और कौन-कौन से शेष हैं? क्या अवशेष निर्माण कार्यों को समय से पूरा करा लिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्बिका चौधरी-

जनपद आजमगढ़ की निर्माणधीन तहसील मेंहनगर के मुख्य भवन तथा नायब तहसीलदार कार्यालय का कार्य फिनिशिंग स्तर पर है। बोरिंग का कार्य पूर्ण है। हवालात, बैरक, ओवरहेड टैंक तथा बाउण्ड्रीवाल का कार्य अवशेष है।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

इलाहाबाद में स्टेनली रोड के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के कार्य

26-डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 2001 में कुम्भ मेले के दौरान इलाहाबाद नगर की स्टेनली रोड को नये सिरे से बनाने में लगभग साढ़े तीन करोड़ रुपये खर्च किये गये थे? क्या यह सही है कि यह सड़क 2 वर्षों में ही खराब एवं क्षतिग्रस्त हो गई? यदि हां, तो क्या सरकार सड़क निर्माण में हुई अनियमितता की जांच कराकर दोषी अभियन्ताओं के खिलाफ कार्यवाही करेगी? यदि

नहीं, तो क्यों? क्या सरकार यह भी बतायेगी के क्या सरकार लखनऊ-इलाहाबाद मुख्य मार्ग का पुनर्निर्माण करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

इलाहाबाद में स्टेनली रोड के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के कार्य पर रू0 214.00 लाख माह 3/2001 तक व्यय किया गया था।

जी हाँ, मार्ग के कुछ भाग में बी0एम0, एस0डी0बी0सी0 उखड़ गयी थी, जिसे तत्काल ठीक करा दिया गया था।

मुख्य प्राविधिक परीक्षक से मार्ग निर्माण की करायी गयी जॉच के आधार पर सम्बन्धित उत्तरदायी सहायक अभियन्ता को दण्डित किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ-इलाहाबाद मुख्य मार्ग का पुनर्निर्माण एस0आर0पी0-2 योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित है। स्टेनली रोड के कि0मी0-1 से 5 तक के भाग के राइडिंग क्वालिटी सुधार हेतु भी राज्य सड़क निधि के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति शासनादेश दिनांक 21-11-2005 द्वारा निर्गत कर दी गई है। कार्य प्रगति पर है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद-औरैया ग्राम पूठा डाकखाना भीखेपुर में भूमि मालिकों को सरकार द्वारा मुआवजे का भुगतान

27-डा0 राम बाबू हरित-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे के जनपद-औरैया ग्राम पूठा डाकखाना भीखेपुर में गाटा सं0-528 की 12 हैक्टेयर भूमि राष्ट्रीय मार्ग हेतु अधिग्रहीत की गयी है? यदि हां, तो क्या उसका मुआवजा भुमि के मालिकों को दे दिया गया है? यदि नहीं तो क्यों? मुआवजा कब तक दे दिया जायेगा?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं। गाटा सं0-528 में से मात्र 0.045 हेक्टेयर (लगभग 12 डेसीमल) भूमि राष्ट्रीय मार्ग संख्या-2 के लिए अधिग्रहीत की गयी है।

जी हाँ। मुआवजे की सम्पूर्ण राशि का भुगतान कर दिया गया है?

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद शाहजहांपुर की तिलहर चीनी मिल में हो रहे भ्रष्टाचार की जांच

28-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री प्रमोद कुमार नेता, कांग्रेस विधान मण्डल दल,लखनऊ का पत्र दिनांक 16-6-05 जो प्रभारी मुख्य गन्ना अधिकारी, दि किसान सहकारी चीनी मिल, तिलहर, शाहजहांपुर के द्वारा किये जा रहे व्यापक भ्रष्टाचार की शिकायत की जांच तथा स्थानान्तरण करने के संबंध में प्रबन्ध निदेशक, सहकारी चीनी मिल संघ, लखनऊ को भेजा गया प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उपरोक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां ।

उक्त पत्र में शिकायत के आधार पर स्थानान्तरण हेतु लिखा था किन्तु किसी शिकायत विशेष का उल्लेख नहीं है। श्री वी0 के0 वर्मा, प्रभारी, मुख्य गन्ना अधिकारी, सहकारी चीनी मिल तिलहर के स्थानान्तरण पर विचार किया गया, परन्तु कार्यहित में इनका स्थानान्तरण उचित नहीं पाया गया।

जनपद शाहजहांपुर चीनी मिल, तिलहर के श्रमिकों की भविष्य निधि कटौती

29-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि दि किसान सहकारी चीनी मिल तिलहर जनपद-शाहजहांपुर के श्रमिकों का भविष्य निधि अंशदान के रूप में कितना रुपया वेतन से काटा गया है, परन्तु अभी तक जमा नहीं किया गया है? क्या सरकार इसकी जांच कराकर भविष्य निधि के धन का दुरुपयोग करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही कराते हुए श्रमिकों का धन उनके भविष्य निधि में जमा करायेगी? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

किसान सहकारी चीनी मिल तिलहर (शाहजहांपुर) की कुल भविष्य निधि कटौती की धनराशि में से मात्र रु0 30,18,880.00 कर्मचारी अंश जो कर्मचारियों के वेतन से कटौती किया गया है, रु0 30,15,118.00 नियोक्ता अंश जो चीनी मिल को अंशदान के रूप में जमा करना है तथा कर्मचारियों द्वारा भविष्य निधि से लिये गये ऋण के सापेक्ष की गयी कटौती का अंश रु0 19,06,950.10 कुल रु0 79,40,948.10 मिल की वित्तीय स्थिति अत्यधिक खराब होने के कारण जमा नहीं हो सका है।

इस संबंध में कोई भी अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है। अत: जांच कराये जाने का प्रश्न नहीं उठता। भविष्य निधि की कटौती का पूर्ण लेखा-जोखा चीनी मिल ट्रस्ट के पास उपलब्ध है। प्रधान प्रबन्धक, चीनी मिल तिलहर को भविष्य निधि की अबशेष कटौती की गयी धनराशि को अतिशीघ्र जमा करने के निर्देश प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 सहकारी चीनी मिल संघ द्वारा दिया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

वित्तीय वर्ष 2003-2004 में विधायकों के प्रस्ताव पर सड़कों की मरम्मत पर व्यय

30-श्री हरि प्रताप सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2003-04 में ग्रामीण सड़कों के मरम्मत के लिए प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 15-15 लाख रु0 के कार्य विधायकों के प्रस्ताव पर कराये गये थे? यदि हां, तो क्या जनपद-प्रतापगढ़ के सदर विधान सभा क्षेत्र में भी विधायक के प्रस्ताव पर कार्य कराया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार इसके लिए दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए प्रस्ताव के अनुसार कार्य करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद-प्रतापगढ़ से मान्धाता एवं कटरा गुलाब सिंह क्षतिग्रस्त मार्ग के मरम्मत की मांग

31-श्री हरि प्रताप सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ से मान्धाता होते हुए कटरा गुलाब सिंह मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे आवागमन में कठिनाई हो रही है? यदि हां, तो उक्त मार्ग की मरम्मत कब तक करा दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है, किन्तु आवागमन बाधित नहीं है।

मार्ग के सामान्य पाट होल्स एवं पैच मरम्मत का कार्य प्रगति पर है जिसे माह मार्च, 2006 तक पूर्ण कराये जाने का लक्ष्य है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-सुल्तानपुर के गोलाघाट से सीताकुण्ड घाट तक बन्धा व सड़क बनाने हेतु पूर्वांचल राज्यांश से धन की मांग

32-श्री ओम प्रकाश पाण्डेय-

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2005 के प्रथम गुरूवार हेतु निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-34 (चौंतीस) के उत्तर के संदर्भ में क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उपरोक्त कार्य हेतु आगणन मण्डलायुक्त, फैजाबाद द्वारा शासन को उपलब्ध करा दिया गया है और सापेक्ष धन स्वीकृत कर दिया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्नगत कार्य स्थलीय स्थिति के अनुसार कराया जाना सम्भव नहीं है।

33-श्री हरिप्रताप सिंह-

[2सरे सोम के अता0प्र0सं0- 186 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

34-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"

[2सरे सोमवार के अता0प्र0सं0-99 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

"समूह जनता व्यक्तिगत दुर्घटना सहायता योजना" की जानकारी

35-श्री हरि प्रताप सिंह-

क्या कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार द्वारा किसानों के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना योजना लागू की गयी है? यदि हां, तो इस योजना का प्रारूप क्या है तथा अभी तक इससे जनपद-प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र, सदर के कितने किसान लाभान्वित हुए हैं?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां। मण्डी परिषद् द्वारा "समूह जनता व्यक्तिगत दुर्घटना सहायता योजना" लागू की गयी है।

"समूह जनता व्यक्तिगत दुर्घटना सहायता योजना" निम्नानुसार है :-

किसानों, खेतिहर मजदूरों तथा मण्डी समिति/परिषद् के मजदूरों जो कृषि कार्य अथवा कृषि उपकरणों के संचालन में संलग्न हैं, की दुर्घटना हो जाने पर निम्नानुसार धनराशि दिये जाने का प्राविधान है तथा क्षतिपूर्ति हेतु दावा स्वीकार करने के लिए पात्रता की आयु सीमा केवल 18 से 60 वर्ष के मध्य ही होगी।

(क) दुर्घटना द्वारा मृत्यु होने पर रू0 25000/-

(ख) दुर्घटना द्वारा दोनों पैर, दोनों हाथ या दोनों आंखे या उपरोक्त में से कोई दो की क्षति होने पर रू0 15000/-

(ग) दुर्घटना द्वारा एक हाथ, एक पैर अथवा एक आंख की क्षति होने पर रू0 7500/-

(घ) दुर्घटना द्वारा एक हाथ की एक साथ चार अंगुलियों की क्षति होने पर रू0 7000/-

(ङ) दुर्घटना द्वारा एक हाथ की तीन अंगुलियों की क्षति होने पर रू0 5000/-

(च) अंगूठे की क्षति होने पर रू0 4500/-

(छ) छोटी अंगुली की क्षति होने पर रू0 750/-

उक्त योजना से अभी तक जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र सदर के दो कृषकों के एक-एक हाथ कृषि कार्य करते समय कट गये थे, को योजना के पात्रता के आधार पर प्रत्येक को 7500/- रू0 की आर्थिक सहायता दी गयी है।

जनपद-उन्नाव तह0 बीघापुर की ग्राम पंचायत त्रिपुरारीपुर में चकबन्दी प्रक्रिया की जांच की मांग

36-श्री कौशल किशोर-

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद-उन्नाव, तह0 बीघापुर की ग्राम पंचायत त्रिपुरारीपुर में चकबन्दी प्रक्रिया के दौरान ग्राम समाज की भूमि गाटा संख्या-735 व 736 चकबन्दी अधिकारी के आदेश, दिनांक 13-1-99 द्वारा चक नं0 552 में शामिल कर दिया गया है, यदि हां, तो क्यों? ग्राम समाज की उक्त भूमि को चक संख्या-552 में सम्मिलित किये जाने का आधार क्या है? क्या सरकार उक्त की जांच कराकर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए उक्त ग्राम समाज की भूमि को पुन: ग्राम समाज में दर्ज करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हां। ग्राम पंचायत त्रिपुरापुर नहीं बल्कि त्रिपुरारीपुर है।

गाटा संख्या-735 व 736 की मालियत लगाकर ग्राम समाज की भूमि चक में शामिल की गयी है।

चकबंदी अधिकारी के आदेश दिनांक 5-12-2005 के द्वारा ग्राम समाज की भूमि प्रश्नगत चक से खारिज करके ग्राम समाज में निहित की जा चुकी है। प्रकरण की जांच हेतु आदेश दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

सोनभद्र के बेलन नदी व इलाहाबाद के टोंस नदी के मार्ग पर बने सेतु पर लिये जा रहे टोल टैक्स को समाप्त किसे जाने की मांग

37-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह " मुन्ना "

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि सोनभद्र जिले के राबर्ट्सगंज से धोरावाल मार्ग पर बेलन नदी के सेतु एवं इलाहाबाद जिले के झांसी मिर्जापुर मार्ग पर टोंस नदी के सेतु पर वाहनों से वाहन कर (टोल टैक्स) की वसूली की जा रही है ? यदि हां, तो उसको कब तक समाप्त कर दिया जायेगा ? क्या इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी पंचायती राज विभाग के सह संयोजक श्री शशि भूषण दूबे (मिर्जापुर) का शिकायती पत्र दि0 27 जून, 05 दि0 27 जुलाई, 05 अधिशासी अभियन्ता, सोनभद्र तथा अधिशासी अभियन्ता इलाहाबाद को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

उक्त दोनों सेतुओं पर नियमानुसार ब्याज एवं अनुरक्षण व्यय सहित पुल की लागत की वसूली पूर्ण होने के उपरान्त ही सेतु को पथकर से मुक्त किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इलाहाबाद जिले के झांसी मिर्जापुर मार्ग पर टोंस सेतु राष्ट्रीय राजमार्ग पर अवस्थित है। अत: इस पर टोल टैक्स वसूली को समाप्त करने का अन्तिम निर्णय भारत सरकार द्वारा ही लिया जा सकता है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

38-श्रीमती विद्या चौधरी-

[2सरे शुक्र के अता0प्र0सं0-63 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद-प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के कतिपय मार्ग को लेपन स्तर तक बनाये जाने की मांग

39-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र, पट्टी का मार्ग सरसतपुर नेबादा एवं पूरेबंशीधर, कन्धईमधुपुर, अरघरा लाखीपुर, पर्वतपुर सुलेमान दीनदयाल योजना के अन्तर्गत किन-किन वर्षों में लेपन स्तर तक बनाया गया है? क्या यह सही है कि लेपन सतह अपेक्षित मानकों के अनुरूप न बनाकर धनराशि का दुरुपयोग किया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर लेपन सतह को सुनिश्चित करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

नेवादा आसपुर देवसरा एवं पूरे बंशीधर मार्ग, कन्धई मधुपुर मार्ग, अस्थरा मार्ग व पर्वतपुर सुलेमान लिंक मार्ग वर्ष 2001 तथा लाखीपुर सम्पर्क मार्ग वर्ष 2004 में लेपन स्तर तक पूर्ण किये जा चुके हैं।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद-बांदा स्टेडियम के टेलीफोन के बिल का प्रकरण

40-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह

क्या खेलकूद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जुलाई, 2000 से 31 अक्टूबर, 2004 तक बांदा स्थित स्टेडियम के टेलीफोन का बिल कितनी धनराशि का प्राप्त हुआ है? क्या यह सही है कि जिला क्रीड़ाधिकारी, बांदा द्वारा अपने व्यक्तिगत कार्य में उक्त टेलीफोन का अधिक उपयोग किये जाने तथा बिल जमा न करने के कारण टेलीफोन काट दिया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर इसके लिए दोषी क्रीड़ाधिकारी से धन की वसूली करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री आर0 के0 चौधरी-

जी हां। रुपया 57,082/= के बिल प्राप्त हुए।

जी नहीं। टेलीफोन चालू अवस्था में है।

क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी से जांच करा ली गयी है। टेलीफोन शासकीय कार्यों हेतु उपयोग किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-प्रतापगढ़, पट्टी क्षेत्र के लिए स्वीकृत धनराशि से अधूरे कार्यों को पूर्ण कराये जाने की मांग

41-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री/बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वान्चल विकास निधि के राज्यांश से जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के लिये स्वीकृत मार्ग निर्माण के अधूरे कार्य को पूर्ण कराने हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में मा0 मुख्य मंत्री का आदेश संख्या सी0एम0/वि0को0/एम0/102874/04, दिनांक 1-7-04 प्रमुख सचिव, नियोजन को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं, वरन् प्रश्नगत विषय पर पत्र संख्या-सी0एम0/वि0को0/एम0/102874/2004 दिनांक 01.07.2004 प्राप्त हुआ है।

अधूरे कार्यों हेतु धनराशि अवमुक्त करने की कार्यवाही वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

किसान सहकारी चीनी मिल सुल्तानपुर में गत वर्षों में गोदाम में खराब हो रही चीनी के सत्यापन की मांग

42-श्री ओम प्रकाश पाण्डेय-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किसान सहकारी चीनी मिल, सुल्तानपुर में पेराई वर्ष 2000-01, 2001-02, 2003-04, 2004-05 की चीनी गोदाम में पड़ी खराब हो रही है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार उसका सत्यापन कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

मण्डी परिषद के उप निदेशक द्वारा अपनी वेतन वृद्धि स्वंय लगाकर परिषद आदेशों की अवहेलना किये जाने सम्बन्धी पत्र पर कृत कार्यवाही

43-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह " मुन्ना "

क्या कृषि विपणन एवं विदेश व्यापार मंत्री को जानकारी है कि मण्डी परिषद् के दण्डादेश संख्या-143 दि0 11-6-2003 के विरुद्ध सम्बन्धित उप निदेशक (निर्माण) द्वारा अपनी वेतन वृद्धि स्वंय लगाकर परिषद् आदेशों की अवहेलना किये जाने के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री के आदेश संख्या-सी0एम0/वि0को0/एम-130305/05, दिनांक 4-8-05 द्वारा प्रमुख सचिव/सचिव, कृषि विपणन को कार्यवाही करने हेतु आदेश दिये गये थे? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कोई दण्डात्मक कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

निर्माण खण्ड बदायूं में निर्माण कार्यों में की गयी अनियमितता की जांच

43-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह " मुन्ना "

क्या कृषि विपणन एवं विदेश व्यापार मंत्री कृपया बतायेंगे कि मण्डी परिषद्, शाहजहांपुर में निर्माण कार्यों में की गयी अनियमितताओं की जांच एवं दण्डित करने की कार्यवाही कराने के आदेश मा0 मुख्य मंत्री जी के पत्रांक सी0एम0/वि0को0/एम-130288/05, दिनांक 4-8-05 द्वारा प्रमुख सचिव/सचिव, कृषि विदेश व्यापार को दिये गये थे? यदि हां, तो जांच में पाये गये आर्थिक क्षति की रिकवरी सम्बन्धित अभियन्ता से की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों? उक्त अभियन्ता के विरूद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां। निर्माण खण्ड, शाहजहांपुर का नहीं बल्कि निर्माण खण्ड, बदायूं के निर्माण कार्यों की अनियमितताओं की जांच कराये जाने के आदेश दिये गये थे।

जांच के उपरान्त दोषी पाये जाने पर आर्थिक क्षति की रिकवरी की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जांच के उपरान्त यथास्थिति कार्यवाही की जायेगी।

जनपद बाराबंकी के जिलाधिकारी कार्यालय व तहसील में प्रशासनिक अधिकारियों के रिक्त पदों को भरने की मांग

45-श्री अब्दुल मन्नान-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद बाराबंकी के जिलाधिकारी कार्यालय (कलेक्ट्रेट) तथा तहसील कार्यालयों में दिनांक 30-6-2005 तक प्रशासनिक अधिकारी के कितने पद रिक्त हैं? रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु अब तक क्या कोई कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? उक्त रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही कब तक पूर्ण कर ली जायेगी?

श्री अम्बिका चौधरी-

जिलाधिकारी कार्यालय (कलेक्ट्रेट) में पद रिक्त नहीं है। तहसील कार्यालय में चार पद रिक्त हैं।

रिक्त पदों को भरे जाने हेतु मण्डलायुक्त, फैजाबाद की पदोन्नति हेतु दिनांक 05-12-2005 को प्रस्ताव भेज दिया गया है।

पदोन्नति के फलस्वरूप रिक्त पदों पर शीघ्र तैनाती कर दी जायेगी।

बांदा स्टेडियम में आयोजित जूनियर बालक बालीबाल प्रतियोगिता में बरती गयी उदासीनता की जांच

46-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या खेलकूद मंत्री को यह जानकारी है कि दिनांक 28 अक्टूबर, 2004 से 30 अक्टूबर, 2004 तक बांदा स्टेडियम में आयोजित अन्तर्मण्डलीय जूनियर बालक बालीबाल प्रतियोगिता में जिला क्रीडाधिकारी, बांदा द्वारा बरती गयी उदासीनता के कारण खिलाड़ियों को भोजन तथा रहने की सुविधा उपलब्ध नहीं हो सकी थी? यदि हां, तो सरकार उक्त की जांच कराकर दोषी के विरूद्ध कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री आर0 के0 चौधरी-

निर्धारित मानक के अनुसार भोजन तथा आवास की सुविधा उपलब्ध करायी गयी थी।

क्षेत्रीय क्रीडाधिकारी, झांसी से जांच करायी गयी थी। जांच में कोई दोषी नहीं पाया गया।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में पूर्वांचल निधि के राज्यांश से स्वीकृत मार्गों को पूर्ण करने की मांग

47-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में पूर्वांचल निधि के राज्यांश से स्वीकृत सरसतपुर-नेवादा मार्ग-2 किमी0, अरईलामटपट्टी-महरूपुर मार्ग-6 किमी0, भीखमपुर-तेलियानी-लखनुडी मार्ग-7 किमी0 तथा रूर से लालगंज मार्ग-5 किमी0 का निर्माण कार्य शून्य से लेपन स्तर तक स्वीकृत लम्बाई तक पूर्ण कर लिये गये हैं? यदि नहीं, तो उक्त मार्गों को कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न में उल्लिखित मार्गों को पूर्ण किया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

जनपद-प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में पूर्वांचल विकास निधि के मार्गदर्शी मानक के अनुरूप सिद्धान्तों के अनुसार मार्गों की मरम्मत की मांग

48-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के तेरह मार्गों को मानक के अनुरूप पूर्वांचल विकास निधि राज्यांशों से बनाये जाने हेतु मुख्य मंत्री का पत्र संख्या सी0एम0/वि0को0/एम/85051/03 दिनांक 21-9-03 प्रमुख सचिव, नियोजन को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

पूर्वांचल विकास निधि के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार निधि से किसी भी प्रकार की मरम्मत एवम् अनुरक्षण सम्बन्धी कार्य अनुमन्य नहीं है, जहां तक राज्य सड़क निधि से मरम्मत कराये जाने का प्रश्न है यह वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद-गोरखपुर के गोलघर काली मन्दिर से असुरन चौक जाने वाली सड़क की मरम्मत कराये जाने की मांग

49-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर में गोलघर काली मन्दिर से असुरन चौक जाने वाली सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है? यदि हां, तो क्या प्रश्नगत सड़क का निर्माण अधोमानक स्तर का हुआ है? यदि हां, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है तथा उक्त सड़क की मरम्मत कब तक करा दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

जी नहीं।

सेतु निगम द्वारा निर्माणाधीन रेल उपरिगामी सेतु के निर्माण के दौरान मार्ग क्षतिग्रस्त होने के कारण कोई उत्तरदायी नहीं है। क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत का कार्य सेतु का निर्माण कार्य पूर्ण होते ही कराया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के मार्गों का निर्माण

50-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

विधान सभा के तृतीय सत्र 2004 के प्रथम गुरूवार को उत्तरित अतारांकित प्रश्न संख्या-89 के उत्तर के संबंध में क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी के मार्गों के निर्माण हेतु अपेक्षित संशोधित पुनरीक्षित आगणन प्राप्त हो गया है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

51-श्री आर0के0 सिंह पटेल-

[2सरे सोमवार के अता0 प्र0 सं0-185 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जिला चित्रकूट के गरीब किसानों को मुफ्त बीज दिये जाने की व्यवस्था

52-श्री आर0 के0 सिंह पटेल-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चालू वित्तीय वर्ष में जिला चित्रकूट में लघु सीमान्त (गरीब) किसानों को मुफ्त बीज दिये जाने हेतु व्यवस्था की गई है? यदि हां, तो जिले में कौन-कौन से बीज, कितनी-कितनी मात्रा में उपलब्ध कराये गये हैं तथा किस ब्लाक को कितना-कितना बीज वितरित किया गया है?

डा0 अशोक बाजपेयी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-चित्रकूट में बुन्देलखण्ड विकास निधि (जिलांश) को आवंटित धन तथा विकास कार्य

53-श्री आर0 के0 सिंह पटेल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-चित्रकूट को बुन्देलखण्ड विकास निधि (जिलांश) वर्ष 2005-06 में कुल कितना धन आवंटित किया गया है? क्या आवंटित धन से कराये जाने वाले कार्यों की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है? यदि नहीं, तो उक्त कार्यों हेतु कब तक स्वीकृति प्रदान कर कार्य प्रारम्भ कर दिये जायेंगे?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

रु0 185.64 लाख।

जी नहीं।

विधान सभा क्षेत्र कर्वी व आंशिक क्षेत्र नरैनी से मात्र प्राप्त प्रस्ताव पर स्वीकृति की कार्यवाही की जा रही है।

जनपद-चित्रकूट में बुन्देलखण्ड विकास निधि से लघु लिफ्ट बनाने एवं उसे उर्जीकृत किये जाने हेतु स्वीकृत धनराशि

54-श्री आर0 के0 सिंह पटेल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चित्रकूट में बुन्देलखण्ड विकास निधि (जिलांश) से ग्राम-नरायनपुर एवं ग्राम-देहरूद माफी में लघु लिफ्ट बनाने एवं उसे उर्जीकृत किये जाने हेतु धन स्वीकृत किया गया था? यदि हां, तो क्या उक्त दोनों कार्यों को पूर्ण कर लघु लिफ्ट चालू कर दी गयी है? यदि नहीं, तो क्यों और विलम्ब के क्या कारण है? क्या इसके लिये दोषीजनों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हाँ।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चित्रकूट में बुन्देलखण्ड विकास निधि से आवंटित धनराशि एवं कार्य की प्रगति

55-श्री आर0के0सिंह पटेल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चित्रकूट में बुन्देलखण्ड विकास निधि (जिलांश) से वर्ष 2004-05 में कुल कितना धन जिले को आवंटित किया गया था? आवंटित धन से कार्यों की स्वीकृति प्रदान करके किस कार्यदायी संस्था को किस कार्य हेतु कितना धन दिया गया है? स्वीकृत कार्यों में से अब तक कितने कार्यों को पूर्ण करा दिया गया है तथा अपूर्ण कार्यों को कब तक पूरा कर लिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जनपद चित्रकूट में बुन्देलखण्ड विकास निधि (जिलांश) से वर्ष 2004-05 में कुल रू0 185.64 लाख आवंटित किया गया था।

सूची संलग्न* है।

स्वीकृत सभी कार्य प्रगति पर है। अभी कोई भी कार्य पूर्ण नहीं है।

मार्च, 2006 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

उपरोक्तानुसार।

जिला बस्ती मेंहदावल-कप्तानगंज व तमकुही की क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत की मांग

56-श्री फतेह बहादुर सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती मेंहदावल-कप्तानगंज-तमकुही मार्ग (कि0मी0 72 से कि0मी0 87 तक) क्षतिग्रस्त है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मत करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

जी हां। मार्ग के क्षतिग्रस्त भाग के मरम्मत कराने का कार्य प्रगति पर है, जिसे मार्च, 2006 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

---

*देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 87 पर ।

जनपद महाराजगंज के विकास खण्ड पनियरा में रोहिन नदी पर निर्मित पुल के एप्रोच मार्ग का प्रस्ताव व आगणन

57-श्री फतेह बहादुर सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महाराजगंज के विकास खण्ड-पनियरा में रोहिन नदी पर मछलीगांव-लाला बड़हरा में उ0 प्र0 राज्य सेतु निगम द्वारा पूर्वांचल विकास निधि राज्यांश से वर्ष 2000 में निर्मित पुल के एप्रोच मार्ग का प्रस्ताव व आगणन मण्डलायुक्त, गोरखपुर द्वारा शासन को भेजा गया था? यदि हां, तो क्या उक्त पुल के एप्रोच मार्ग के निर्माण हेतु धन अवमुक्त कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां, किन्तु आगणन नियमानुसार व्यपगत हो चुका है।

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

जनपद आजमगढ़ के तहसील मेहनगर में डाक बगला बनवायें जाने की मांग

58-श्री मती विद्या चौधरी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ की मेहनगर तहसील में लोक निर्माण विभाग का डाक बंगला है? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त तहसील मुख्यालय पर डाक बंगला बनवायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ मुख्यालय पर निरीक्षण भवन/सर्किट हाउस पूर्व से निर्मित है। अत: मुख्यालय से 22 किमी0 की दूरी पर स्थित तहसील मेहनगर में डाक बंगले के निर्माण का औचित्य नहीं है।

जनपद बलिया के घाघरा नदी के खरीद-दरौली घाट एवं नरहन घाट पर पीपे का पुल बनवाने की मांग

59-श्री जियाउद्दीन रिजवी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया में घाघरा नदी के खरीद-दरौली घाट एवं नरहन घाट पर पीपा का पुल बनाने का प्रस्ताव शासन के विचारधीन है? यदि हां, तो खरीद-दरौली तथा नरहन घाट पर पीपे का पुल कब तक बनवा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

दोनों स्थलों पर पीपे के पुलों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। निर्माण हेतु आवश्यक कार्यवाही प्रगति पर है।

उपरोक्तानुसार।

जिला बाराबंकी के ग्राम लोहटीजई के गाटा संख्या 200 तथा 187 की जांच कराने संबंधी पत्र

60-श्री आर0के0 सिंह पटेल-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डा0 पूर्णमासी देहाती, सदस्य, विधान सभा का पत्र दिनांक 7-7-05 श्री आशुतोष मौर्य, स0वि0स0 का पत्र दिनांक 22 सितम्बर, 05 श्री शिवमंगल शरण त्रिवेदी, ग्राम लोहटीजई पर0 तह0 रामनगर, जिला बाराबंकी के प्रार्थना-पत्र के साथ इन्हीं के प्रार्थना-पत्र पर प्रमुख स्टाफ आफीसर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के आदेश सं0 494/पी0एस0ओ0/05, दिनांक 26-7-05 जोकि ग्राम लोहटीतई, पर0 तह0 रामनगर जिला बाराबंकी के गाटा संख्या 200 सम्पर्क मार्ग तथा गाटा संख्या 187 चक मार्ग की मिट्टी प्रेम नारायण द्विवेदी हिन्नू पुत्र श्री हरिहरशरण द्विवेदी आदि द्वारा रेलवे के ठेकेदार को रू0 50,000 में बेचे जाने की जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कोई कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हां।

जांचोपरान्त गाटा संख्या-200 पर कोई खनन नहीं पाया गया। गाटा संख्या-187 के आंशिक मांग से रेलवे विभाग द्वारा पटरी की मरम्मत हेतु थोड़ी मिट्टी निकाल ली गई थी, जिसे तत्कालीन ग्राम प्रधान द्वारा पटवा दिया गया था।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ फूलपुर के सार्वजनिक उपयोग की जमीन व तालाब-पोखरों आदि पर भू-माफियाओं द्वारा किये गये कब्जे की जांच

61-श्री राम कृपाल-

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि ग्राम बाग बहार तहसील-फूलपुर, जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत भू-माफियाओं द्वारा सार्वजनिक उपयोग की जमीन तालाब-पोखरों, भीटों, खलियानों, चक मार्गों पर अवैध कब्जा कर लिया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराकर भू-माफियाओं के विरूद्ध कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हां, ग्राम सभा के सार्वजनिक उपयोग की खलिहान की केवल भूमि सं0439 व 1620 पर अवैध कब्जा पाया गया। भूमि गाटा सं0 439 पर अवैध कब्जा दिनांक 26-11-2005 को हटवा दिया गया है। गाटा सं0 1620 पर अवैध कब्जेदारों को हटाने हेतु न्यायालय तहसीलदार/असिस्टेन्ट कले0

फूलपुर में बेदखली व क्षतिपूर्ति हेतु वाद लम्बित है। तालाब की भूमि गाटा सं0 551 व गाटा सं01193/1970 में अवैध कब्जा धारकों पर पूर्व से ही बेदखली वाद लम्बित है। ग्राम सभा की भूमि भीटा व चक मार्ग पर कोई अवैध अतिक्रमण नहीं पाया गया।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के ग्राम साड़े के पास सेतु निगम द्वारा निर्मित पुल एवं एप्रोच मार्ग आवागमन हेतु चालू कराने की मांग

62-श्री फतेह बहादुर सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती-मेंहदावल-कैम्पियरगंज-तमकुही राजमार्ग पर ग्राम साड़े के पास सेतु निगम द्वारा निर्मित पुल बनकर तैयार है? क्या एप्रोच मार्ग के अभाव में पुल प्रारम्भ नहीं हो पा रहा है? यदि हां, तो एप्रोच मार्ग का निर्माण कराकर पुल आवागमन के लिए कब तक चालू कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं ।

जी नहीं ।

सेतु/पहुँच मार्ग का निर्माण पूर्ण कराया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

बांसगांव, जनपद गोरखपुर में कतिपय मार्गों की मरम्मत की मांग

63-श्री फतेह बहादुर सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांसगांव, जनपद-गोरखपुर में बांसगांव-कौड़ीराम, बांसगांव-माल्हनपार, बांसगांव-सरसोपार, बांसगांव-भीटी-गौर मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे आवागमन में असुविधा होती है? क्या इन मार्गों की मरम्मत के लिये शासन से धन स्वीकृत किया गया है? यदि हां, तो उक्त मार्ग की मरम्मत कब तक करा दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है, किन्तु आवागमन हो रहा है।

बांसगांव-कौड़ीराम एवं बांसगांव-माल्हनपार मार्ग (अन्य जिला मार्गों के भाग) पर मरम्मत के लिए धन स्वीकृत किया गया है।

उपरोक्त मार्गों की मरम्मत का कार्य मार्च, 2006 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है तथा अवशेष मार्गों की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-बलिया में सड़कों के निर्माण एवं नवीनीकरण हेतु अवमुक्त धनराशि

64-श्री जियाउद्दीन रिजवी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जनपद में वर्ष 2004-05 में सड़कों के निर्माण, नवीनीकरण एवं नई सड़कों को बनाने के लिए कितना धन अवमुक्त किया गया है? क्या निर्माण निगम, गोरखपुर एवं जौनपुर की इकाई द्वारा सड़कों का निर्माण कराया जा रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार सिकन्दरपुर-तुर्तीपार मार्ग, सिकन्दरपुर-मनियर मार्ग, सिकन्दरपुर-बलिया मार्ग को निर्माण निगम को हस्तानान्तरण करके निर्माण कार्य प्रारम्भ करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जनपद बलिया में वर्ष 2004-05 में सड़कों के निर्माण हेतु रु0 501.21 लाख एवं नवीनीकरण मद में रु0 36.92 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

जी हां।

जी नहीं।

कार्यों का सम्पादन लोक निर्माण विभाग द्वारा विशिष्टयों के अनुरूप कराया जा रहा है।

जनपद-बलिया के सिकन्दरपुर क्षेत्र की सड़क/पुलों को बनाने हेतु पूर्वांचल विकास निधि से अवमुक्त की गयी धनराशि

65-श्री जियाउद्दीन रिजवी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वांचल विकास निधि से बलिया जनपद के सिकन्दरपुर विधान सभा क्षेत्र के लिए वर्ष 2005 में कितना धन अवमुक्त किया गया है। क्या सिकन्दपुर विधान सभा क्षेत्र की सड़क/पुलों को बनाने का प्रस्ताव ग्रामीण अभियंत्रण सेवा बलिया को मण्डलायुक्त कार्यालय से प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो धन कब तक अवमुक्त कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

वर्ष 2005 में पूर्वांचल विकास निधि (जिलांश) में रु0 21.538 लाख की धनराशि मण्डलायुक्त द्वारा स्वीकृत की गयी है जिसके सापेक्ष रु0 15.08 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है। पूर्वांचल विकास निधि (राज्यांश) के अंर्तगत कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

तीन परियोजनाओं के प्रस्ताव वर्ष 2004-05 में ही मण्डलायुक्त, आजमगढ़ के पत्र दिनांक 7-2-2005 द्वारा शासन में प्राप्त हुये हैं।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार ।

आदर्श जनपद योजनान्तर्गत निर्मित जनपद बुलन्दशहर में मार्ग शिकारपुर से खुर्जा के क्षतिग्रस्त मार्गों के मरम्मत की मांग

66-श्री मुंशी लाल गौतम-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि आदर्श जनपद योजना के अर्न्तगत निर्मित जनपद-बुलन्दशहर में मार्ग शिकारपुर से जहांगीराबाद तथा शिकारपुर से खुर्जा मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे आवागमन में असुविधा होती है? यदि हां, तो उक्त मार्गों की मरम्मत कब तक करा दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है, आवागमन बाधित नहीं है।
मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।
प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर के मेरठ बदायूँ रोड से क्षतिग्रस्त खैलिया रिवाड़ा सम्पर्क मार्ग के निर्माण की मांग

67-श्री मुंशीलाल गौतम-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद-बुलन्दशहर के मेरठ बदायूं रोड से खैलिया रिवाड़ा सम्पर्क मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे आवागमन में असुविधा होती है? यदि हां, तो उक्त मार्ग की मरम्मत कब तक करायी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है, आवागमन बाधित नहीं है।
मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।
प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-बुलन्दशहर के अनूपशहर रोड से क्षतिग्रस्त शिवाली, सलेमपुर सम्पर्क मार्ग का मरम्मत कराने की मांग

68-श्री मुंशीलाल गौतम-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि बुलन्दशहर अनूपशहर रोड से शिवाली, सलेमपुर सम्पर्क मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है जिससे आवागमन में असुविधा होती है? यदि हां, तो उक्त मार्ग का मरम्मत कार्य कब तक करा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है, आवागमन बाधित नहीं है।
मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।
प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-आजमगढ़ के ब्लाक मेहनगर में ग्राम डीहा बाजार मार्ग पर पुल का निर्माण कार्य

69-श्रीमती विद्या चौधरी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-आजमगढ़ में ग्राम डीहा बाजार मार्ग ब्लाक मेहनगर में पुल का निर्माण कार्य अधूरा है? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक पूरा करा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

मार्च 2006 तक।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-आजमगढ़ के मेंहनगर बाजार स्थित क्षतिग्रस्त मण्डी स्थल के निर्माण की मांग

70-श्रीमती विद्या चौधरी-

क्या कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार मंत्री बताने की कपा करेंगे कि जनपद-आजमगढ़ के मेहनगर बाजार में स्थित मण्डी स्थल क्षतिग्रस्त हो गया है? यदि हां, तो उक्त स्थल का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-आजमगढ़ के मेंहनगर बाजार में मण्डी परिषद् द्वारा मण्डी स्थल निर्मित नहीं है। अत: मण्डी स्थल के क्षतिग्रस्त होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद-सहारनपुर के कतिपय ग्रामों के लोगों द्वारा किया गया रेत का अवैध खनन

71-डा0 सुशील चौधरी-

क्या भूतत्व एवं खनिकर्म मंत्री को जानकारी है कि पिछले 2 वर्ष से गंगोह ब्लाक जनपद-सहारनपुर के ग्राम कुन्डाकला, ग्राम-दौलतपुर उर्फ शाह अलीपुर, ग्राम डबकोला कला तथा नागल राजपूत में कुछ लोगों द्वारा रेत का अवैध खनन यमुना नदी से किया जा रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराकर दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-इलाहाबाद की भूमिधरी भूमि की आराजी सं0 805, 806, 809 व 823 पर हो रहे अवैध सड़क निर्माण को रोकने सम्बन्धी पत्र

72-डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनांक 27-10-05 जोकि ग्राम बेरई, पो0 गारापुर, जिला-इलाहाबाद की भूमिधरी भूमि की आराजी सं0 805, 806, 809 व 823 क, ख पर अनियमित, अवैध ढंग से हो रहे सड़क निर्माण को रोकने के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? क्या यह सही है कि मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने दिनांक 3-10-2005 के आदेश द्वारा सड़क निर्माण पर रोक भी लगा दी है? यदि हां, तो क्या सरकार सड़क निर्माण कराये जाने के दोषी लोंगो के विरुद्ध कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हां ।

मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के स्थगन आदेश दिनांक 3-10-2005 के क्रम में सड़क निर्माण की कार्यवाही रोक दी गयी है। वर्तमान में कोई निर्माण नहीं हो रहा है।

जी हां।

मुख्य विकास अधिकारी, इलाहाबाद के पत्रांक संख्या 1354/तद्दिनांक 5-5-2005 द्वारा सड़क निर्माण का कार्य दिया गया था जो मा0उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 3-10-05 द्वारा स्थगनादेश देने के उपरान्त सड़क निर्माण का कार्य रोक दिया गया। प्रकरण न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है।

प्रदेश में गन्ना क्रय केन्द्रों पर लिंक रोड़ के निर्माण की मांग

73-श्री जगदीश नारायण राय-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गन्ना क्रय केन्द्रों पर लिंक रोड़ के निर्माण का प्राविधान है? यदि हां, तो इस मद में वर्ष 2004-05 व 2005-06 में कुल कितना धन खर्च हुआ? क्या सरकार इस अवधि में निर्मित मार्गों का सत्यापन करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में चीनी मिलों द्वारा खरीदे गये गन्ने के मूल्य का भुगतान

74-श्री जगदीश नारायण राय-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2004-05 में प्रदेश में चीनी मिलों द्वारा खरीदे गये गन्ने के मूल्य का भुगतान कर दिया गया है? क्या चीनी मिल रसड़ा, घोसी, औराई की चीनी मिलों

द्वारा खरीदे गये गन्ना मूल्य का भी भुगतान कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

पेराई वर्ष 2004-05 में प्रदेश में निजी क्षेत्र की 02 चीनी मिलों अगौता व मझावली के अतिरिक्त शेष समस्त चीनी मिलों द्वारा खरीदे गये गन्ने के मूल्य का शत-प्रतिशत भुगतान किया जा चुका है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ में विधान सभा क्षेत्र फूलपुर के सड़कों की मरम्मत के सम्बन्ध में पत्र

75-श्री राम नरेश यादव-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दि0 4-10-05 जो विधान सभा क्षेत्र फूलपुर जनपद -आजमगढ़ की सड़कों की मरम्मत के सम्बन्ध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

सड़कों की मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद-गोरखपुर के धर्मशाला ओवर ब्रिज के निर्माण को पूर्ण कराने की मांग

76-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर के धर्मशाला ओवरब्रिज का निर्माण कार्य अधूरा है? यदि हां, तो उक्त निर्माण कब तक पूरा करा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

माह दिसम्बर, 2005 तक सेतु का कार्य पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

तहसील बांसगांव, जनपद-गोरखपुर में तहसील मुख्यालय के जीर्ण-शीर्ण भवन के निर्माण की मांग

77-श्री फतेह बहादुर सिंह-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील-बांसगांव, जनपद-गोरखपुर में तहसील मुख्यालय का भवन काफी पुराना एवं जीर्ण-शीर्ण है? यदि हां, तो क्या सरकार तहसील भवन के

निर्माण के लिये धन की व्यवस्था करके भवन का निर्माण करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हां।

राजस्व परिषद् से प्रस्ताव प्राप्त कर कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़, विकास खण्ड मगरौरा में मार्गों की स्वीकृत किये जाने का प्रस्ताव

78-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 कृषि विविधीकरण परियोजना के अधीन जनपद-प्रतापगढ़ के विकास खण्ड मंगरौरा में कार्य अधीक्षक, अस्थायी विभागीय निर्माण इकाई (मार्ग) लोक निर्माण विभाग, इलाहाबाद द्वारा अपने पत्र सं0 1426/पी0आर0जी0-3 दिनांक 24-9-04 द्वारा चार मार्गों को स्वीकृत किये जाने के प्रस्ताव यू0पी0 डास्प एवं मुख्य अभियन्ता लोक निर्माण को भेजे गये, प्राप्त हुए? क्या इसी सम्बन्ध में अधि0अभि0, लोक निर्माण प्रान्तीय खण्ड, प्रतापगढ़ का पत्र सं0 2789/2 सी-02, दिनांक 27-9-02 भी उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

सन्दर्भित पत्र अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, प्रतापगढ़ द्वारा कार्य अधीक्षक, डास्प खण्ड, इलाहाबाद को ही प्रेषित किया गया था। अतएव प्राप्त होने का प्रश्न नहीं उठता।

(1) पत्र संख्या-1426/पी0आर0जी0 दिनांक 24-09-2002 में इंगित मार्गों का विवरण निम्नवत् है :-

1-कोडहौर पट्टी मार्ग से उतरास मार्ग वाया बाहूपुर

यह मार्ग मण्डी परिषद् द्वारा निर्माणाधीन था, अतएव इसे परियोजना में सम्मिलित करना सम्भव नहीं था।

2-लखीपुर मोड़ से नरहरपुर मार्ग

डास्प योजना के अन्तर्गत केवल उन्हीं मार्गों की विस्तृत योजना बनाने के निर्देश थे, जिन पर मार्ग निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध थी। इस मार्ग पर भूमि विवाद था तथा कुछ भाग में मा0 न्यायालय से स्थगन के कारण नियमानुसार इसकी विस्तृत परियोजना बनाना संभव नहीं था।

3-मदाफरपुर से हरदोई लिंक मार्ग :-

4-नरायणपुर क्रासिंग से मुजाही मार्ग :-

डास्प योजना के अन्तर्ग क्र0सं0 3 व 4 के मार्गों का निमार्ण कार्य कराया गया है।

(2) अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 के पत्र संख्या-2789/1सी दि0 27-09-02, जो कार्य अधीक्षक, अस्थाई विभागीय निर्माण इकाई (मार्ग) डास्प योजना, इलाहाबाद को संबोधित था, में उक्त क्षेत्र के 03 अन्य मार्गों को अत्यधिक क्षतिग्रस्त बताया गया था तथा यह भी उल्लेख किया

गया था कि संसाधनों की कमी के कारण इसका पुनर्निर्माण सम्भव नहीं है। उपरोक्त मार्गों को डास्प योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कराया जाना संभव नहीं हुआ।

डास्प योजना का प्रथम चरण मार्च, 2004 में समाप्त हो चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के किसानों को सूखा राहत धनराशि उपलब्ध कराने की मांग

79-श्री सुखदेव राजभर-

क्या राजस्व मंत्री बताने कि कृपया करेंगे कि ग्राम-कनैला, करनहट, तहसील-सदर, जनपद आजमगढ़ के कितने किसानों को वर्ष 2004-05 में सूखा राहत धनराशि दिये जाने हेतु चयन किया गया है? क्या चयनित किसानों को सूखा राहत धनराशि की चेक उपलब्ध करा दी गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्बिका चौधरी-

333 किसानों का चयन किया गया है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला बाराबंकी के श्री शिव मंगल शरण त्रिवेदी निवासी लोहटीजई के आबादी की भूमि को ग्राम.प्रधान व लेखपाल द्वारा गलत पट्टा करने सम्बन्धी पत्र की जानकारी

80-श्री कोविद कुमार सिंह-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री शिव मंगल शरण त्रिवेदी पुत्र श्री रामचरन त्रिवेदी निवासी ग्राम लोहटीजई, परगना व तहसील-रामनगर, बाराबंकी की आबादी की भूमि गाटा सं0 314 क को तत्कालीन ग्राम प्रधान व लेखपाल द्वारा गलत तरीके से गांव के ही लोंगो को पट्टा कर दिये जाने के सम्बन्ध में श्री जगदीश नारायण राय, सभापति, आश्वासन समिति का पत्र सं0 489 दि0 9-8-05 एवं पत्र सं0 506 दि0 23-8-05 मा0 मुख्य मंत्री तथा श्री शरदवीर सिंह, विधायक का पत्र दिनांक 28-7-05, अध्यक्ष राजस्व परिषद् श्री रामेश्वर सिंह यादव, विधायक का पत्र दि0 6-9-05 प्रमुख सचिव, राजस्व को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उन पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हां।

जांचोपरान्त पुरानी आबादी गाटा संख्या 314 का कोई पट्टा स्वीकृत होना नहीं पाया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

देवरिया से कसया मार्ग पर बने परनवा पुल के मरम्मत की मांग

81-श्री दीनानाथ कुशवाहा-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि देवरिया से कसया मार्ग पर बना परनवा पुल क्षतिग्रस्त हो गया है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षतिग्रस्त पुल की मरम्मत करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

उक्त क्षतिग्रस्त पुल की मरम्मत सम्भव नहीं है। क्षतिग्रस्त पुल के स्थान पर नया सेतु बनाया जाना प्रस्तावित है, जिसका निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-कन्नौज में अवैध रुप से शराब व अन्य मादक पदार्थों की बिक्री पर रोक

82-श्री विजय बहादुर पाल-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद कन्नौज में अवैध रूप से शराब व अन्य मादक पदार्थों की बिक्री हो रही है? यदि हां, तो क्या सरकार इसे रोकने हेतु कोई प्रभावी कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं, किन्तु संदिग्ध स्थान अवश्य है, जिन पर सतत् निगरानी रखी जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

क्योंकि प्रभावी प्रवर्तन कार्य पहले से ही चल रहा है।

वाराणसी के श्री शिव प्रसाद गुप्त कालोनी तथा महेशनगर की कच्ची सड़कों को हाट मिक्स प्लांट से निर्माण कराने की मांग

83-श्री श्याम देव राय चौधरी-

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विधायकों की संस्तुति पर उनके क्षेत्र में 05 किमी0 सड़क निर्माण योजनान्तर्गत वाराणसी में प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र में श्री शिव प्रसाद गुप्त कालोनी तथा महेश नगर के कच्ची सड़कों को हाटमिक्स प्लांट से निर्माण कराये जाने हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्ताव/आगणन बनाकर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृत हेतु शासन को भेजा गया है? क्या उक्त सड़कों की स्वीकृति एवं धन अवमुक्त किये जाने हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र दि0 5-10-05 प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उक्त सडकों का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

जी हां।

वित्तीय स्वीकृति हेतु कार्यवाही शासन में विचाराधीन है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में ऊसर भूमि को उर्वर बनाने का लक्ष्य

84-श्री विजय बहादुर पाल-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ऊसर भूमि को उर्वर बनाने के लिए सरकार द्वारा कोई योजना बनायी गयी है? यदि हां, तो प्रदेश में कुल कितनी हेक्टेयर ऊसर भूमि है? ऊसर भूमि को उर्वर बनाने के लिए इस वर्ष क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 अशोक बाजपेयी-

जी हां। प्रदेश में ऊसर भूमि सुधार हेतु भूमि सुधार निगम द्वारा विश्व बैंक तथा ई0ई0सी0 वित्तीय पोषित योजना एवं कृषि विभाग द्वारा भूमि सेना योजना चलाई जा रही है।

प्रदेश में वर्तमान में 5.62 लाख हेक्टेयर ऊसर भूमि है।

इस वर्ष उत्तर प्रदेश भूमि निगम द्वारा 10,000 हेक्टेयर तथा कृषि विभाग द्वारा 10,000 हेक्टेयर कुल 20,000 हेक्टेयर ऊसर भूमि को सुधारने का लक्ष्य है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-आजमगढ़ में बेसों नदी पर पुल निर्माण कराने की मांग

85-श्रीमती विद्या चौधरी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-आजमगढ़ के ग्राम कम्मरपुर ब्लाक ठेकमा में राजभर बस्ती मार्ग के बेसों नदी पर पुल न होने से लोगों को आवागमन में काफी परेशानी हो रही है? यदि हां, तो क्या सरकार बेसो नदी पर पुल का निर्माण करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

ग्राम कम्मरपुर के पास लगभग 1.00 किमी0 अपस्ट्रीम में ग्राम सिन्दूरी के पास बेसों नदी पर एक दीर्घ सेतु का निर्माण स्वीकृत है, जिसके निर्माण से ग्राम कम्मरपुर के वासियों को भी आवागमन की सुविधा उपलब्ध हो जायेगी। प्रदेश सरकार के सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण इतने कम अन्तराल पर अन्य सेतु का निर्माण औचितयपूर्ण नहीं है।

जनपद-हरदोई के कस्बा बेनीगंज में शमशान हेतु ग्राम समाज की आवन्टित भूमि पर हुए अवैध निर्माण को हटाये जाने की मांग

86-श्री अब्दुल मन्नान-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के कस्बा बेनीगंज में ग्राम समाज

के गाटा संख्या-2115 शमशान (सु0) जमीन दर्ज है? यदि हां, तो क्या उक्त जमीन पर राजस्व/चकबन्दी विभाग के अधिकारियों द्वारा श्री जगदीश गुप्ता को अनु0 जाति/भूमिहीन दर्शा कर 122 बी (4एफ) का अनुचित लाभ देकर उस पर अवैध निर्माण करा दिया गया है? क्या उक्त अवैध निर्माण हटाये जाने हेतु राजस्व मंत्री द्वारा दिनांक 23-3-2005 को जिलाधिकारी, हरदोई को आदेश दिये गये हैं? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों? क्या इस सम्बन्ध में स्थानीय जनता द्वारा दिनांक 13 जून, 2005 को जिला अधिकारी, हरदोई को अवैध कब्जा हटाने के सम्बन्ध में ज्ञापन दिया गया है? यदि हां, तो उक्त ज्ञापन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हां।

चकबंदी अधिकारी, हरदोई द्वारा उक्त जमीन पर धारा-9क(2) के अन्तर्गत वाद संख्या-1330/सी0ओ0 आदेश दिनांक 21-8-05 द्वारा श्री जगदीश प्रसाद पुत्र श्रीराम को असंक्रमणीय भूमिधर घोषित किया गया है।

संदर्भगत वर्णित अवैध निर्माण नियमानुसार हटाने के संबंध में तत्काल कार्रवाई कर अवगत कराने के आदेश मा0 राजस्व मंत्री जी द्वारा दिये गये हैं।

राज्य सरकार/गाँव सभा की ओर से निगरानी संख्या-444/429/ दिनांक 9-6-96 उ0प्र0 सरकार बनाम जगदीश प्रसाद न्यायालय उप संचालक चकबंदी, हरदोई विचाराधीन है। मा0 उच्च न्यायालय ने जगदीश प्रसाद द्वारा दायर रिट याचिका संख्या-4028 (एस0एस0)/2005 में पारित आदेश दिनांक 18-7-05 द्वारा उक्त निगरानी में अन्तिम आदेश पारित न करने के आदेश दिये हैं। इस कारण स्थल पर निर्माण यथावत है।

उपरोक्तानुसार।

जी हां।

न्यायालय उप संचालक चकबंदी, हरदोई में विचाराधीन निगरानी में अन्तिम आदेश किये जाने पर मा0 न्यायालय के आदेश दिनांक 18-7-2005 द्वरा रोक लगी होने के कारण कार्यवाही नहीं की गयी। रिट याचिका में प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

87-डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

[2सरे सोम के अता0प्र0सं0-187 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद-प्रतापगढ़ के जिला योजना में स्वीकृत कार्यों को पूर्ण कराये जाने की जानकारी

88-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में जिला योजना के अन्तर्गत वर्ष 2000 से अब तक स्वीकृत किये गये कार्य क्या पूर्ण करा दिये गये? यदि नहीं, तो कौन-कौन से कार्य अपूर्ण हैं? क्या आर0आई0डी0एफ0-7 में स्वीकृत सभी कार्य पूर्ण हो गये हैं? यदि नहीं, तो क्यों? उक्त कार्य कब तक पूर्ण करा दिये जायेंगे?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जिला योजना में स्वीकृत कुल 06 कार्यों में से 05 कार्य पूर्ण करा दिये गये हैं तथा 01 कार्यमदनामऊ चिलावां मार्ग अपूर्ण है। आर0आई0डी0एफ0-7 में स्वीकृत कुल 10 कार्यों में से 09 कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा 01 कार्य-बेहटा लिंक मार्ग का छूटा भाग अपूर्ण है। उक्त अपूर्ण मार्गों पर कार्य प्रगति पर है तथा निर्माण कार्य मार्च, 2006 तक पूर्ण कराये जाने का लक्ष्य है।

जनपद-प्रतापगढ़ के सरसतपुर रमईपुर से लालगंज के मार्ग को लेपन स्तर तक पूर्ण कराने की मांग

89-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के मार्ग सरसतपुर रमईपुर नेवादा तथा रूर से लालगंज 5 कि0मी0 जो शासनादेश संख्या पू0 11/2611/35-5-01-05 (29)2000-76, दिनांक 27-12-02 द्वारा स्वीकृत है? उक्त मार्ग को लेपन स्तर तक कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

प्रश्न में उल्लिखित मार्गों को पूर्ण किया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है। प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-प्रतापगढ़ एस0आर0पी0-2 योजना में स्वीकृत कार्यों को प्रारम्भ कराने की मांग

90-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एस0आर0पी0-2 योजना में स्वीकृत मार्ग बेला-पट्टी-ढकवा जनपद प्रतापगढ़ का कार्य कब से प्रारम्भ कराया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

निर्माण कार्य अप्रैल/मई, 2006 से प्रारम्भ कराया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद -प्रतापगढ़ में पूर्वांचल विकास निधि से प्राप्त धनराशि से कराये गये कार्यों की जानकारी

91- श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वांचल निधि के राज्यांश से जनपद प्रतापगढ़ में शासनादेश संख्या पू0 60/आ 150/2002/35-5-02, दिनांक 27-1-03 द्वारा स्वीकृत मार्ग अरैला-भाट पट्टी महरूपुर 6 किमी0 नाले पर पुल एवं भीखमपुर तेलियानी लखनूडीह 7 कि0मी0 पर मार्गवार कुल कितनी धनराशि अवमुक्त की गयी है तथा अवमुक्त राशि से क्या कार्य कराये गये हैं? शेष कार्य कब तक पूर्ण करा दिये जायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

प्रश्न में उल्लिखित अरैला-भाट पट्टी महरूपुर मार्ग लम्बाई 6 कि0मी0 हेतु रू0 15.00 लाख एवं भीखमपुर तेलियानी लखनूडीह मार्ग लम्बाई 7 कि0मी0 हेतु रू0 15.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई है। अरैला-भाट पट्टी महरूपुर मार्ग लम्बाई 6 कि0मी0 संरेखण परिवर्तित हो जाने के कारण परिवर्तित संरेखण के अनुसार निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है तथा भीखमपुर तेलियानी लखनूडीह मार्ग लम्बाई 7 कि0मी0 के सापेक्ष 1.250 कि0मी0 लम्बाई में मार्ग 2 भागों में लेपन स्तर तक किया गया है।

उपर्युक्त मार्गों को पूर्ण कराया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-अम्बेदकरनगर के ग्राम रघुनाथपुर के सती चौरा के चारों ओर के अवैध कब्जे को हटाने की मांग

92-श्री राम करन आर्य-

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद अम्बेदकरनगर की तहसील अकबरपुर के ग्राम रघुनाथपुर थाना बेवाना में (भिखारिन दाई माता) सती चौरा जिस पर स्थानीय लोगों की धार्मिक आस्था है, के आसपास लोगों द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार सती चौरा के चारों ओर के अवैध कब्जा को हटवाने और दोषी लोगों के विरूद्ध कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हां।

(भिखारिन दाई माता) सती चौरा/प्राचीन मन्दिर से संलग्न भूमि पर पास पडोस के निवासियों ने इस्तेमाल शुदा ईंट का मलवा एकत्र कर रखा था जिसे ग्राम वासियों की उपस्थिति में सम्बन्धित लोगों द्वारा स्वप्रेरणा पर दिनांक 26-11-2005 को हटा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला बाराबंकी के ग्राम लोहटीजई के गाटा सं0 256 पर पूर्व ग्राम प्रधान द्वारा किये कब्जे को हटवाने हेतु पत्र

93-श्री भगेलू राम-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा लोहटीजई परगना व तहसील रामनगर, जिला बाराबंकी की आबादी गाटा सं0 256 पर पूर्व प्रधान द्वारा किये गये अबैध कब्जे को हटवाने हेतु श्री सोमारू राम सरोज, स0वि0स0 का पत्र दिनांक 5-1-2005 मा0 मुख्य मंत्री जी को तथा श्री जगदीश नारायण राय, सभापति, आश्वासन समिति विधान सभा का पत्र सं0 456 दिनांक 12-7-2005 प्रमुख सचिव, राजस्व एवं श्री शिवमंगल शरण त्रिवेदी, निवासी ग्राम-लोहटीजई, परगना, तहसील-रामनगर, जिला बाराबंकी का पत्र दिनांक 1-11-04 मा0 राजस्व मंत्री को प्राप्त हुये हैं? यदि हां, तो क्या उक्त अवैध कब्जे को खाली करा दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हां।

पैमाइश में गाटा संख्या 256 पर पूर्व प्रधान का अवैध कब्जा नहीं पाया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में सूखा राहत के अन्तर्गत तहसील फूलपुर, आजमगढ़ के किसानों को आर्थिक सहायता की मांग

94-श्री नरेन्द्र शिशौदिया-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2002-03 में प्रदेश में सूखा राहत के अन्तर्गत किसानों को कुल कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की गयी? क्या मा0 मुख्य मंत्री जी यह बतायेंगे कि जनपद-आजमगढ़, फुलपुर-तहसील में ग्राम-कोहरौली के किसानों को यूनियन बैंक आफ इण्डिया फूलपुर का चेक सं0 0118729/दि0 3-4-03 रु0 1500.00 चेक संख्या 0118726/दि0 3-4-03 रु0 1500.00 तहसीलदार फूलपुर-आजमगढ़ द्वारा निर्गत किया गया था? यदि हां, तो क्यों उक्त चेकों का भुगतान हो चुका है? क्या इस सम्बन्ध में भारतीय मजदूर संघ उ0 प्र0 के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री अजय सिंह का पत्रांक 821/दि0 7-8-04, पत्रांक 718/दि0 6-7-04, पत्रांक 1254/दि0 18-12-03, पत्रांक 818/दि0 6-8-04 मा0 मुख्य मंत्री जी, जिलाधिकारी/आयुक्त आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ, तहसीलदार फूलपुर-आजमगढ़ को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी तथा कास्तकारों को उनके चेकों का भुगतान कब तक करा दिया जायेगा?

श्री अम्बिका चौधरी-

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद-खीरी के निघासन से पलिया तक के क्षतिग्रस्त मार्गों को ठीक कराने की मांग

95-श्री आर0 एस0 कुशवाहा-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद खीरी के निघासन से पलिया तक का मुख्य मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है? यदि हां, तो सरकार इस क्षतिग्रस्त मार्ग को कब तक ठीक करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मार्ग का आंशिक भाग क्षतिग्रस्त है।

मार्ग के आबादी भाग को छोड़कर शेष भाग में मरम्मत का कार्य प्रगति में है, जिसे शीघ्र पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद-खीरी में लखीमपुर से शारदा बैराज तक के क्षतिग्रस्त मार्ग को ठीक कराये जाने की मांग

96-श्री आर0 एस0 कुशवाहा-

क्या लोक निर्माण मंत्री को यह जानकारी है कि जनपद खीरी में लखीमपुर से शारदा बैराज

तक मुख्य मार्ग टूटकर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग को ठीक कराये जाने हेतु कोई कार्यवाही करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

जी हां।

स्वीकृत भाग की मरम्मत का कार्य प्रगति पर है, जिसे शीघ्र पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। शेष कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद-खीरी की नगर पालिका पलियां चौकी से दुधवा तिराहा के क्षतिग्रस्त मार्गो के मरम्मत की मांग

97-श्री आर0एस0 कुशवाहा-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद खीरी की नगर पालिका, पलियां में मुख्य चौकी से दुधवा तिराहा तक 01 कि0मी0 सड़क क्षतिग्रस्त हो गयी है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत करायेगी? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मार्ग आंशिक लम्बाई में क्षतिग्रस्त है।

क्षतिग्रस्त भाग की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

लो0नि0वि0 गोरखपुर के श्री विन्देश्वरी प्रसाद गुप्ता, प्रयोगशाला सहायक को प्रोन्नत वेतनमान दिये जाने की जानकारी

98-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या लोक निर्माण विभाग के खण्डों में कार्यरत प्रयोगशाला सहायकों को 24 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर द्वितीय प्रोन्नत वेतनमान 8000-275-13500 स्वीकृत कर दिया गया है? यदि हां, तो क्या श्री विन्देश्वरी प्रसाद गुप्ता, प्रयोगशाला सहायक, निर्माण खण्ड-2 (प्र0प्र0) लो0नि0वि0, गोरखपुर को भी उक्त वेतनमान दे दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों और इसे कब तक दे दिया जायेगा?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां।

जी नहीं ।

शासनादेश सं0-4161/23-7-2005-151(सा)/04, लो0नि0अनु0-7 दि0-20.10.05 के अनुसार इन्हें देय नहीं है।

99-डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

[2सरे सोम के अता0 प्र0सं0 - 188 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट नैनी के छात्र/छात्राओं पर आग्नेयास्त्र से की गयी फायरिंग की जानकारी

100-डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि 30 अगस्त, 2005 की रात को इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, नैनी, इलाहाबाद के छात्र एवं छात्राओं पर विश्वविद्यालय के सुरक्षा कर्मियों द्वारा कई राउण्ड गोलियां चलाई गई जिसमें कई छात्र बुरी तरह घायल हो गये थे? क्या यह सही है कि जबरन छात्र एवं छात्राओं को रात में ही विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा छात्रावासों से निकाला गया? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव-

दिनांक 30-08-2005 की रात्रि 11 बजे इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के प्रशासन द्वारा हास्टल बन्द करने की नोटिस जारी की गयी। छात्रों द्वारा विरोध किये जाने पर सुरक्षा कर्मियों द्वारा हास्टल में रह रहे छात्र/छात्राओं पर आग्नेयास्त्र से फायरिंग की गयी जिसमें 05 छात्र घायल हो गये।

जी हाँ।

घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना नैनी में दर्ज करायी गयी है। वैधानिक जॉच प्रचलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

शाहजहांपुर के शहीद देवेन्द्र सिंह यादव के परिवार को सहायता व पट्टे पर जमीन देने का प्रकरण

101-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दि0 13 मई, 2005 को शहीद देवेन्द्र सिंह यादव के परिवार को सहायता तथा पट्टे पर शाहजहांपुर में जमीन देने के सम्बन्ध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्बिका चौधरी-

सूचना एकत्र की जा रहीं है।

जनपद - अम्बेदकर नगर के जहांगीरगंज राजबाहे की पुलिया बनवाने का प्रकरण

102-श्री जयराम विमल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेदकर नगर के जहांगीर गंज राजबाहे पर इन्दईरपुर बाजार में राजबाहे की पुलिया टूट गयी है? यदि हां, तो उसे कब तक बनवा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

पुलिया आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हैं परन्तु यातायात चालू है।

पुलिया की मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।
उपरोक्तानुसार।

जनपद रायबरेली के ग्राम कटघर में कृषि भूमि का पट्टा कराने में हुई अनियमितता की जाँच

103-श्री बीजू पटनायक-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-रायबरेली की तहसील-डलमऊ में ग्राम कटघर में कृषि भूमि का पट्टा किये जाने में हुई अनियमितता की जांच जिलाधिकारी, रायबरेली द्वारा वर्ष 2003 में की गई थी? क्या जांच आख्या प्राप्त हो गई है? यदि हां, तो दोषी राजस्व कर्मियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हां।
जी हां।
सम्बन्धित लेखपाल के विरूद्ध आरोप पत्र देकर विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है।

जनपद सन्त रविदास नगर के ग्राम धनवतियां के तालाब की भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने की मांग

104-श्री राम करन आर्य-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम धनवतियां तहसील औराई जनपद सन्त रविदास नगर की आराजी नं0 एक तालाब है और भूलेख में भी तालाब दर्ज है और उस तालाब के पूर्वी भाग के भीटे को समतल कर ग्राम के दबंग लोगों ने अतिक्रमण कर उस पर मकान बना लिया है? यदि हॉ, तो क्या उपरोक्त तालाब की भूमि से अतिक्रमण हटाया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी नहीं ।
प्रश्न नहीं उठता।
प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी के ग्रामों में ग्राम समाज की भूमि के आंवटन सम्बन्धी पत्र पर कृत कार्यवाही की मांग

105-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी की ग्राम सभा रायपुर, पुरेवशीधर सरौली, रामपुरबेला तथा अन्य ग्राम समाओं के ग्राम समाज की भूमि के आवंटन के सम्बन्ध में उपजिलाधिकारी, पट्टी द्वारा दिनांक 1-1-2004 से अब तक किये गये नियम विरूद्ध निर्णयों की जांच हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 क-1/233618, दिनांक 16-6-05, ख-3/171441,

दिनांक 21-6-05, ख-3/271442, दिनांक 21-6-05, क-1/233616, दिनांक 20-6-05 तथा ख-3/271424, दिनांक 1-7-05, मुख्य सचिव, उ0 प्र0 की प्राप्त हुये हैं? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हां। प्रकरण की जांच हेतु जिलाधिकारी प्रतापगढ़ को निर्देशित कर दिया गया है। जांच आख्या प्राप्त होने पर कार्यवाही की जायेगी।

जनपद-प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी के ग्रामों की ग्राम समाज की भूमि के आवंटन के संबंध में नियम विरूद्ध निर्णयों के संबंध में पत्र

106-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी के उपजिलाधिकारी द्वारा ग्राम सरौली, पूरेबंशीधर, इटवा नोही, बिझला विनयका, अनदेवरी, मिटार, लबेदा, सैलखा, बीबीपुर, सुजान पट्टी, सोनपुरा, हर्रई पट्टी, उदईइ शाहपुर इधनईपुर सहित इअन्य ग्रामों की ग्राम समाज की भूमि के आवंटन के सम्बन्ध में नियम विरूद्ध उनके द्वारा किये गये निर्णय के सम्बन्ध में उन्हें तथा प्रमुख सचिव, राजस्व को मुख्य मंत्री का आदेश सं0 सी0एम0/वि0को0/एम/127904/05, दिनांक 5-7-05 तथा प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या- ख-3/069854, दिनांक 12-7-05 तथा पत्र सं0 ख-3/271418, दिनांक 21-6-05 प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है? क्या उसकी जांच करायी गयी ? यदि हां, तो जांच में क्या तथ्य प्रकाश में आये और दोषी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्बिका चौधरी-

सूचना एकत्र की जा रही है।

उ0 प्र0 लोक निर्माण विभाग में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को समायोजित करने की मांग

107-श्री जगदीश नारायण राय-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख अभियन्ता, उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग के आदेश पत्रांक-23 पी0 डब्लू/1626 एम0 टी0/52 एम-23/89 दिनांक 4-4-1989 द्वारा क्या दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को जिन्होंने लगातार तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, समायोजित कर लिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? उक्त कर्मचारियों को कब तक समायोजित कर लिया जायेगा?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जिन दैनिक मस्टररोल कार्मिकों ने दिनांक-01-04-89 तक निरन्तर तीन वर्ष कार्य कर लिया था, ऐसे दैनिक कार्मिकों को पुनः समायोजित कर लिया गया है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद-प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी के ग्रामों में ग्राम समाज की भूमि पर नियम विरूद्ध किये गये निर्णयों के संबंध में जानकारी

108-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी के उपजिलाधिकारी द्वारा ग्राम सरौली, पूरेबंशीधर, इटवा नोही, बिझला विनयका, अनदेवरी, भिटार, लबेदा, सैलखा, बीबीपुर, सुजान पट्टी, सोनपुरा, हर्रई पट्टी, उदई शाहपुर धनईपुर सहित अन्य ग्रामों की ग्राम समाज की भूमि के सम्बन्ध में नियम विरूद्ध किये गये निर्णय के सम्बन्ध में उन्हें तथा प्रमुख सचिव, राजस्व की मुख्य मंत्री का आदेश सं0 सी0एम0/वि0को0/एम/127904/05, दिनांक 5-7-05 तथा प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या- ख-3/069854, दिनांक 12-7-05, ख-3/069070 दिनांक 12-7-05, ख-3/069852 दिनांक 12-7-05, ख-3/271424 दिनांक 1-7-05, क-1/233618 दिनांक 16-6-05, ख-3/271441 दिनांक 21-6-05, क-1/233622 दिनांक 21-6-05, ख-3/271424 दिनांक 1-7-05, ख-3/271418, दिनांक 21-6-05 प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्बिका चौधरी-

प्रकरण की जांच हेतु जिलाधिकारी प्रतापगढ़ को निर्देश दिये गये हैं। जांच आख्या प्रतीक्षित है।

(12 बजकर 29 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुयी।)

श्री कृष्णानन्द राय की हत्या विषयक नियम 311 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर पहले चर्चा कराने की मांग (क्रमागत)

नेता विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन)-

हमने जो नियम 311 में नोटिस दिया था उस पर क्या हुआ?

श्री अध्यक्ष-

मैंने नियम-311 पर दो घंटे की चर्चा स्वीकार कर ली है। आप खुद भिज्ञ है नियम-311 नियमों को निलम्बित करने का आवेदन होता है। नियम-311 का मतलब यह नहीं कि कोई विषय है उसमें चर्चा दें।

श्री हुकुम सिंह-

नियम-311 की बात छोड़ दें लेकिन जो हमारी सूचना है उसमें हमने एक आग्रह किया है कि सारी घटना की सी0बी0आई0 की जांच करा ली जाए। नेता सदन है चर्चा न कराएं लेकिन इतनी मांग है कि इस घटना की, इस कांड की सी0बी0आई0 की जाँच करा दी जाए। इतनी मांग हमारी मान ली जाए, हमारा आग्रह है उनके परिवार वालों ने आग्रह किया है इस मामले की सी0बी0आई0 की जाँच करा लें।

संसदीय कार्य नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आज़म खां)-

12.30 पर जो मद है उसको ले लें।

व्यवधान)

(भाजपा के सदस्य डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, श्री सलिल विश्नोई श्री मुंशी लाल गौतम, श्री धर्मपाल सिंह, डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, श्री सुरेश तिवारी श्री सतीश महाना, श्री सुरेश कुमार खन्ना आदि सदन के फ्लोर पर आ गए और हत्यारों की यह सरकार बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, विधायक की हत्या की जांच सी0बी0आई0 से कराओ के नारे लगाने लगे।)

वित्तीय वर्ष 2005-2006 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों की मांगों के विवरण का प्रस्तुतिकरण†

संसदीय कार्य नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आज़म खां)-

मान्यवर मैं आपकी अनुज्ञा से वित्तीय वर्ष 2005-2006 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों की मांगों का विवरण प्रस्तुत करता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

प्रतियां बंटवा दें।

(प्रतियां बांटी गयीं)

श्रीमती सुमन पाण्डेय गोरखपुर के परिवाद संख्या-4286-2002 (गोरखपुर) में लोक आयुक्त के प्रतिवेदन तथा विशेष प्रतिवेदन के परिपेक्ष्य में शासन का स्पष्टीकरण ज्ञापन †

सिंचाई मंत्री (श्री मुन्ना सिंह चौहान)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से श्रीमती सुमन पाण्डेय गोरखपुर के परिवाद संख्या-4286-2002 (गोरखपुर) में मा0 लोक आयुक्त के प्रतिवेदन संख्या-14-2003, दिनांक 17 जून, 2003 में उल्लिखित संस्तुतियों के सम्बन्ध में विशेष प्रतिवेदन संख्या-1/2004 के परिप्रेक्ष्य में शासन का स्पष्टीकरण ज्ञापन को उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा-12 (5) व (7) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ।

यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0 के वार्षिक प्रतिवेदन 2002-2003 †

सिंचाई मंत्री (श्री मुन्ना सिंह चौहान)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0 के वार्षिक प्रतिवेदन 2002-03 को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए की उपधारा (2) की अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूँ।

---

†छापा नहीं गया।

उत्तर प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण (आठवां संशोधन) नियमावली, 2005†

संसदीय कार्य नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आज़म खां)-

मान्यवर मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण (आठवां संशोधन) नियमावली, 2005, को खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा-31 (2) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ।

(विपक्ष के सदस्य सदन के फ्लोर पर नारे लगा रहे थे तुष्टिकरण की नीति बंद करो, बंद करो, विधायक हत्याकांड की सी0बी0आई0 जाँच कराओ, जाँच कराओ)

कार्मिक अनुभाग-2 की अधिसूचना ††

संसदीय कार्य नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आज़म खां)-

मान्यवर मैं आपकी अनुज्ञा से कार्मिक अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-4/1/2002-का-2-2005, दिनांक 10 अक्टूबर, 2005 तथा अधिसूचना संख्या-4/1/2002-का-2-(1) 2005, दिनांक 10 अक्टूबर, 2005 को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा-21-क की उपधारा (1) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तर प्रदेश कृषि उधार (संशोधन) विधेयक, 2005

प्रमुख सचिव विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूँ कि उत्तर प्रदेश कृषि उधार (संशोधन) विधेयक, 2005 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 23 नवम्बर, 2005 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद से बिना किसी संशोधन के दिनांक 25 नवम्बर, 2005 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) विधेयक, 2005

प्रमुख सचिव विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूँ कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) विधेयक, 2005 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 23 नवम्बर, 2005 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद से बिना किसी संशोधन के दिनांक 25 नवम्बर, 2005 को वापस प्राप्त हो गया।

---

†छापी नहीं गयी।

††छापा नहीं गया।

उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्व शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2005

प्रमुख सचिव विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूँ कि उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्व शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2005 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 24 नवम्बर, 2005 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद से बिना किसी संशोधन के दिनांक 25 नवम्बर, 2005 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्व शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2005

प्रमुख सचिव विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषणा करता हूँ कि उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2005 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 24 नवम्बर, 2005 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 24 नवम्बर, 2005 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 27 नवम्बर, 2005 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2005 का उत्तर प्रदेश का तेईसवां अधिनियम बन गया।

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तर प्रदेश कृषि उधार (संशोधन) विधेयक, 2005

प्रमुख सचिव विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषणा करता हूँ कि उत्तर प्रदेश कृषि उधार (संशोधन) विधेयक, 2005 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 23 नवम्बर, 2005 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 24 नवम्बर, 2005 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 29 नवम्बर, 2005 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2005 का उत्तर प्रदेश का चौबीसवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) विधेयक, 2005

प्रमुख सचिव विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषणा करता हूँ कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) विधेयक, 2005 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 23 नवम्बर, 2005 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 24 नवम्बर, 2005 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 29 नवम्बर, 2005 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2005 का उत्तर प्रदेश का पच्चीसवां अधिनियम बन गया।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या - 10, 11 में कुछ नहीं है।

(व्यवधान के मध्य)

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 05 दिसम्बर, 2005 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 05 दिसम्बर, 2005 से 24 जनवरी, 2006 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिशें की हैं:-

1- दिनांक 5 दिसम्बर, 2005 को केवल निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचना ली जाय तथा प्रश्नकाल न हो और नियम 51, 56, 300, 301 एवं 311 के अन्तर्गत सूचनाएं न ली जायं।

2- दिनांक 5 दिसम्बर, 2005 से 24 जनवरी, 2006 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नवत् रखा जाय :-

दिसम्बर, 2005

05 सोमवार — निधन की सूचना अर्थात निधन के निर्देश।

06 मंगलवार, 07 बुधवार — बैठक नहीं होगी ।

08 गुरूवार

1- 12.30 बजे अपराह्न

वित्तीय वर्ष 2005-2006 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों का प्रस्तुतिकरण।

2- (क) श्री श्याम लाल रावत, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित निम्नलिखित प्रस्ताव पर एक घण्टे की चर्चा :-

"यह सदन केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के आन्दोलन के इतिहास में 'चौकीदार चपाती आन्दोलन' के अप्रतिम संघर्ष के इतिहास को अंकित किया जाय।"

(ख) डॉ0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर एक घण्टे की चर्चा :-

"इस सदन का निश्चित मत है कि उत्तर प्रदेश राज्य में कन्या भ्रूण हत्या पर अविलम्ब प्रभावी रोक लगायी जाय।"

(ग) श्री प्रमोद कुमार सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर एक घण्टे की चर्चा :-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में पुलिस कर्मियों एवं वैतनिक होमगार्ड के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भांति अवैतनिक होमगार्ड के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भी सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष कर दी जाय।"

09 शुक्रवार — वित्तीय वर्ष 2005-2006 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य चर्चा एवं मांगों पर मतदान तथा तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन उस पर विचार एवं उसका पारण।

दिसम्बर, 2005

10 शनिवार
11 रविवार
12 सोमवार
13 मंगलवार
14 बुधवार
15 गुरूवार
16 शुक्रवार
17 शनिवार
18 रविवार
19 सोमवार — बैठक नहीं होगी।

20 मंगलवार
21 बुधवार — विधायी कार्य।

22 गुरूवार — बैठक नहीं होगी।

23 शुक्रवार — असरकारी दिवस।

24 शनिवार
25 रविवार — बैठक नहीं होगी।

26 सोमवार
27 मंगलवार — विधायी कार्य।

28 बुधवार
29 गुरूवार
30 शुक्रवार
31 शनिवार

जनवरी, 2006

01 रविवार
02 सोमवार
03 मंगलवार
04 बुधवार
05 गुरूवार
06 शुक्रवार — बैठक नहीं होगी।

जनवरी, 2006

07 शनिवार 08 रविवार 09 सोमवार 10 मंगलवार 11 बुधवार 12 गुरूवार 13 शुक्रवार 14 शनिवार 15 रविवार 16 सोमवार	बैठक नहीं होगी।
17 मंगलवार 18 बुधवार 19 गुरूवार	विधायी कार्य।
20 शुक्रवार	असरकारी दिवस।
21 शनिवार 22 रविवार	बैठक नहीं होगी।
23 सोमवार 24 मंगलवार	विधायी कार्य।

(व्यवधान जारी)

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि यह सदन कार्य- मंत्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा दी गयी है, से सहमत है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से सदन सहमत है?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

प्रदेश के किसानों को डी0ए0पी0 उर्वरक खाद की आपूर्ति न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री प्रमोद कुमार, श्री राम नरेश यादव, श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह 'मुन्ना', श्री प्रदीप माथुर तथा श्री राम इकबाल सिंह द्वारा नियम-56 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर कृषि मंत्री के वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी, एक लाइन पढ़िए।

कृषि मंत्री (डॉ0 अशोक बाजपेयी)-

प्रदेश के किसानों को अपनी फसलों की बुवाई के लिए डी0ए0पी0 की रासायनिक उर्वरक की....

(वक्तव्य स्थगित किया गया)

डाक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि संस्थान, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2005†

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से डाक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि संस्थान, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2005 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि डाक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि संस्थान, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2005 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से डाक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि संस्थान, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2005 को पुर:स्थापित करता हूँ।

उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई विधेयक, 2005†

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई विधेयक, 2005 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई विधेयक, 2005 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई विधेयक, 2005 को पुर:स्थापित करता हूँ।

सदन में शान्ति बनाये रखने तथा मुख्य मंत्री का विचार सुनने हेतु श्री अध्यक्ष का नेता, विरोधी दल से अनुरोध

श्री अध्यक्ष-

कार्य-स्थगन का प्रस्ताव।

---

†दिनांक 29-12-2005 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

(व्यवधान के मध्य मुख्य मंत्री जी बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष-

मुख्य मंत्री जी खड़े हैं, आप लोग उनकी बात सुन लीजिए। आप से मेरा आग्रह है, मुख्य मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं, उनकी बात सुन लीजिए।

(वेल में आए हुए भारतीय जनता पार्टी के सदस्य "विधायक हत्या काण्ड की सी0बी0आई0 जाँच करो, जाँच करो", "तुष्टीकरण बन्द करो, बन्द करो," "विधायक के हत्यारों को फाँसी दो, फाँसी दो," के नारे लगा रहे थे)

(मुख्य मंत्री जी पुन: बोलने के लिए खड़े हुए)

मुख्य मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं आप लोग अपने स्थान पर चले जायें। मुख्य मंत्री जी को आप लोग सुन लें। आप लोग अपने स्थानों पर चले जायें।

(व्यवधान जारी)

(घोर व्यवधान के मध्य)

माननीय नेता विरोधी दल, मेरा आपसे आग्रह है कि आप अपने माननीय सदस्यों को वापस बुला लें।

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)-

अध्यक्ष महोदय, आप समझ रहे होंगे कि एक विधायक की हत्या होने के बाद भारतीय जनता पार्टी कितना गम्भीर है? यह केवल यहाँ राजनीति करना चाहते हैं। हम बहस के लिए तैयार हैं। आइए बहस करिए। बहस में आप तर्क रखें। सी0बी0आई0 जांच के पक्ष में आप तर्क रखें और दूसरी तरफ हम अपना पक्ष रखें। अगर आप बहस करके सहमत करते हैं कि सी0बी0आई0 की जांच उचित है तो हम सहमत हो जाएंगे। आप सुन लीजिए कि हम सी0बी0आई0 की जांच क्यों नहीं चाहते हैं। मान्यवर, इन्हें केवल राजनीति करनी है, इससे इन्हें कोई लाभ होने वाला नहीं है और जो कुछ यह कर रहे हैं यह अपराधियों को बचाना है। सरकार अपराधियों को सजा देगी। फांसी या कारागार की सजा तो न्यायालय देगा। मैं कहना चाहता हूं कि यह पूरी तरह से हत्यारों को बचाने के पक्ष में हैं। मेरा सीधा आरोप है। इन्होंने मस्जिदें तोड़ी हैं। यह दंगा कराना चाहते हैं। अगर हिम्मत हैं तो बहस करो मैं चुनौती के साथ कहूँगा कि यह लोग अपराधियों को बचाने वाले लोग हैं । मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। आप दंगा कराने के लिए और अपराधियों को बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। यह अपराधियों से मिले हुए हैं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं। आप उन्हें सुन लें।आप अपनी सीटों पर जायें। माननीय नेता विरोधी दल, माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा, कि कल इस पर चर्चा करा ली जाय परसों बातें आ जाएंगी और उसमें पता चल जाएगा कि क्या सी0बी0आई0 जांच करा ली जाए या

नहीं। आप अपनी जगहों पर चले जायें कल चर्चा करा लीजिए । अगर चर्चा में वह स्थिति बनेगी तो देख लीजिएगा । मेरा आपसे आग्रह है कि आप अपनी सीटों पर चलें जायें।

(घोर व्यवधान जारी)

नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2005 को नियम-301 के अंतर्गत सदन के संज्ञान में लाने हेतु कुल 19 सूचनाएं प्राप्त हुई। प्राप्त सूचनाओं में से निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाऐं स्वीकार की गई-

पहली सूचना श्री राम चन्द्र यादव की जनपद फैजाबाद के विकास खण्ड अमानीगंज स्थित राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के भवन का निर्माण तथा उसको उच्चीकृत करके इण्टरमीडिएट की मान्यता देने के सम्बन्ध में है, स्वीकृत की जाती है। दूसरी सूचना श्री शिशुपाल सिंह यादव की जनपद एटा के नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की सुचारू व्यवस्था कराने के सम्बन्ध में है, स्वीकृत की जाती है। तीसरी सूचना श्रीमती विद्या चौधरी की जनपद आजमगढ़ के मेंहनगर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सभा देवकली रामगढ़ में मगई नदी पर पुल बनवाने के सम्बन्ध में है, स्वीकृत की जाती है। चौथी सूचना डा0 रमेश चन्द्र बिन्द की जनपद मिर्जापुर के मझवां क्षेत्रान्तर्गत कछवा में राजकीय कन्या बालिका विद्यालय का निर्माण कार्य पूरा कराने के सम्बन्ध में है, स्वीकृत की जाती है, पांचवी सूचना श्री दद्दू प्रसाद की जनपद चित्रकूट में बरदहा नदी में बनाए गए चेक डेम तथा रपटा के घटिया निर्माण की टी0ए0सी0 से जांच कराने के सम्बन्ध में है, स्वीकृत की जाती है। छटी सूचना चौधरी महेंद्र सिंह की जनपद अलीगढ़ के विकास खण्ड लोधा अंतर्गत मडराक माइनर पर पुल बनवाने के सम्बन्ध में है, स्वीकृत की जाती है। सातवीं सूचना डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर की प्रदेश के स्कूल-कालेजों में खेलों को बढ़ावा योजना के सम्बन्ध में है, स्वीकृत की जाती है । आठवीं सूचना डा0 विनोद तिवारी की जनपद पीलीभीत के पूरनपुर में स्वीकृत 132 के0बी0ए0 विद्युत सब स्टेशन के रूके निर्माण कार्य को पूरा कराये जाने के सम्बन्ध में है, स्वीकृत की जाती है। नवीं सूचना श्री मुंशी लाल गौतम की जनपद बुलन्दशहर में राजकीय कृषि फार्म शिकारपुर को धन अवमुक्त करने के सम्बन्ध में है, स्वीकृत की जाती है। दसवीं सूचना श्री कौशल किशोर की जनपद लखनऊ के मोहनलालगंज क्षेत्रान्तर्गत रानीखेड़ा से लालता खेड़ा सड़क का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, स्वीकृत की जाती है । ग्यारहवीं सूचना श्री परमेश्वर दयाल की जनपद सोनभद्र को सूखाग्रस्त घोषित करते हुए किसानों को उचित मुआवजा देने के सम्बन्ध में है, स्वीकृत की जाती है । बारहवीं सूचना श्री नवाब सिंह नागर की जनपद गौतमबुद्ध नगर अंतर्गत दादरी रेलवे फाटक पर ओवर ब्रिज बनवाने के सम्बन्ध में है, स्वीकृत की जाती है । तेहरवीं सूचना श्री राम नरेश यादव की जनपद आजमगढ़ के फूलपुर क्षेत्रान्तर्गत सभी क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, स्वीकृत की जाती है । चौदहवीं सूचना श्री जगदीश नारायण राय की जनपद जौनपुर के बयालसी क्षेत्रान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में नए राशन कार्ड बनवाने की कार्यवाही शुरू करने के सम्बन्ध में है, स्वीकृत की जाती है । पन्द्रहवीं सूचना श्री मुकुल उपाध्याय की जनपद अलीगढ़ के इगलास क्षेत्रान्तर्गत मुंसिफ न्यायालय हेतु दो मुंसिफ मजिस्ट्रेट

एवं स्टाफ के पदों का सृजन करने के सम्बन्ध में है, स्वीकृत की जाती है।- उक्त स्वीकृत सूचनाएँ पढ़ी मानी जाती हैं।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएँ अस्वीकृत हुई- श्री प्रभु दयाल वाल्मीकि, श्री पूर्णमासी देहाती, श्री राम करन आर्य, श्री सुरेश कुमार खन्ना।

(स्वीकृत सूचनाएँ पढ़ी हुई मानी गयी।)

फैजाबाद के विकास खण्ड अमानीगंज स्थित राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के भवन का निर्माण तथा उसको उच्चीकृत करके इण्टरमीडिएट की मान्यता देने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राम चन्द्र यादव-

[महोदय सदन के माध्यम से मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए यह अवगत कराना चाहूंगा कि जनपद फैजाबाद की तहसील मिल्कीपुर विकास खण्ड अमानीगंज के अर्न्तगत राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की स्थापना लगभग 15 वर्ष पूर्व में सरकार द्वारा की गयी थी। उक्त विद्यालय की स्थापना के पीछे सरकार की यह मंशा थी कि बालिकाओं को बेहतर शिक्षा दीक्षा आदि की व्यवस्था करने की प्रबल इच्छा होती परन्तु 15 वर्षों के उपरान्त भी अभी तक उपरोक्त राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के भवन की कोई व्यवस्था नहीं हुई है जबकि इस सम्बन्ध में मेरे द्वारा इस समस्या के समाधान हेतु शासन का निरन्तर ध्यान आकृष्ट कराया गया है। परन्तु अभी तक न तो उपरोक्त विद्यालय हेतु भवन के निर्माण के लिए सरकार द्वारा धनराशि दी गयी है और न ही उपरोक्त विद्यालय का उच्चीकृत करके इण्टरमीडिएट तक बालिकाओं की शिक्षा-दीक्षा हेतु व्यवस्था की गई है। जिससे क्षेत्रीय जनता में भयंकर असंतोष व्याप्त है। उक्त विद्यालय में ग्रामीण क्षेत्रों के दूर दराज अंचलों से बालिकायें शिक्षा ग्रहण करने हेतु आती हैं। इस विद्यालय की शिक्षा-दीक्षा उच्च कोटि की है।

अत: कृपया इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर मैं व्यवस्था की मांग करता हूं कि उक्त विद्यालय के भवन तथा उच्चीकृत करके इन्टरमीडिएट तक मान्यता प्रदान करने तथा उत्तर माननीय मुख्य मंत्री जी से दिलाने की कृपा करें।]

जनपद एटा के नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की सुचारू व्यवस्था कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

(श्री शिशुपाल सिंह यादव)-

[महोदय एटा नगर में पेयजल की आपूर्ति करने वाली पाइपलाइन काफी पुरानी एवं जीर्ण-शीर्ण स्थिति में है पाइप लाइनें जगह-2 से टूट गई है। जिससे पीने का पानी घरों तक नहीं पहुंच पाता है इसके साथ-साथ नगर की आबादी भी काफी बढ़ चुकी है मगर पाइप लाइन पुरानी है। जिसमें पुरानी पाइप लाइन पीने के पानी की सप्लाई सही नहीं दे पा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में एक एरिया ऐसा

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है जहां पर खारा पानी निकलता है, वहां पर इण्डिया मार्का-2 हैण्डपाइप भी कार्य नहीं करता है। उनमें भी खारा पानी निकलता है ग्राम फफोतू, ग्राम चक्करी एवं ग्राम निघौली खुर्द में पानी की टंकी लगी है जिनसे लगभग 100 ग्रामों को पानी की आपूर्ति की जाती है, परन्तु विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से नही मिलने के कारण एवं ट्यूब्लों पर आपरेटर न रहने के कारण ग्रामीण जनता को पीने का पानी नहीं मिल पाता है ग्राम फफोतू पर जो पीने के पानी की टंकी (ट्यूबेल) लगी है, उसका पानी भी खारा निकलता है जिससे आम जनता में रोष व्याप्त है।

पेयजल की समस्या के निदान हेतु ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति 12-14 घंटे दी जाय, ग्राम फफोतू के ट्यूबेल (टंकी) को दूसरी जगह लगाया जाय जिससे खारा पानी जनता को पीने को मिलता है, पुरानी पड़ी पाइप लाइन को बदला जाय, प्रत्येक ट्यूबेल पर आपरेटरों को हर समय रखा जाय। शहर में भी बढ़ी हुई जनसंख्या को देखते हुए पाइपलाइन को बदला जाय एवं इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प और लगवाये जाय।

अत: मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए क्षतिग्रस्त पेयजल लाइन के बदलने पेयजल पम्प सेटों के विद्युत कटौती से मुक्त रखने की मांग करता हूँ।]

आजमगढ़ के मेंहनगर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सभा देवकली रामगढ़ में मगई नदी पर पुल बनवाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती विद्या चौधरी-

[महोदय मेरे विधान सभा क्षेत्र मेहनगर जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत ग्राम सभा देवकली रामगढ़ विकास खण्ड-मेहनगर में मगई नदी पर पुल न होने के कारण जनता को आवागमन में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। जिससे क्षेत्रीय जनता एवं राहगिरों में काफी आक्रोश एवं असंतोष व्याप्त है।

अत: इस लोकहित के अविलम्बनीय विषय पर मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए मगई नदी पर पुल निर्माण कराये जाने की माँग करती हूँ।]

मिर्जापुर के मंझवा क्षेत्रान्तर्गत कछवा में राजकीय कन्या बालिका विद्यालय का निर्माण कार्य पूरा कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

***डा0 रमेश चन्द्र बिन्द-**

[महोदय जनपद मिर्जापुर के विकास खण्ड-मंझवा के अन्तर्गत कछवा में राजकीय कन्या बालिका विद्यालय का निर्माण पूर्वान्चलविकास राज्यांश से वर्ष 2001 में कार्य प्रारम्भ हुआ जिसकी बिल्डिंग बनकर तैयार है। फिनिशग बाकी है। उक्त निर्माण में लगभग 86 लाख रुपये व्यय हो चुके हैं। परन्तु विद्यालय लगभग चार पांच वर्षों से निर्माणाधीन है पैसे के अभाव में उक्त विद्यालय अभी तक बनकर तैयार नहीं हो पाया है। जिससे वहां के अनेकों छात्र/छात्राओं को शिक्षा ग्रहण करने हेतु बहुत दूर जाना पड़ता है। जिससे अभिभावकों में काफी रोष एवं असंतोष व्याप्त है।

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अत: इस लोक हित के अविलम्बनीय प्रश्न पर मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त विद्यालय का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद चित्रकूट में बरदहा नदी में बनाये गये चैक डैम तथा रपटा के घटिया निर्माण की टी0ए0सी0 से जाँच कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

***श्री ददू प्रसाद-**

[महोदय बुन्देलखण्ड विकास निधि राज्यांश 2002-03 से जनपद चित्रकूट में बरदहा नदी में ग्राम चमरौंहा तथा रानीपुर कल्याणगढ़ में चैकडैम तथा रपटा का निर्माण स्वीकृत किया गया था। नियोजन विभाग द्वारा लघु सिंचाई विभाग बाँदा को कार्यदायी संस्था नामित किया गया था। उक्त रपटा कम चैक डैम निर्माण का कार्य अत्यन्त घटिया स्तर का कराया गया है। मजदूरों को मजदूरी का भुगतान पूरा नहीं किया गया तथा उसी नदी की धूल मिश्रित बालू लगायी गयी है। जबकि कागजातों के केन नदी बदौसा घाट की बालू लाना दर्शाया गया है पत्थर भी अवैध तरीके से बिना सरकारी अनुमति के कार्य स्थल की सरकारी जमीन से निकाल कर लगाया गया है प्राक्कलन में दर्शायी सामग्री नहीं लगायी गयी। बालू सीमेंट का अनुपात 14:1 लगाया गया है। अधिशाषी अभियन्ता लघु सिंचाई बाँध ने लगभग 20 लाख रुपये सरकारी धन को अपने घर में ही रख लिया है।

यह विषय भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है लोक महत्व का है कार्य निर्माणाधीन है, अविलम्बनीय है। अत: जनता की मांग है कि उक्त निर्माण कार्यों की जांच टी0ए0सी0 से कराकर निर्माण में व्यय की गयी धनराशि का मूल्यांकन कराकर शेष गबन की गयी धनराशि दोषी अधिकारियों से वसूल की जाये तथा अभियोग पंजीकृत कराकर कानूनी कार्यवाही की जाय।

लोक महत्व के इस तात्कालिक विषय पर शासन का ध्यानाकर्षण कराने का कष्ट करें।]

अलीगढ़ के विकास खण्ड लोधा अन्तर्गत मडराक माइनर पर पुल बनवाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

चौधरी महेन्द्र सिंह-

[महोदय जनपद अलीगढ़ के तहसील कौल विकास खण्ड-लोधा के अन्तर्गत ग्राम ल्हौसरा विसावन के समीप मडराक माईनर पर पुल बनवाये जाने हेतु शासन से स्वीकृति प्रदान की गई थी। उक्त पुल निर्माण हेतु विभाग द्वारा सामान भी पहुँचा दिया गया था परन्तु विभाग द्वारा उक्त पुल का निर्माण कार्य न कराकर सामान को दूसरी जगह पहुँचा दिया गया है। मडराक माईनर पर पुल का निर्माण न होने के कारण किसानों को अपनी खेती करने हेतु न तो ट्रैक्टर आ जा सकता है। और न ही किसान जा सकते है। जिससे किसान अपनी खेती को नहीं कर पर रहे हैं। इसको लेकर क्षेत्रीय जनता एवे किसानों में काफी रोष एवं असंतोष व्याप्त है।

अत: इस लोकहित के अविलम्बनीय विषय पर मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए **मडराक माईनर पर पुल निर्माण तत्काल कराये जानें की मांग करता हूँ।]**

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रदेश के स्कूल-कालेजों में खेलों को बढ़ावा योजना के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

[महोदय उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् ने वर्ष 2005-06 के लिए हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षा में क्रीड़ा परीक्षा अनिवार्य कर दिया है, जो छात्र क्रीड़ा परीक्षा में पास नहीं होगा उसे उच्च शिक्षा में प्रवेश से वंचित होना पड़ेगा । जबकि वस्तुस्थिति यह है कि 60 प्रतिशत विद्यालयों में क्रीड़ा शिक्षक ही नहीं है, और वित्तविहीन विद्यालयों में तो 90 प्रतिशत स्कूल क्रीड़ा शिक्षकों से खाली पड़े हैं। उ0प्र0 शासन ने 7 अक्टूबर 2005 के पत्र से पद-सृजन की प्रक्रिया प्रारम्भ की है, जबकि सत्र समाप्त की ओर अग्रसर है तथा परीक्षायें भी सिर पर हैं। क्रीड़ा शिक्षा में ग्रेड़िग योजना लागू करना छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है।

विद्यालयों में प्रति छात्र कक्षा 6 से 8 में पढ़ने वालों से 20 पैसे, 9-10 के छात्रों से 30 पैसे एवं 11-12 के छात्रों से 40 पैसे क्रीड़ा शुल्क लिया जाता है। यह शुल्क राशि बहुत ही कम है, और इसमें जमा धनराशि का अधिकांश पैसा क्षेत्रीय युवक समारोह, जनपदीय युवक समारोह, मंडलीय युवक समारोह आदि में खर्च हो जाता है। विद्यालयों में क्रीड़ा कार्यों हेतु लगभग न के बराबर पैसा शेष बचता है, ऐसे में बच्चे खेल के सामानों से महरूम रह जाते हैं। विद्यालयों के पास पैसे ही नहीं हैं, तो वह खेल का सामान कैसे खरीदेंगे। प्रदेश में अनेकों विद्यालयों में क्रीड़ा स्थल भी उपलब्ध नहीं हैं। क्या संपूर्णता पर बिना विचार किये हुए इस प्रकार विद्यालयों में क्रीड़ा शिक्षा की योजना बनाना हास्यास्पद नहीं है? शासन का ध्यान उपरोक्त तथ्यों की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

उक्त विषय लोक महत्व एवं अविलम्बनीय है, अत: नियम-301 के अन्तर्गत सूचना देता हूं।]

पीलीभीत के पूरनपुर में स्वीकृत 132 के0वी0ए0 विद्युत सब-स्टेशन के रुके निर्माण को पूरा कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

***डा0 विनोद तिवारी-**

महोदय [मैं आपके माध्यम से नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में एक महत्व पूर्ण जानकारी लाना चाहता हूं।

श्री मान जी मेरे निर्वाचन क्षेत्र पूरनपुर (पीलीभीत) में 132 के0वी0ए0 का विद्युत सब स्टेशन स्वीकृत हुआ, जगह भी क्रय कर ली गयी, निमार्ण कार्य प्रारम्भ किये जाने हेतु सामान भी आ गया , किन्तु बीच में सामान बदायूं स्थानान्तरित कर दिया गया था। विरोध किये जाने पर पुन: सामान पूरनपुर (पीलीभीत) में स्थानान्तरित कर दिया गया। पूरनपुर (पीलीभीत) में निमार्ण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया। निमार्ण कार्य पुन: ठप्पकर दिया गया, इससे जनता में जबरदस्त आक्रोश है।

अत: आपसे अनुरोध है कि उक्त अत्यन्त ज्वलन्त एवम् महत्व पूर्ण विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट करने का कष्ट करें।]

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनपद बुलन्दशहर में राजकीय कृषि फार्म शिकारपुर को पूरा कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

***श्री मुन्शी लाल गौतम-**

महोदय [मेरे विधान सभा क्षेत्र व जनपद बुलन्दशहर में मात्र राजकीय कृषि क्षेत्र (फार्म) शिकारपुर लगभग 250 बीघा भूमि में पैदावार होती है जो लगभग 3.50 लाख रुपये वार्षिक लाभ प्राप्त होता है। प्रदेश में अनेक फार्म ऐसे हैं जो घाटे की तरफ जा रहे हैं लेकिन हमारा राजकीय कृषि फार्म लाभ में हैं, वहाँ की बिल्डिग, कृषि यंत्र व ट्रैक्टर आदि काफी पुराने व जर्जर हालत में हैं और विद्युत का ट्रान्सफारमर 25 के0 वी0 का है और जिला योजना से भी कोई भी किश्त अवमुक्त नहीं की गयी है। पैदावार तो जमा की जाती है लेकिन लगभग 50 वर्षों से उसके लाभ का अंश धन यंत्रों की देखभाल व बिल्डिंग की मरम्मत आदि सुधारों के लिए नहीं भेजा जाता।

अत: लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न के माध्यम से जिला योजना एवं कृषि विभाग द्वारा उपर्युक्त राजकीय कृषि फार्म शिकारपुर जनपद बुलन्दशहर को धन अवमुक्त कराने की मांग करता हूँ।]

लखनऊ के मलिहाबाद क्षेत्रान्तर्गत रानी खेड़ा से लालता खेड़ा सड़क का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

***श्री कौशल किशोर-**

महोदय [अवगत कराना है कि जनपद लखनऊ के विकास खण्ड मलिहाबाद के गांव पंचायत गढ़ी जिन्दौर के मजरा गांव रानीखेड़ा से लालता खेड़ा तक लगभग पौने दो किमी0 सड़क का निर्माण अति आवश्यक है। उक्त गांव में जाने का कोई रास्ता नहीं है। गांव पूरी तरह से अति पिछड़ा है। यदि उक्त सड़क का निर्माण हो जाये तो तमाम समस्यायें वहाँ की हल हो जायेगी।

अत: आपसे आग्रह है कि इस अति लोक महत्व की सूचना को नियम 301 में ग्रहण करने की कृपा करें।]

जनपद सोनभद्र को सूखाग्रस्त घोषित करते हुए किसानों को उचित मुआवजा देने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

***श्री परमेश्वर दयाल-**

महोदय [आपको अवगत कराना है कि जनपद सोनभद्र एक पिछड़ा जनपद है। जहां का अधिकांश भू भाग जंगलों, पहाड़ों नदी नालों से आच्छादित है भूमि ऊँची नीची है शेष जनपद का 30% भाग मैदानी है जनपद में जो किसानों की कृषि की भूमि है, चाहे पहाड़ी क्षेत्र अथवा मैदानी क्षेत्र की है सिंचाई की कोई सुदृढ़ व्यवस्था नहीं है, पूरी कृषि वर्षा के ऊपर निर्भर है। विगत वर्ष की भॉति इस वर्ष भी अच्छी वर्षा नहीं हुई जिसके कारण खरीफ की मुख्य फसल धान की खेती नहीं हो पायी।

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जहां कुछ स्थानों पर 30% ही धान की खेती हुई थी जो वर्षा न होने के कारण जिसे बने बन्धे तालाब और बन्धियों में पानी इकट्ठा नहीं हो सका। जिससे जिन क्षेत्रों में नहर से पानी मिलता था समय से नही मिल सका, वे सूख गयी। जिससे किसानों के सामने सूखे की स्थिति से काफी संकट खड़ा हो गया है।

अत: इस गम्भीर प्रकरण पर सरकार का ध्यान दिलाते हुए जनपद सोनभद्र को सूखा ग्रस्त घोषित करते हुए किसानों को उचित मुआवजा देने के लिए आदेश देने की कृपा करें।]

जनपद गौतम बुद्धनगर अन्तर्गत दादरी रेलवे फाटक पर ओवर ब्रिज बनवाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

***श्री नबाव सिंह नागर-**

महोदय [जनपद-गौतमबुद्धनगर के अन्तर्गत दादरी रेलवे फाटक के न बनने से कई-कई किमी0 की वाहनों की लाइन लग जाती है जिसमें आने-जाने वालों को कई-कई घंटे लग जाते हैं जब कि यह फाटक ग्रेटर नोयडा, को जी0टी0 रोड से जोड़ता है साथ ही फाटक के रेलवे कन्टेनर बन चुका है इसके कारण भी वाहनों का आवागमन और बढ़ गया है, इसके बारे में पूर्व में भी कई बार इसके बनवाने की मॉग की गयी है, इस सम्बन्ध में रेलवे ओवरब्रिज के लिए जमीन भी ली जा चुकी है किन्तु रेलवे विभाग और ग्रेटर नोयडा प्राधिकरण के बीच अनेक बैठकों के बावजूद भी कोई ठोस प्रगति नहीं हो पाई है जिसके कारण तमाम जनता में भारी रोष व असन्तोष व्याप्त है।

अत: इस अति लोक महत्व के विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए ओवरब्रिज का निर्माण कार्य शुरू कराने की मॉग करता हूँ।]

आजमगढ़ के फूलपुर क्षेत्रान्तर्गत सभी क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

***श्री राम नरेश यादव-**

महोदय [आजमगढ जनपद में फूलपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पड़ने वाली समस्त सड़कें पिछले दिनों 72 घण्टे की अनवरत वर्षा के कारण सभी सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। आवागमन के लिए बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। कई बार मा0 लोक निर्माण मंत्री जी का तथा सम्बन्धित अधिकारियों का ध्यान पत्र लिख कर आकर्षित किया, किन्तु अभी तक किसी सड़क पर कार्य आरम्भ नहीं किया जा सका है। मैं अभी चार दिन पहले क्षेत्र में घूम कर आया हूँ तो सब जगह सड़कों की खराब स्थिति के बारे में जनता का ध्यान आकृष्ट किया। नहर की पटरियों की हालत तो अभी दयनीय है। विशेष से फूलपुर राजवाहा तथा पवई रजवाहा की सड़कें तो चलने लायक नहीं रह गई हैं। इसी प्रकार फूलपुर से रेलवे क्रासिंग के पार मुड़ियार मार्ग को मिलाने वाली समता विद्यालय के पास से जाने वाली सड़क गड्ढों से इतना भर गई है कि पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। जिला प्रशासन की उदासीनता तथा सरकार की उपेक्षा का परिणाम जनता को भोगना पड़ रहा है।

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं आपके माध्यम से सरकार से विनम्र आग्रह करता हूँ कि शीघ्रताशीघ्र फूलपुर पिधान सभा क्षेत्र फूलपुर की समस्त क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत शीघ्रातिशीघ्र करा दी जाय।]

जौनपुर के बयालसी क्षेत्रान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में नये राशन कार्ड बनवाने की कार्यवाही शुरू करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जगदीश नारायण राय-

महोदय [मेरे विधान सभा क्षेत्र बयालसी, जनपद जौनपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड-धर्मापुर, मुफ्तीगंज, जलालपुर, सिरकोनी के ग्रामीण क्षेत्रों में राशन कार्ड जो नये बनने हैं, उन पर कार्य शुरू नहीं किया गया है।

अत: इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर मा0 खाद्य एवं रसद मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करते हुए तत्काल कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूँ।]

अलीगढ़ के इगलास क्षेत्रान्तर्गत मुन्सिफ न्यायालय हेतु दो मुन्सिफ मजिस्ट्रेट एवं स्टाफ के पदों का सृजन करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

***श्री मुकुल उपाध्याय-**

[मान्यवर, अतिलोक महत्व की सूचना पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मेरी विधान सभा क्षेत्र इगलास अलीगढ़ में मुन्सिफ न्यायालय भवन कार्य कई वर्षों से चला आ रहा था। भवन निर्माण में करीब 1.50 करोड़ रुपये लग करके भवन पूर्णत: बनकर तैयार हो गया है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने तहसील इगलास मुख्यालय पर मुन्सिफ मजिस्ट्रेट न्यायालय की स्थापना का निर्णय ले लिया है। मुन्सिफ मजिस्ट्रेट न्यायालय हेतु शासन स्तर से दो मुन्सिफ मजिस्ट्रेट व स्टाफ के पदों का सृजन होना शेष है।

इस जनहित में एवं शासन की विकेन्द्रीकरण की नीति के तहत दो मुन्सिफ मजिस्ट्रेट व स्टाफ के पदों का सृजन करने का कष्ट करें।]

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएँ

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक-08-12-2005 को नियम-300 के अन्तर्गत कुल तीन सूचनाएँ प्राप्त हुई-पहली सूचना श्री अमरजीत सिंह जनसेवक की सेवा निवृत्त शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों को वर्ष 1999 एवं 2000 में वर्ष 1996 से चयन प्रोन्नति वेतनमान अनुमन्य न किए जाने के संबंध में है, दूसरी सूचना श्री कपिल देव यादव की सचिवालय में तैनात वाह्य कार्मिकों को उनके सम्बन्धित विभागाध्यक्षों/निगमों/पैतृक/विभागों में वापस किए जाने के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की माननीय मुख्य मंत्री की घोषणा के अनुरूप वर्ष 2005-06 में शाहजहाँपुर के नगरीय क्षेत्र में 100 इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प न लगाए जाने के सम्बन्ध में है।

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दो सूचनाएँ आयीं थी, श्री सुरेश कुमार खन्ना जी की सूचना सुननी थी लेकिन वह तो यहाँ फलोर पर खड़े हैं, इसीलिए अस्वीकार हुई। सब की सब अस्वीकार हुई।

(सदन के फलोर पर खड़े सदस्य बैनर दिखाते रहे एवं नारे लगाते रहे जिससे सदन में लगातार व्यवधान होता रहा।)

नियम 311 की नियम 56 तथा 52 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन की सूचनाएँ

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 8-12-2005 को नियम-56 के अंतर्गत कुल 10 सूचनाएं प्राप्त हुई जिनमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनाएँ चयनित की गयी। प्रथम दो सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है। इसमें पहली सूचना श्री प्रमोद कुमार, श्री राम नरेश यादव, श्रीजगदम्बिका पाल, श्री राम सेवक इसी में श्री श्यामदेव राय चौधरी जी की, श्री कृष्णानन्द राय, सदस्य, विधान सभा की दिनांक 29 नबम्बर, 2005 को हुई हत्या के सम्बन्ध में प्राप्त नियम-311 की सूचनाओं के साथ इसे भी नियम-52 में परिवर्तित करते हुए दो घण्टे की चर्चा स्वीकार की गयी। चूंकि इस पर चर्चा पहले से ही स्वीकार हो गयी थी अत: इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। दूसरी सूचना डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर जी की इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ के महामंत्री पद के प्रत्याशी कमलेश यादव की 24-11-2005 को हुई हत्या एवं उसके पश्चात् इलाहाबाद शहर में फैली अराजकता से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। इस पर आप बोलना चाहते हैं।

(माननीय सदस्य द्वारा न बोलने पर)

चूंकि आप नहीं बोल रहे हैं इसलिए मैं अगली सूचना ले रहा हूँ। अगली सूचना श्री ओम प्रकाश पाण्डेय जी की जनपद सुलतानपुर के ग्राम खुनशेखपुर निवासी श्री हंस बहादुर सिंह के अपहरण के सम्बन्ध में, इस पर माननीय सदस्य बोलना चाहेंगे।

(माननीय सदस्य द्वारा न बोलने पर)

चूंकि आप नहीं बोल रहे हैं। मैं इन सूचनाओं को अस्वीकार करता हूँ। निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएँ अस्वीकार की गयीं। श्री जगदीश नारायण राय, श्री राम हेत भारती, डा0 विनोद तिवारी, डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, श्री सलील बिश्नोई, डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल।

भारत के स्वतंत्रता आन्दोलन के इतिहास में चौकीदार चपाती के अप्रतिम संघर्ष के इतिहास को अंकित किये जाने सम्बन्धी नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्ताव पर चर्चा

श्री अध्यक्ष-

नियम-103 के अन्तर्गत श्री श्याम लाल रावत जी के दिनांक 8 अगस्त, 2005 को प्रस्तुत प्रस्ताव पर एक घण्टे की चर्चा- 'यह सदन केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि भारत के स्वतंत्रता

आन्दोलन के इतिहास में 'चौकीदार चपाती' के अप्रतिम संघर्ष के इतिहास को अंकित किया जाय।' क्या माननीय सदस्य है?,

(माननीय सदस्य के न होने पर)

यह व्यपगत हुआ।

उत्तर प्रदेश राज्य में कन्या भ्रूण हत्या पर अविलम्ब प्रभावी रोक लगायी जाने सम्बन्धी नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्ताव पर चर्चा

श्री अध्यक्ष-

नियम-103 के अन्तर्गत डा0 लक्ष्मीकॉन्त बाजपेयी जी के दिनांक 8 अगस्त, 2005 को प्रस्तुत प्रस्ताव पर एक घण्टे की चर्चा- "इस सदन का निश्चित मत है कि उत्तर प्रदेश राज्य में कन्या भ्रूण हत्या पर अविलम्ब प्रभावी रोक लगायी जाय।" माननीय सदस्य इस पर बोलना चाहेंगे।

(माननीय सदस्य द्वारा न बोलने पर)

चूँकि माननीय सदस्य नहीं बोल रहे हैं इसलिए यह व्यपगत हुआ।

प्रदेश में पुलिस कर्मियों एवं वैतनिक होमगार्ड के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भॉति अवैतनिक होमगार्ड के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति की आयु 60 वर्ष किये जाने सम्बन्धी नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्ताव पर चर्चा

श्री अध्यक्ष-

नियम-103 के अन्तर्गत श्री प्रमोद कुमार द्वारा प्रस्तुत दिनांक 8 अगस्त, 2005 को प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा-"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में पुलिस कर्मियों एवं वैतनिक होमगार्ड के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भांति अवैतनिक होमगार्ड के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भी सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष कर दी जाय।"

श्री प्रमोद जी इस पर चर्चा करायेंगे ?

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, करायेंगे। लेकिन पहले सदन को तो व्यवस्थित करें। यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण मामला है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इस पर आगे चर्चा जारी रहेगी ।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएँ

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 8-12-2005 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 45 सूचनाएं प्राप्त हुई :-

पहली सूचना-

श्री रमेश चन्द बिन्द की जो जनपद मिर्जापुर स्थित धनरौल बांध में सिल्ट का जमाव होने के कारण टेल तक पानी न पहुंचने के संबंध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है।

दूसरी सूचना-

श्री रणवीर राणा की जो प्रदेश के गन्ना मिलों द्वारा घटतौली किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है।

तीसरी सूचना-

श्री मिथलेश कुमार की जो जनपद शाहजहांपुर स्थित सहकारी चीनी मिल, पुवांया में नौ गन्ना क्रय केन्द्रों को मिल से जोड़े जाने के सम्बन्ध में है वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है।

चौथी सूचना-

श्री सदल प्रसाद की जो जनपद गोरखपुर स्थित गोरखपुर से चिल्लूपार क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है।

पांचवी सूचना-

श्री मस्त राम की जो जनपद उन्नाव स्थित मेसर्स साहिबाबाद केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा श्रमिकों का शोषण किए जाने के सम्बन्ध है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है।

छठी सूचना-

श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया की जो जनपद मथुरा के गोवर्धन नगर पंचायत कार्यालय के सामने सड़कों पर गन्दा पानी जमा होने एवं सफाई न होने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है।

सांतवी सूचना-

श्री कोविद कुमार सिंह की जो उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ लि0 मुख्यालय, लखनऊ में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है।

आठवीं सूचना-

श्रीमती राजलक्ष्मी वर्मा की जो जनपद बाराबंकी के ग्राम बिझला में विद्युत आपूर्ति न किए जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की जाती है।

नवीं सूचना-

श्री सुरेश कुमार खन्ना की जो जनपद शाहजहांपुर में श्री मलक अहसन उल्ला खां की मृत्यु के उपरान्त उनकी लाइसेन्सी बंदूक को पुलिस द्वारा न दिए जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की जाती है।

दसवीं सूचना-

श्री राम किशुन की जो जनपद चन्दौली अंतर्गत विकास खण्ड नियमताबाद के ग्रामों में संक्रामक मस्तिष्क ज्वर के फैलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की जाती है।

ग्यारहवीं सूचना-

श्री प्रमोद कुमार, श्री जगदम्बिका पाल, श्री रामनरेश यादव एवं श्री रामसेवक की जो ग्रेटर नोयडा के थाना सूरजपुर में अतिक्रमण हटाते समय निर्दोष मृत बच्चे के परिजनों को आर्थिक सहायता दिए जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की जाती है।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकृत हुई :-

1. श्री अलगू प्रसाद चौहान
2. श्री स्वामी प्रसाद मौर्य
3. श्री राजेश कुमार
4. श्री ओ0 पी0 सिंह
5. श्री ददू प्रसाद, चौ0 धूराम लोधी
6. श्री अकीलुर्रहमान खान
7. श्री धर्मपाल सिंह
8. डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर
9. श्री मुंशी लाल गौतम
10. श्रीमती गुलाब देवी
11. श्री मस्त राम
12. श्री सोमारू राम सरोज
13. श्री मुकुल उपाध्याय
14. डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल
15. श्री अशोक सिंह चौहान
16. श्री कौशल किशोर
17. श्री प्रभुदयाल बाल्मीकि
18. श्री बीजू पटनायक
19. डा0 पूर्णमासी देहाती
20. श्री शिशुपाल सिंह यादव
21. श्री उदयराज यादव
22. श्री श्यामसिंह अहेरिया
23. मो0 मुज्तबा सिद्दीकी
24. श्री श्यामदेव राय चौधरी
25. श्रीमती विद्या चौधरी
26. श्री रामकरन आर्य
27. श्री भगेलू राम
28. श्री रामचन्द्र यादव
29. चौ0 महेन्द्र सिंह
30. श्री रमापति उर्फ रमाकान्त
31. डा0 विनोद तिवारी
32. श्रीमती कृष्णा पासवान
33. श्री नवाब सिंह नागर
34. श्री रामनरेश यादव

जनपद व तहसील सदर, लखनऊ स्थित अनुसूचित जातियों के किसानों की भूमि-भू माफियाओं की सांठ-गांठ से बंजर भूमि में दर्ज कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कौशल किशोर द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का वक्तव्य

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-23, माननीय राजस्व मंत्री जी।

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

जनपद व तहसील सदर, लखनऊ स्थित अनुसूचित जातियों के किसानों .....

संसदीय कार्य नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ माना लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

श्री अम्बिका चौधरी-

[की भूमि भू-माफियाओं की सांठ-गांठ से एक खाताधारक शम्भू दयाल पुत्र मुंशीलाल को तत्कालीन लेखपाल करार देकर तहसीलदार सदर लखनऊ की भ्रामक आख्या के आधार पर बगैर सुनवाई का अवसर दिये दिनांक 6-8-2002 को उपजिलाधिकारी, सदर लखनऊ द्वारा ग्राम सभा की बंजर भूमि में दर्ज कर दिया गया।

उक्त संदर्भ में अवगत कराना है कि प्रकरण मुख्यत: इस बिन्दु पर केन्द्रित है कि ग्राम काकराबाद में कतिपय भू-माफियाओं से साठ-गांठ करके उपजिलाधिकारी, सदर, लखनऊ द्वारा अवैधानिक रूप से संक्रमणीय भूमिधरी के रूप में दर्ज जमीन को ग्राम सभा बंजर भूमि में अपने आदेश दिनांक 6-8-2002 द्वारा निहित कर दिया गया। तथ्यात्मक स्थिति यह है कि ग्राम काकराबाद के वर्तमान नम्बरान 19 व 20, 564क, 566, 567, 568, 569ख, 570, 711 जिनके पुराने नम्बरान क्रमश: 19 मि0, 20, 552मि, 542, 543, 541, 540मि0, 544, 655 थे, सन् 1362 फसली में ग्राम सभा की सम्पत्ति के रूप में दर्ज थे। सन् 1366 69 फसली की खतौनी में नायब तहसीलदार के आदेश के क्रम में ग्राम सभा की उक्त भूमि खारिज होकर श्रीमती श्याम सुन्दरी पुत्री कालिका प्रसाद व शम्भू दयाल पुत्र मुंशीलाल के नाम दर्ज हो गयी। खतौनी पर यह अंकन शम्भू दयाल लेखपाल द्वारा हस्ताक्षर सहित किया जाना अंकित है। उक्त आदेश पूर्णतया फर्जी थे क्योंकि नायव तहसीलदार ग्राम सभा की भूमि पर किसी व्यक्ति को संक्रमणीय/असंक्रमणीय अधिकार नहीं दे सकता है। इसके लिए सक्षम अधिकारी परगनाधिकारी ही है। साथ ही नामान्तरण वही में भी इस आदेश का कोई जिक्र नहीं है और न ही राजस्व अभिलेखागार में इन पत्रावलियों का अंकन ही कहीं पर है। स्पष्टत: उक्त अमल-दरामद पूर्णत: फर्जी था। चकबन्दी प्रक्रिया के दौरान इन गाटों पर फर्जी अंकन होने सम्बन्धी तथ्य की आपत्ति नही हो सकी थी परन्तु बाद में इस कृत्य की जानकारी होने पर उपजिलधिकारी, सदर, लखनऊ द्वारा न्यायिक प्रक्रिया के अधीन अपने आदेश दिनांक 6-8-2002 द्वारा खातेदारों के नाम निरस्त करके भूमि ग्राम सभा में दर्ज कर दी गयी। उपजिलाधिकारी का उक्त निर्णय दिनांक 6-8-2002 न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत पारित किया गया है और ग्राम सभा के हित में निर्णय हुआ है। अत: भू-माफियाओं से इसका सम्बन्ध परिलक्षित नहीं होता है। अत: इसका निस्तारण मा0 राजस्व परिषद न्यायालय द्वारा न्यायिक प्रक्रिया से ही किया जाना है। सम्प्रति इस स्तर पर प्रशासनिक हस्तक्षेप का अवसर नहीं है। उपजिलाधिकारी के उक्त आदेश दिनांक 6-8-2002 के विरुद्ध श्रीमती उषा देवी द्वारा न्यायालय मा0 राजस्व परिषद् के समक्ष निगरानी संख्या-154(एल0आर0)/2002 दाखिल की गयी है जिसमें न्यायालय द्वारा उपजिलाधिकारी के आदेशों को स्थगित करते हुए सुनवाई की जा रही है।]

[ ] नोट- यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद मुजफ्फरनगर के तहसील कैराना के ग्राम ईसापुर खुरगान की लगभग दो हजार बीघा सरकारी जमीन पर भू-माफियाओं द्वारा अनाधिकृत कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में श्री हुकुम सिंह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री के वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

यह मद स्थगित की जाती है।

जनपद लखनऊ के थाना माल में तैनात पुलिस कर्मियों/थानाध्यक्ष द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में श्री रणवीर राणा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

जनपद लखनऊ के थाना माल में तैनात पुलिस कर्मियों/थानाध्यक्ष द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार..

संसदीय कार्य नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ माना लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री अम्बिका चौधरी-

[तथा दिनांक 20-9-05 को श्री छोटा सिंह सदवाना थाना-माल लखनऊ से पैसे छीनने, मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दिये जाने के सम्बन्ध में श्री रणवीर राणा, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा नियम-51 के अर्न्तगत दिनांक 23-11-2005 को दी गयी नोटिस के सम्बन्ध में प्रकरण की जांच वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ के माध्यम से कराई गई प्राप्त जांच आख्या के अनुसार तथ्यात्मक विवरण निम्नवत् है :-

प्रश्नगत प्रकरण में ग्राम प्रधान के चुनाव में ग्राम सभा सदवाना के श्री राकेश सिंह की पत्नी श्रीमती सुशीला सिंह प्रत्याशी थी एवं विपक्षी सुरेन्द्र सिंह की मां भी प्रत्याशी थी। आवेदक ने चुनाव के दौरान श्री राकेश सिंह का समर्थन किया था। इसी बात को लेकर दिनांक 20-9-05 को शाम करीब 5 बजे आवेदक व विपक्षी सुरेन्द्र सिंह व मनोज सिंह के बीच आपस में कहा सुनी व गाली-गलौज हुआ था, इसी बात पर आवेदक व उसके समर्थकों ने सड़क जाम भी कर दिया था मौके पर तत्कालीन थानाध्यक्ष द्वारा पहुंचकर दोनों पक्षों को समझाया-बुझाया गया था। जांच में पैसे छीनने की कोई बात प्रकाश में नहीं आई। मात्र प्रधान चुनाव की रंजिश को लेकर दोनों पक्षों में कहा सुनी हुई थी। दिनांक 22-9-05 को ही 107/116 दं0प्र0सं0 की कार्यवाही की जा चुकी है। आवेदक द्वारा मुकदमा दर्ज कराये जाने हेतु मा0 न्यायालय में भी धारा 156* 3* दं0प्र0सं0 के तहत प्रार्थना पत्र दिया गया था जिसकी जांच आख्या भेजी जा चुकी हैं। जांच से सभी आरोप असत्य पाये गये है।]

नोट :- [ ] यह अंश पढा हुआ माना गया।

विधान सभा क्षेत्रों में क्षेत्रीय विकास निधि राजकीय जिला चिकित्सालय, मेडिकल कालेज शासन से अनुदानित महाविद्यालयों को धन उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

विधान सभा क्षेत्र में क्षेत्रीय विकास निधि से राजकीय जिला चिकित्सालय, मेडिकल कालेज,...

संसदीय कार्य नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री अम्बिका चौधरी-

[शासन से अनुदानित महाविद्यालयों को धन उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, मा0 सदस्य विधान सभा ने दिनांक 23-11-2005 को नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना के माध्यम से यह अपेक्षा की है कि शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के अन्तर्गत विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की सीमा के बजाय जनपद अथवा महानगर की सीमा निर्धारित होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त सूचना में उन्होंने यह भी बिन्दु उठाया है कि शिक्षा संस्थाओं को कम्प्यूटर दिया जा सकता है लेकिन गूँगे, बहरे, मानसिक विकलॉग बच्चों को शिक्षा देने वाली शासकीय अनुदानित संस्था को शैक्षिक उपकरण/यन्त्र देना प्रतिबन्धित है जबकि सांसद निधि में यह अनुमन्य है।

वर्ष 1998-99 में मा0 विधान सभा/विधान परिषद् सदस्यों की मांग पर स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति तथा संतुलित विकास के उद्देश्य से विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि (विधायक निधि) योजना प्रारम्भ की गयी थी। इस योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों में यह व्यवस्था है कि विधान मण्डल के दोनों सदनों के मा0 सदस्यगण सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी को अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में विकास कार्य कराये जाने का प्रस्ताव देंगे।

चूँकि इस योजना को स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति एवं संतुलित विकास के उद्देश्य से प्रारम्भ किया गया है। अत: यदि इस योजना में निर्वाचन क्षेत्र की सीमा का प्राविधान नहीं रखा जाता है तो इस योजना का मूल उद्देश्य प्रभावित होगा तथा यह भी सम्भव है कि इससे किसी एक निर्वाचन क्षेत्र में अधिक विकास कार्य हो जायें तथा दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में कम विकास कार्य हों, इसलिए विधान

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मण्डल क्षेत्र विकास निधि के अन्तर्गत निर्वाचन क्षेत्र की सीमा से बाहर अन्य निर्वाचन क्षेत्रो में कार्य कराने हेतु अ[illegible]यता प्रदान किया जाना औचित्यपूर्ण प्रतीत नहीं होता है।

यह सत्य है कि विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के अन्तर्गत प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक परिषदीय विद्यालयों, राजकीय एवं मान्यता प्राप्त विद्यालयों के लिए आवश्यक फर्नीचर एवं पुस्तकों के क्रय, राजकीय तथा मान्यता एवं अनुदान प्राप्त हाई स्कूल एवं इण्टर कालेजों में कम्प्यूटर के क्रय की अनुमन्यता है किन्तु वर्तमान में विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के अन्तर्गत मानसिक/शारीरिक रूप से विकलॉग बच्चों की शिक्षण संस्थाओं को शैक्षिक उपकरण/यन्त्र देने की व्यवस्था नहीं है।

सांसद निधि के अन्तर्गत सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त तथा गैर सहायता प्राप्त लेकिन सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थानों के लिए शैक्षिक प्रकृति के श्रव्य-दृश्य साधनों के क्रय की इस शर्त के साथ अनुमन्यता प्रदान की गयी है कि इनकी सुरक्षा के लिए उचित स्थान एवं प्राविधान हो।

सांसद निधि में उपलब्ध व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि से विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत मानसिक/शारीरिक रूप से विकलॉग बच्चों की शासकीय/शासकीय अनुदानित संस्थाओं को शैक्षिक उपकरण/यन्त्र देने की व्यवस्था किये जाने के संबंध में सम्यक विचारोपरान्त ही अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।]

जनपद लखीमपुर में इण्डियन आयल के अधिकारी श्री मंजू नाथ की हत्या के सम्बन्ध में श्री प्रमोद कुमार द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

जनपद लखीमपुर में इण्डियन आयल के अधिकारी श्री मंजू नाथ की हत्या के सम्बन्ध में .....

संसदीय कार्य नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री अम्बिका चौधरी-

[पुलिस अधीक्षक, खीरी से आख्या प्राप्त की गई। प्राप्त आख्यानुसार दिनांक 20-11-05 को थाना-महोली, जनपद-सीतापुर में नियुक्त मु0अ0 प्रो0वे0 श्री रामभवन सिंह मय हमराही पुलिस बल

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

की गश्त में थे कि प्रात: 8.00 बजे मैगलगंज, जनपद खीरी की ओर से एक मारूति कार आती दिखाई दी, पुलिस पार्टी द्वारा शक होने पर मारूति कार की तलाशी ली गई तो मारूति कार की सीट पर एक व्यक्ति की लाश मिली। मारूति कार के चालक से पूछ-तांछ की गई तो उसने अपना नाम विवेक शर्मा एवं दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम राकेश कुमार बताया। उक्त व्यक्तियों से जानकारी की गई तो उन्होंने मृतक का नाम वी0 मंजूनाथ बताया। उक्त व्यक्तियों ने यह भी बताया कि मृतक ने करीब एक माह पूर्व मोनू उर्फ पवन कुमार मित्तल का पेट्रोल पम्प सीज कर दिया था तथा दिनांक 19-11-05 को पेट्रोल पम्प चेक करने के लिए पुन: आये थे। उसी समय योजनाबद्ध तरीके से मोनू मित्तल द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर गोली मारकर हत्या कर दी गई तथा लाश को फेंकने के लिए मारूति कार से हम लोगों को भेज दिया गया। इस सूचना पर थाना-महोली जनपद-सीतापुर में मु0अ0सं0-निल/05 धारा 147/148/149/302/201/34भा0दं0वि0 का अभियोग 07 अभियुक्तों के विरूद्ध सम्बन्धित थाना-गोला पंजीकृत किया गया। उक्त अभियोग से सम्बन्धित कागजात प्राप्त होने पर थाना-गोला पर मु0अ0सं0-1015/05 लाकर विवेचना प्रारम्भ की गई।

विवेचना से नामित अभियुक्त विवेक शर्मा, राकेश आनन्द, लल्ला गिरी को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर राजेश वर्मा की मारूति अल्टो से जा रहे अन्य नामित अभियुक्त मोनू उर्फ पवन कुमार मित्तल, संजय अवस्थी, हरीश मिश्रा को दिनांक 22-11-05 को गिरफ्तार किया गया। इसके अतिरिक्त एक अन्य अभियुक्त राजेश वर्मा जिसकी मारूति कार में अभियुक्त जा रहे थे को घटना में नामित अभियुक्त को भी शरण देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। घटना में प्रयुक्त आला कत्ल मोनू की .32 बोर पिस्टल भी बरामद कर ली गई है। दिनांक 24-11-05 को अभियोग में नामजद 07 अभियुक्तों में से शेष एक अभियुक्त देवेश अग्निहोत्री को भी विजय शुक्ला के फार्म से गिरफ्तार किया गया है। इस प्रकार घटना में सम्मिलित एवं अब तक प्रकाश में आये सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है।]

जनपद बस्ती के बहादुरपुर ब्लाक देवराव में कुआनों नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम करन आर्य द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

जनपद बस्ती के बहादुरपुर ब्लाक देवराव में कुआनों नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में .....

संसदीय कार्य नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री अम्बिका चौधरी-

[मा0 सदन का ध्यान आकर्षित करते हुये सूचना दी, जिसे मा0 अध्यक्ष जी ने स्वीकार करते हुये दिनांक 08-12-05 को वक्तव्य के लिये निर्धारित किया है।

2- इस सम्बन्ध में स्थिति यह है कि जनपद बस्ती में बंहादुरपुर एवं बस्ती सदर ब्लाक के बीच कुआनों नदी बहती है, इस पर देवराव घाट स्थित है, जिस पर सेतु के निर्माण की मांग की गयी है। प्रस्तावित सेतु के अपस्ट्रीम में 8 कि0मी0 की दूरी पर राज्य मार्ग सं0-248(195/1 कि0मी0) पर पक्का सेतु निर्मित है तथा डाउनस्ट्रीम में 20 कि0मी0 की दूरी पर गौराघाट पर पक्का सेतु निर्माणाधीन है। प्रस्तावित सेतु के निर्माण कार्य कराये जाने में सेतु के अतिरिक्त 6 कि0मी0 मार्ग निर्माण की आवश्यकता होगी। पहुँच मार्ग, सुरक्षात्मक कार्य एवं अतिरिक्त पहुँच मार्ग की कुल लागत रू0 383.18 लाख आंकलित की गयी है।

3- प्रस्तावित सेतु के अपस्ट्रीम में 8 कि0मी0 की दूरी पर सेतु निर्मित होने तथा डाउनस्ट्रीम में 20 कि0मी0 की दूरी पर सेतु निर्माणाधीन होने के कारण प्रस्तावित देवरांव घाट पर सेतु निर्माण कार्य हेतु रू0 383.18 लाख का व्यय प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत सम्भव नहीं है।]

जनपद आजमगढ़ के बाढ़ पीड़ित गावों में राहत सामग्री एवं मिट्टी का तेल बांटने में धांधली किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री आलम बदी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का वक्तव्य

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

जनपद आजमगढ़ के बाढ़ पीड़ित गावों में राहत सामग्री एवं मिट्टी का तेल बांटने में धांधली किये जाने से .....

संसदीय कार्य नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री अम्बिका चौधरी-

[उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री आलमबदी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, आजमगढ़ से आख्या प्राप्त की गई, जिलाधिकारी आजमगढ़ द्वारा यह अवगत कराया गया है कि जनपद आजमगढ़ की सदर तहसील में 196-निजामाबाद विधान सभा क्षेत्र में 153 ग्राम सम्मिलित है, जिनमें नौ ग्राम रूदरी, करनपुर, पकड़ी, मझगांवा हैदराबाद उर्फ छतवारा, बेलागार,

---

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

साकीपुर, ईश्वरपुर और महमूदपुर बाढ़ से प्रभावित रहे हैं। उपरोक्त बाढ़ग्रस्त ग्रामों में कुल पात्र 1502 लाभर्थियों को 145 कु0 गेहूँ, 145 कु0 चावल, 54कु0 आलू, 07 किलोग्राम नमक तथा 400 लीटर मिट्टी का तेल बाढ़ राहत सामग्री वितरित की गई है। शेष ग्राम बाढ़ से प्रभावित नहीं थे। कतिपय ग्रामों में भारी वर्षा के कारण जल जमाव हो गया था, जो दो दिन बाद समाप्त हो गया। ऐसे ग्रामों में बाढ़ राहत सामग्री वितरित नहीं की गयी। बाढ़ राहत सामग्री के वितरण में लापरवाही या धांधली नहीं की गयी है।]

जनपद चंदौली के मिल्कीपुर पम्प कैनाल को बिजली आपूर्ति न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री राम किशुन द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

जनपद चंदौली के मिल्कीपुर पम्प कैनाल को बिजली आपूर्ति न किये जाने के कारण उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में .....

संसदीय कार्य नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री अम्बिका चौधरी-

[श्री राम किशुन द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना के सम्बन्ध में जानकारी देनी है कि 33/11 केवी उपकेन्द्र नरायनपुर से निकलने वाले 11 केवी बरईपुर ग्रामीण फीडर से गंगा नदी पर स्थित मिल्कीपुर पम्प कैनाल को विद्युत आपूर्ति की जाती है। मिल्कीपुर पम्प कैनाल पर दो पम्प स्थापित हैं, जिनमें से प्रत्येक की क्षमता 120 हार्सपावर है। इस प्रकार पम्प कैनाल की कुल क्षमता 240 हार्सपावर है। पम्प कैनाल पर 250 केवीए का परिवर्तक स्थापित है, जिससे दोनों पम्पों को विद्युत आपूर्ति की जाती है। इस पम्प कैनाल की विद्युत आपूर्ति हेतु कोई अलग से स्वतंत्र फीडर नहीं बना हुआ है। बल्कि 11 केवी बरईपुर ग्रामीण पोषक द्वारा ही विद्युत आपूर्ति की जाती है। इस फीडर की लम्बाई अधिक है एवं कई गांव जुड़े हुए हैं। इस प्रकार 33/11 केवी उपकेन्द्र नरायनपुर (मिर्जापुर) की स्थापना केवल पम्प कैनाल को विद्युत आपूर्ति के लिए नहीं की गयी थी।

मिल्कीपुर पम्प कैनाल को स्वतंत्र फीडर से विद्युत आपूर्ति करने हेतु अलग से 11 केवी0 फीडर का निर्माण करना होगा, जिसकी लागत लगभग रूपये 49.50 लाख होगी। इस कार्य हेतु सिंचाई विभाग के बजट में अभी कोई व्यवस्था नहीं है।]

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद फतेहपुर के ग्राम भाऊपुर में पूर्वांचल विकास निधि राज्यांश के अन्तर्गत भदोकीपुर वाया करनपुर मार्ग को डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अमरजीत 'जनसेवक' द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

जनपद फतेहपुर के ग्राम भाऊपुर में पूर्वांचल विकास निधि राज्यांश के अन्तर्गत .....

संसदीय कार्य नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री अम्बिका चौधरी-

[सम्मिलित है, का धन अवमुक्त न होने के कारण डामरीकरण न कराये जाने का उल्लेख किया गया है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उक्त मार्ग को प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत (फेज-5) में दिनांक 1-11-2004 को जिला पंचायत द्वारा अनुमोदित किया गया है। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (फेज-5) के अन्तर्गत प्रश्नगत मार्ग की अनुमानित लम्बाई 2.30 कि0मी0 निर्मित की जानी प्रस्तावित है जिसकी लागत रू0 68.88 लाख है। प्रस्तावित सम्पर्क मार्ग से करनपुर व बौधी खेड़ा ग्रामों का जोड़ा जाना प्रस्तावित है। वर्ष 2000-01 की जनगणना के आधार पर आबादी क्रमशः 687 एवं 516 (कुल योग 1203) है। प्रश्नगत सम्पर्क मार्ग भदोकीपुर से करनपुर बौधी खेड़ा भाऊपुर मार्ग की कुल लम्बाई 3.30 कि0मी0 है, जिसमें से भदोकीपुर से 1.00 कि0मी0 लम्बाई नाबार्ड 11 में प्रस्तावित है तथा शेष 2.30 कि0मी0 प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के फेज-5 के अन्तर्गत निर्मित किये जाने हेतु प्रस्तावित है। वर्तमान में उक्त मार्ग के डी0पी0आर0 के गठन की कार्यवाही चल रही है।]

प्रदेश के गन्ना किसानों को चीनी के दाम को दृष्टिगत रखते हुए चालू पेराई सत्र में गन्ना मूल्य 140 रुपये प्रति क्विंटल किये जाने के सम्बन्ध में डा0 अजय कुमार द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

प्रदेश के गन्ना किसानों को चीनी के दाम को दृष्टिगत रखते हुए चालू पेराई सत्र में गन्ना मूल्य 140 रुपये प्रति क्विंटल किये जाने .....

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

संसदीय कार्य नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री अम्बिका चौधरी-

[के सम्बन्ध में जानकारी देनी है कि गन्ना किसानों को उनकी उपज का उचित एवं लाभकारी मूल्य दिलाने के लिये प्रदेश सरकार कृत संकल्प है। गन्ना मूल्य का निर्धारण एक नीतिगत विषय है, जिस पर सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया जाता है।]

जनपद गाजियाबाद के सिम्भावली शुगर मिल द्वारा प्रदूषित गन्दे पानी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री मदन चौहान द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर पर्यावरण मंत्री का केवल वक्तव्य

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

जनपद गाजियाबाद के सिम्भावली शुगर मिल द्वारा प्रदूषित गन्दे पानी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में .....

संसदीय कार्य नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री अम्बिका चौधरी-

[नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना के सम्बन्ध में जानकारी देनी है कि सिम्भावली व बक्सर कस्बे का पानी खराब होने के सम्बन्ध में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा क्षेत्र का सर्वेक्षण किया गया एवं उद्योग मै0 सिम्भावली शुगर मिल्स लि0, सिम्भावली, गाजियाबाद की आसवनी इकाई को यह निर्देश दिए गये हैं कि औद्योगिक परिसर से किसी भी प्रकार का रंगीन/प्रदूषित उत्प्रवाह निस्तारित न किया जाए। उद्योग की आसवनी एवं चीनी इकाई में उत्प्रवाह शुद्धीकरण हेतु संयंत्र स्थापित है तथा आसवनी इकाई के उत्प्रवाह को प्राथमिक शुद्धीकरण के पश्चात खाद बनाने में पूर्णत: प्रयोग किया जाता है। माह जनवरी एवं फरवरी 2005 में बोर्ड एवं जिला प्रशासन के अधिकारियों द्वारा किये गये संयुक्त निरीक्षण में यह पाया गया कि आसवनी इकाई द्वारा कोई उत्प्रवाह निस्तारित नहीं किया जा रहा है। उद्योग को जल अधिनियम की धारा-33ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस भी निर्गत किया गया था, जिसके अनुक्रम

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

में उद्योग को यह निर्देश दे दिये गये हैं कि उद्योग किसी विशेषज्ञ संस्था से क्षेत्र के भूगर्भ जल का सर्वेक्षण कराकर भूगर्भ जल की गुणवत्ता में पेयजल मानकों के सम्बन्ध में अपेक्षित सुधार की योजना प्रस्तुत करे एवं साथ ही किसी भी दशा में फुलडेरा ड्रेन में चीनी व आसवनी इकाई का उत्प्रवाह किसी भी परिस्थिति में न किया जाए। उक्त के अनुपालन में उद्योग द्वारा आई0आई0टी0 दिल्ली को प्रोजेक्ट बनदाये जाने हेतु चयनित किया गया है।]

जनपद आगरा शहर में विभिन्न सड़कों एवं प्रमुख स्थानों पर किये गये अतिक्रमण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री जगन प्रसाद गर्ग द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

जनपद आगरा शहर में विभिन्न सड़कों एवं प्रमुख स्थानों पर किये गये अतिक्रमण से उत्पन्न .....

संसदीय कार्य नगर विकास मंत्री **(श्री मोहम्मद आजम खां)-**

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री अम्बिका चौधरी-

[स्थिति के सम्बन्ध में श्री जगन प्रसाद गर्ग, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में मुख्य रूप से यह बिन्दु उठाया गया है कि जनपद-आगरा पर्यटन की दृष्टि से एक ऐतिहासिक नगरी है। यहां पर देश से ही नहीं विदेशों से भी पर्यटक आते हैं। परन्तु इस ऐतिहासिक नगरी आगरा में प्रमुख स्थानों एवं सड़कों पर अतिक्रमण किये जाने के कारण आवागमन एवं जनमानस प्रभावित हो रहा है। प्रमुख रूप से आलमगंज पानी की टंकी के सामने, घटिया आजम खां पानी की टंकी के सामने, वी0पी0 आयल मिल घटिया की दीवाल के सहारे, महाराजा अग्रसेन इण्टर कालेज की दीवाल के सहारे घुलियागंज, दोनों रेलवे पुल के नीचे बेलनगंज बाजार में, मण्टोला में रेलवे पुल के नीचे व पास में, एत्माद्दौला स्मारक के पास जमुना ब्रज स्टेशन रोड, रामलीला पार्क के सामने बल्केश्वर रोड आदि सहित सम्पूर्ण आगरा में अतिक्रमण का भरमार है। किये गये अतिक्रमण के कारण जनमानस में आक्रोश व्याप्त है।

2- इस संबंध में नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा ने अवगत कराया है कि शासन के आदेशानुसार नगर के विभिन्न क्षेत्रों में संयुक्त रूप से अतिक्रमण अभियान चलाकर स्थायी/अस्थायी अतिक्रमण हटावे गये थे, जिसमें लगभग 36650 वर्ग मीटर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया था। समय-समय पर नगर में अस्थायी अतिक्रमणों को नगर निगम द्वारा हटाया जाता है। रामबारात शोभा यात्रा, जनकपुरी क्षेत्र, मुकुट महोत्सव, दशहरा शोभा यात्रा, डा0 अम्बेडकर जयन्ती, बाल्मीकि जयन्ती, अग्रसेन जयन्ती,

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

महात्मा बुद्ध जयन्ती, झलकारी बाई जयन्ती आदि पर नगर निगम द्वारा नगर के विभिन्न क्षेत्र आलमगंज पानी की टंकी के सामने तथा घटिया आजम खां पानी की टंकी के सामने, वी0पी0 ऑयल मिल की दीवार के सहारे घटिया आजम खां, महाराजा अग्रसेन इण्टर कालेज की दीवार के सहारे थूलियागंज, दोनों रेलवे पुल के नीचे बेलनगंज बाजार, मण्टोला/बिजलीघर रेलवे पुल के नीचे वे एत्माद्दौला स्मारक के पास तथा जमुना ब्रज रेलवे स्टेशन रोड व बल्केश्वर रोड आदि स्थानों से अस्थायी अतिक्रमण हटाये जाते रहे हैं। उपरोक्त स्थानों पर अस्थायी रूप से ठेला, रिक्शा, खोमचे आदि लगाकर लोगों द्वारा सामान बेचा जाता है, जो अतिक्रमण अभियान के समय हटा दिये जाते हैं और पुन: अस्थायी रूप से लग जाते हैं, जिन्हें समय-समय पर हटाने की कार्यवाही की जाती है। तहबाजारी की परिधि में आने वालों से नियमानुसार तहबाजारी शुल्क लिया जाता है।]

जनपद गाजीपुर में सैकड़ों विद्यालयों के रजिस्ट्रेशन वर्ष 2004-2005 में कक्षा 9 व 11 के लिये रजिस्ट्रेशन फीस लेट जमा होने के कारण छात्र-छात्राओं को परीक्षा से वंचित किये जाने के सम्बन्ध में श्री बीजू पटनायक द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

जनपद गाजीपुर में सैकड़ों विद्यालयों के रजिस्ट्रेशन वर्ष 2004-2005 में कक्षा 9 व 11 के लिये रजिस्ट्रेशन फीस लेट जमा .....

संसदीय कार्य नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री अम्बिका चौधरी-

[होने के कारण छात्र छात्राओं को परीक्षा से वंचित किये जाने के सम्बन्ध में श्री बीजूपटनायक द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना के सम्बन्ध में जानकारी देनी है कि शासनादेश संख्या-2114/15-7-2(3)/98 दिनांक 27 जून, 2000 में यह व्यवस्था की गयी थी कि माध्यमिक शिक्षा परिषद् की हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए कक्षा 09 तथा 11 में अग्रिम पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा। वर्ष 2006 की हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट की परीक्षा में संस्थागत परीक्षार्थी के रूप में वही छात्र/छात्राएं सम्मिलित हो सकते हैं जिन्होंने कक्षा-09 तथा कक्षा-11 में अपना अग्रिम पंजीकरण कराया हो।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

वर्ष 2006 की हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट की परीक्षा के लिए शैक्षिक-सत्र 2004-05 में कक्षा-09 तथा कक्षा-11 में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को 31-10-2004 तक अग्रिम पंजीकरण करा लेना था। जनपद गाजीपुर में 224 माध्यमिक विद्यालय ऐसे हैं जिन्होंने शैक्षिक सत्र वर्ष 2004-05 में कक्षा-09 व कक्षा-11 में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं का अग्रिम पंजीकरण नहीं कराया गया था। ऐसी स्थिति में बिना पंजीकरण कराये इन विद्यालयों के छात्र/छात्राएं व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में ही वर्ष 2006 की हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट की परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं।

शिक्षा निदेशक (मा0)एवं सभापति, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ0 प्र0 लखनऊ के आदेश संख्या -शिविर/5195-294/2005-06 दिनांक 02-12-2005 द्वारा शैक्षिक सत्र वर्ष 2004-05 में अग्रिम पंजीकरण करने की तिथि 31-12-2004 से बढ़ाकर दिनांक 30-6-2005 कर दी गयी है। इसलिए गाजीपुर जनपद में 30-6-2005 तक अग्रिम पंजीकरण कराने वाले सभी छात्र/छात्राएं संस्थागत परीक्षार्थी के रूप में वर्ष 2006 की परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे। विभाग के निर्देशों के अनुरूप 30-6-2005 तक अग्रिम पंजीकरण न कराने वाली संस्थाओं की छात्र/छात्राएं व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में वर्ष 2006 की परीक्षा में सम्मिलित होंगे।]

जनपद सोनभद्र के मैदानी क्षेत्र में सिंचाई हेतु धधरौल बांध से घाघर मुख्य नहर की सफाई न किये जाने के सम्बन्ध में श्री परमेश्वर दयाल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

जनपद सोनभद्र के मैदानी क्षेत्र में सिंचाई हेतु धधरौल बांध से घाघर मुख्य नहर की सफाई न किये जाने के .....

संसदीय कार्य नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री अम्बिका चौधरी-

[सम्बन्ध में मा0 सदस्य, विधान सभा, श्री परमेश्वर दयाल द्वारा मा0 अध्यक्ष, विधान सभा को नियम-51 के अन्तर्गत यह सूचना दी गई है कि "जनपद सोनभद्र के मैदानी क्षेत्र में सिंचाई हेतु घधरौल बॉध से घाघर मुख्य नहर (जी0एम0सी0) बनायी गई है, जिसकी क्षमता दो हजार क्यूसेक है और सिंचन क्षमता 62000 हे0 भूमि की है, किन्तु विगत कई वर्षों से नहर की सिल्ट सफाई न होने से नहर पट गई है। साथ ही साथ नहर के अंदर तमाम झाड़ियां, पेड़-पौधे उग गए हैं। इसी कारण

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नहर मे एक हजार से बारह सौ क्यूसेक ही पानी छोड़ा जाता है। घाघर मुख्य नहर 41 कि0मी0 लम्बी है। आगे मडिहान ब्रांच के हेडपर एक हजार क्यूसेक पानी मिलना चाहिए, जो नहीं मिलता है। इस तरह रोस्टिंग करके पानी देना पड़ता है। जैसा कि ज्ञातव्य है कि सोन पम्प परियोजना घाघर मुख्य नहर को पानी देने के लिए निर्माण कराया गया था, जिसमें 12 पम्प लगाना प्रस्तावित था, किन्तु कुल 06 पम्प ही लगे हैं। एक पम्प की क्षमता 50 क्यूसेक की है। पम्प खराब होने के कारण सोन पम्प नहर कभी भी अपनी पूरी क्षमता 300 क्यूसेक पानी नहीं दी। सोन पम्प नहर के 06 पम्पों को ठीक कराने की योजना बनायी गई है, जो मुख्य अभियन्ता अग्रिम नियोजन के यहां परीक्षण में है।"

इस संबंध में विभाग से प्राप्त आख्या के आधार पर यह अवगत कराना है कि जनपद-सोनभद्र के मैदानी क्षेत्र में सिंचाई हेतु घघरौल बॉध का निर्माण वर्ष 1913-17 के मध्य हुआ था, जिसमें से घाघर मुख्य नहर बनाई गई है जिसकी परिकल्पित क्षमता 2000 क्यूसेक व प्रस्तावित सिंचन क्षमता 62 हजार हे0 है। घाघर मुख्य नहर से वर्तमान में 1200 क्यूसेक पानी ही सिंचाई हेतु दिया जा रहा है। घाघर मुख्य नहर 41.46 किमी0 लम्बी है। सामान्यतया पम्प कैनाल या जलाशयों से निकलने वाली नहरों में सिल्ट की मात्रा बहुत कम होती है। घाघर मुख्य नहर से निकलने वाली अल्पिका की सफाई वर्ष 2003-04 में हुई है, उसके बाद सफाई नहीं हुई है। जलाशय में पानी कम होने के कारण विगत वर्ष सफाई का कार्य नहीं कराया गया था। पानी की कम उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए रोस्टिंग करके पानी देने के लिए सोन पम्प नहर परियोजना बनाई गई है जिसमें चार चरण हैं। प्रत्येक चरण पर इस परियोजना के प्रथम एवं द्वितीय चरण में 12-12 पम्पों की स्थापना प्रस्तावित थी परन्तु दोनों चरणों में मात्र 60 क्यूसेक क्षमता के 6-6 पम्प स्थापित कर वर्ष 1984-85 में परियोजना प्रारम्भ की गई, जिनमें से एक-एक पम्प स्टैन्डबाई है। पम्पों के जीर्णशीर्ण होने के कारण माह जनवरी, 2002 से प्रथम एवं द्वितीय चरण पर 3-3 तथा तृतीय एवं चतुर्थ चरण पर 2-2 पम्पों का संचालन ही/हो पा रहा है। सोन पम्प नहर के चारों चरणों की पुर्नरोद्धार परियोजना तैयार की गई है जिसका उच्च स्तरीय तकनीकी परीक्षण प्रक्रियाधीन है।]

प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में हजारों रिक्त पदों पर बी0टी0सी0 प्रशिक्षित छात्रों की नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर बेसिक शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में हजारों रिक्त पदों पर बी0टी0सी0 प्रशिक्षित छात्रों की नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में .....

संसदीय कार्य नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री अम्बिका चौधरी-

[मा0 सदस्य द्वारा प्रश्नगत सूचना में यह उल्लेख किया गया है कि प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के कई हजार एद रिक्त हैं जिसके कारण इन विद्यालयों में पढ़ाई प्रभावित हो रही है। इसी को दृष्टि में रखकर वर्ष 2001 में 5600 छात्रों का बी0टी0सी0 परीक्षा में चयन हुआ था। इन छात्रों ने अपना प्रशिक्षण भी पूरा कर लिया, इनकी नियुक्ति करने हेतु शासन ने गत विधान सभा सत्र में आश्वासन भी दिया था। नियुक्ति करना तो दूर शासन ने 20 अक्टूबर, 05 को बी0टी0सी0 प्रवेश परीक्षा रद्द करने का शासनादेश जारी कर दिया। शासन के इस निर्णय से इन छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो गया है तथा इसमें घोर असंतोष एवं रोष व्याप्त है। मा0 सदस्य द्वारा यह भी कहा गया है कि शासन से अपने इस निर्णय पर पुर्नविचार करने का आग्रह है। 46189 रिक्त पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति करने हेतु शासन ने विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षण-2004 के अन्तर्गत अभ्यर्थियों का चयन किया तथा चयनित अभ्यर्थियों में से सफल 30658 अभ्यर्थियों की नियुक्ति भी लम्बित है। इस कारण विद्यालयों में पढ़ाई पूरी तरह बाधित हो रही है। शासन का ध्यान शिक्षकों के रिक्त पदों पर 2001 एवं 2004 में चयनित एवं प्रशिक्षित छात्रों से शीघ्र भरने का आग्रह है।

2- इस संबंध में अवगत कराना है कि बी0टी0सी0 2001 की प्रवेश परीक्षा निरस्त किये जाने के विरूद्ध मा0 उच्च-न्यायालय, इयलाहाबाद/खण्डपीठ लखनऊ में कतिपय रिट याचिकायें विचाराधीन हैं, जिनमें शासन की ओर से प्रतिशपथ-पत्र दाखिल किया जा चुका है। जहॉ तक विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षण-04 के अन्तर्गत सफल 30658 अभ्यर्थियों की नियुक्ति का प्रकरण है, यह उल्लेख करना है कि उक्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति के आदेश निर्गत किये गये थे, किन्तु कतिपय अभ्यर्थियों जिनमें विकलांग एवं महिला अभ्यर्थी सम्मिलित है, को दूरस्थ मण्डलों/जनपदों में तैनाती होने के फलस्वरूप होने वाली कठिनाइयों को संज्ञान में लेते हुए कार्यवाही स्थागित कर दी गयी थी, किन्तु अभ्यर्थियों की तैनाती हेतु अब संशोधित आदेश दि0 28-11-05 को निर्गत कर दिए गये हैं। विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षण-2004 में सफल अभ्यर्थियों की तैनाती दिसम्बर, 2005 तक कर ली जायेगी।]

महिला विद्यालय इण्टर कालेज अमीनाबाद, लखनऊ के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी स्व0 सुन्दर लाल की पत्नी को देय अवशेष धनराशि एवं परिवारिक पेंशन जारी कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अलगू प्रसाद चौहान द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

महिला विद्यालय इण्टर कालेज अमीनाबाद, लखनऊ के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी स्व0 सुन्दर लाल की पत्नी को देय अवशेष धनराशि .....

संसदीय कार्य नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री अम्बिका चौधरी-

[व पारिवारिक पेंशन स्वीकार न किये जाने सम्बन्धी सूचना इस संबंध में अवगत कराना है कि स्व0 श्री सुन्दर लाल, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, महिला विद्यालय इण्टर कालेज, लखनऊ की आश्रित पत्नी को विद्यालय में नियुक्ति प्रदान की जा चुकी है। स्व0 श्री लाल के सामूहिक बीमें का भुगतान इनकी पत्नी को कर दिया गया है।

इस संबंध में स्व0 श्री लाल के सामान्य भविष्य खाते में जमा धनराशि के संबंध में कतिपय आपत्तियों का निराकरण विद्यालय से कराया जा रहा है और इनकी पत्नी को पारिवारिक पेंशन प्रदान करने के संबंध में विद्यालय से तत्काल अभिलेख उपलब्ध कराने के निर्देश दे दिये गये हैं। सामान्य भविष्य निधि की आपत्तियों के निराकरण होने एवं पारिवारिक पेंशन के सभी अभिलेख विद्यालय से उपलब्ध होने पर उक्त से संबंधित अवशेष धनराशि तत्काल नियमानुसार भुगतान करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।]

जनपद गौतम बुद्ध नगर के नोयडा में प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा आबादी की भूमि छोड़कर किसानों की भूमि अधिग्रहण करने के सम्बन्ध में श्री मदन चौहान द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

जनपद गौतम बुद्ध नगर के नोयडा में प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा आबादी की भूमि छोड़कर किसानों की भूमि का .....

संसदीय कार्य नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री अम्बिका चौधरी-

[अधिग्रहण विषयक मा0 विधायक जी के पत्र में नोएडा व ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा पुरानी आबादी को अधिग्रहण में लिये जाने का वर्णन किया गया है। प्राधिकरण द्वारा सुनियोजित औद्योगिक विकास के उद्देश्य हेतु भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही भूमि अध्याप्ति अधिनियम, 1894 के प्राविधानों के अनुरूप संबंधित कलेक्टर के माध्यम से की जाती है। भूमि अर्जन की कार्यवाही के अन्तर्गत भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा-4/17 के प्रकाशन के समय अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का खसरा व सर्वेक्षण प्राधिकरण व अपर जिलाधिकारी (भू0अ0) कार्यालय के नामित कर्मचारियों के द्वारा विस्तृत संयुक्त सर्वेक्षण कराया जाता है। सर्वेक्षण के आधार पर शासन के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अन्तर्गत आवासीय व अन्य सघन निर्माण वाला क्षेत्र, धार्मिक स्थलों, शमशान एवं सार्वजनिक उपयोग की भूमि को छोड़कर ही भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही प्रस्तावित की जाती है। कतिपय खसरा नम्बरान ऐसे भी

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

होते हैं जो बन्दोबस्ती आबादी से काफी दूर पड़ने तथा जिन पर छितरे रूप से कहीं-कहीं निर्माण बने होते हैं ऐसे खसरा नम्बरान छितरे होने, नियोजन के मध्य पड़ने के कारण यदि अपरिहार्य होने के कारण इनका अर्जन किया भी जाता है तो जितने भाग पर निर्माण बना है, उतना क्षेत्रफल 5 प्रतिशत आबादी आवंटन के समय अतिरिक्त रूप में समायोजित कर उपलब्ध कराया जाता है। आबादी के संबंध में निर्णायक अभिलेख के रूप में राजस्व अभिलेखों में दर्ज आबादी भूमि अथवा प्राधिकरण की अनुमति से किया गया निर्माण या आबादी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत होने वाले निर्माण आते हैं। निर्माण यदि अर्जित भूमि पर अथवा अवैध (विज्ञापित अनुमति के बिना) होता है तो उसके नियमानुसार ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जाती है।

उक्त के अतिरिक्त यह भी ज्ञातव्य है कि प्राधिकरण द्वारा एक सुस्पष्ट पुनर्वास नीति भी अपनाई जा रही है। ग्राम के मूल काश्तकारों को प्रतिकर के अतिरिक्त 15 प्रतिशत पुनर्वास बोनस प्रदान किया जाता है तथा अर्जित क्षेत्रफल का 5 प्रतिशत क्षेत्रफल विकसित करके आबादी, पुनर्वास हेतु आवंटित किया जाता है। प्राधिकारण के अधिसूचित क्षेत्र के ग्रामों में प्राय: यह प्रवृत्ति भी बढ़ती जा रहीं है कि जैसे ही किसी ग्राम में अर्जन प्रक्रिया प्रारम्भ की जाती है तो बड़ी संख्या में कृषि भूमि पर चहारदीवारी व निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया जाता है तथा इसे आबादी बनाकर अर्जन से पृथक करने हेतु अनावश्यक प्रयास भी करते हैं। यदि ऐसी भूमि को अर्जन से पृथक किया जाता है तो इससे अवैध निर्माण को बढ़ावा मिलेगा।

प्राधिकरण द्वारा आबादी वाली भूमि को छोड़कर ही केवल कृषि भूमि का अर्जन किया जाता है। जहां तक भविष्य में मौके पर आबादी छोड़कर अर्जन किये जाने का प्रश्न है, इस संबंध में अवगत कराना है कि अर्जन प्रस्ताव स्थल निरीक्षण के उपरान्त वास्तविक आबादी भूमि को छोड़कर भेजे जाते हैं, जिनका परीक्षण कलेक्टर द्वारा करने के उपरान्त प्रस्ताव धारा-4/17 की विज्ञप्ति जारी किये जाने हेतु उत्तर प्रदेश शासन को प्राप्त होते हैं।]

नई चीनी उद्योग प्रोत्साहन नीति, 2004 में संशोधन करते हुए 500 करोड़ एवं 300 करोड़ रूपये के निवेश के प्रतिबन्ध को समाप्त करके नई चीनी मिल को विशेष प्रोत्साहन छूट दिये जाने विषयक दिनांक 24 नवम्बर, 2005 की कार्य सूची में नत्थी 'क' के तारांकित प्रश्न संख्या-2 के सम्बन्ध में श्री हुकुम सिंह द्वारा दी गयी सूचना पर नियम 5 के अन्तर्गत आधे घन्टे की चर्चा का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-40 स्थागित है और मद संख्या-13 भी स्थागित है।

अब हम उठते हैं, कल दिनांक 09-12-2005 को 11.00 बजे फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 12 बजकर 48 मिनट पर / अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ :

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

दिनांक 8 दिसम्बर, 2005

नत्थी 'क'

(देखिये अता0 प्र0 सं0 -55 का उत्तर पीछे पृष्ठ 29 पर)

जनपद चित्रकूट

विधान सभा के तृतीय सत्र, 2005 के दूसरे गुरूवार हेतु निर्धारित श्री आर0के0 सिंह पटेल, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-55 के उत्तर की संलग्नक सूची :-

(रू0 लाख में)

क्रमांक	परियोजना का नाम	कार्यदायी संस्था का नाम	स्वीकृत धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5
1	ग्राम कपना में श्री मिठाई लाल पटेल के मकान से नादी रोड तक कर्वी विमल पटेल के अन्दर कुँआ तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण 0.180 कि0मी0	लोक निर्माण विभाग	2.920	2.190
2	ग्राम बछरन (ब्लाक पहाड़ी) वर्ष 1999- 2000 में चयनित अम्बेडकर ग्राम में 11000 वोल्ट की विद्युत लाइन को मजरा गोराकोनी तक बीच में धरमपाल के गहरे नल कूप के पास 25 के0वी0ए0 का एक ट्रान्स-फारमर सहित विद्युत विस्तारीकरण	विद्युत कारपोरेशन	2.240	1.680
3	ग्राम बसिला में बरात घर का निर्माण	उ0प्र0 सहकारी निर्माण एवं विकास लि0 इलाहाबाद	4.870	3.650
4	ग्राम रगौली में खेल के मैदान की चारदीवारी का निर्माण	उ0प्र0 सहकारी निर्माण एवं विकास लि0 इलाहाबाद	9.740	7.300
5	ग्राम बसिला में दाईयाव पुरवा से नहर पटरी होते हुये गढढूपुरवा तक ईंट खडन्जा निर्माण लं0 0.780 किमी	उ0प्र0 सहकारी निर्माण एवं विकास लि0 इलाहाबाद	4.480	3.360
6	ग्राम सरधुवा में एस0सी0 बस्ती में बारात घर का निर्माण	उ0प्र0 सहकारी निर्माण एवं विकास लि0 इलाहाबाद	1.470	1.100
7	ग्राम बरद्वारा में अनु0 जा0 बस्ती में बारात घर का निर्माण	उ0प्र0 सहकारी निर्माण एवं विकास लि0 इलाहाबाद	1.470	1.100

जनपद चित्रकूट

8	ग्राम नैनी में अनु0 जा0 बस्ती में बारात घर का निर्माण	उ0प्र0 सहकारी निर्माण एवं विक्रय लि0 इलाहाबाद	1.470	1.100
9	ग्राम पथरोड़ी में बारात घर का निर्माण	उ0प्र0 सहकारी निर्माण एवं विक्रय लि0 इलाहाबाद	1.470	1.100
10	ग्राम गौहानी कला में अनु0जा0 बस्ती में बारात घर का निर्माण	उ0प्र0 सहकारी निर्माण एवं विक्रय लि0 इलाहाबाद	1.470	1.100
11	ग्राम तीर घुमाई के नहर पुरवा में बारात घर का निर्माण	उ0प्र0 सहकारी निर्माण एवं विक्रय लि0 इलाहाबाद	1.470	1.100
12	ग्राम अर्की में करौदिहाई पुरवा में बारात घर का निर्माण	उ0प्र0 सहकारी निर्माण एवं विक्रय लि0 इलाहाबाद	1.470	1.100
13	ग्राम नहरा में अनु0जा0 बस्ती में बारात घर का निर्माण	उ0प्र0 सहकारी निर्माण एवं विक्रय लि0 इलाहाबाद	1.470	1.100
14	ग्राम इटखरी में एस0सी0 बस्ती में बारात घर का निर्माण	उ0प्र0 सहकारी निर्माण एवं विक्रय लि0 इलाहाबाद	1.470	1.100
15	ग्राम रगौली में बारात घर का निर्माण	उ0प्र0 सहकारी निर्माण एवं विक्रय लि0 इलाहाबाद	6.320	4.740
16	ग्राम पुरवा तरौहा में बारात घर का निर्माण	उ0प्र0 सहकारी निर्माण एवं विक्रय लि0 इलाहाबाद	1.470	1.100
17	ग्राम कर्वी माफी में सी0सी0 रोड का निर्माण लं0 0.080 किमी0	उ0प्र0 सहकारी निर्माण एवं विक्रय लि0 इलाहाबाद	0.960	0.960

जनपद चित्रकूट

18	ग्राम ठर्री में सी0सी0 रोड का निर्माण लं0 0.090 किमी0	उ0प्र0 सहकारी निर्माण एवं विक्रय लि0 इलाहाबाद	1.000	0.750
19	ग्राम बाबूपुर में सड़क से ललनपुरवा तक खडन्जा निर्माण लं0 0.200 किमी0	उ0प्र0 सहकारी निर्माण एवं विक्रय लि0 इलाहाबाद	1.400	1.050
20	ग्राम मुकन्दपुर में बहराई पुरवा में अनु0जा0 बस्ती में सी0सी0 रोड का निर्माण लं0 0.080 किमी0	उ0प्र0 सहकारी निर्माण एवं विक्रय लि0 इलाहाबाद	1.000	0.750
21	ग्राम नोनार में अनु0जा0 बस्ती के बीच पक्का नाला निर्माण व नाला पटाई कार्य लं0 0.100 किमी0	उ0प्र0 सहकारी निर्माण एवं विक्रय लि0 इलाहाबाद	2.360	1.770
22	नई दुनिया बनकट में आर0सी0 वर्मा के घर से पुरवा मार्ग तक सी0सी0 रोड लं0 0.240 किमी0	उ0प्र0 सहकारी निर्माण एवं विक्रय लि0 इलाहाबाद	2.840	2.130
23	ग्राम बिहरवा में अनु0जा0 बस्ती में सी0सी0 रोड 100 मी0 लं0 0.080 किमी0	उ0प्र0 सहकारी निर्माण एवं विक्रय लि0 इलाहाबाद	1.000	0.750
24	ग्राम दरसेड़ा के अनु0जा0 बस्ती में खडन्जा निर्माण लं0 0.140 किमी0	उ0प्र0 सहकारी निर्माण एवं विक्रय लि0 इलाहाबाद	0.920	0.920
25	ग्राम अतरौली में अनु0जा0 बस्ती में सड़क तक खडन्जा निर्माण लं0 0.137 किमी0	उ0प्र0 सहकारी निर्माण एवं विक्रय लि0 इलाहाबाद	1.000	0.750
26	चकरेही रोड में बाबूलाल के घर के पास से जुग्गी लाल जायसवाल प्रधान बारामाफी के घर के पास तक सी0सी0 रोड मि0 लं0 0.140 किमी0	उ0प्र0 सहकारी निर्माण एवं विक्रय लि0 इलाहाबाद	1.500	1.120
27	शिवरामपुर में स्टेशन रोड तक सी0सी0 रोड निर्माण	उ0प्र0 सहकारी निर्माण एवं विक्रय लि0 इलाहाबाद	2.940	2.200

जनपद चित्रकूट

28	ग्राम धुरेटनपुर में अनु0 बस्ती में खड़न्जा निर्माण लं0 0.161 किमी0	उ0प्र0 सहकारी निर्माण एवं विक्रय लि0 इलाहाबाद	0.910	0.910
29	ग्राम ममसी में बसन्तपुर में नहर पटरी से शिवकली कुशवाहा के घर तक खड़न्जा निर्माण लं0 0.137 किमी0	उ0प्र0 सहकारी निर्माण एवं विक्रय लि0 इलाहाबाद	0.940	0.940
30	ग्राम भानपुर में अनु बस्ती में नाली निर्माण लं0 0.129 किमी0	उ0प्र0 सहकारी निर्माण एवं विक्रय लि0 इलाहाबाद	1.000	0.750
31	ग्राम कसहाई कुन्जन पुरवा में सड़क के किनारे नाली निर्माण लं0 0.129 किमी0	उ0प्र0 सहकारी निर्माण एवं विक्रय लि0 इलाहाबाद	1.000	0.750
32	ग्राम पैकोरा से नहर पटरी तक सम्पर्क मार्ग निर्माण (शून्य से लेपन स्तर तक) लं0 1.00 किमी0	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा बाँदा	9.590	7.190
33	ग्राम पहाड़ी में राजेन्द्र कुशवाहा के घर से बरगड़ के प्लाट तक सी0सी0 रोड निर्माण लं0 0.060 किमी0	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा बाँदा	0.730	0.730
34	ग्राम मऊ में पर्दवॉ मार्ग से जमुना रोड तक सी0सी0 रोड का निर्माण लं0 0.650 किमी0	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा बाँदा	8.950	6.710
35	तांडी सम्पर्क मार्ग से चकअलइया में मेडिया का डेरा मोड का स0मा0लं0 0.900 किमी0	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा बाँदा	9.780	7.330
36	राष्ट्रीय राजमार्ग से ग्राम मटियारा सम्पर्क मार्ग का निर्माण लं0 1.00 किमी0	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा बाँदा	9.780	7.330
37	ग्राम नांदिन कुर्मियान में सूरजभान के घर के पास से पुरवा तालाब तक सी0सी0 रोड व नाले निर्माण लं0 0395 किमी0	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा बाँदा	9.990	7.490
38	ग्राम पंचायत चरदहा के नरही नाला में चेक डेम निर्माण	यूनीसेफ जल निगम चित्रकूट	9.690	7.260

जनपद चित्रकूट

39	ग्राम पंचायत रैपुरा के झुरहा नाले में चेक डैम निर्माण	यूनीसेफ जल निगम चित्रकूट	9.740	7.310
40	रौली कल्यानपुर के केदार गौतम के घर से मुख्य मार्ग तक सी0सी0 रोड लं0 0.180 किमी	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा बॉदा	2.160	1.620
41	शम्भू सिंह नन्देल के घर से अकबरपुर लिंक रोड तक सी0सी0 रोड निर्माण लं0 0.110 किमी	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा बॉदा	1.340	1.000
42	ग्राम छीबो में मुरका सड़क से गोस्वामी तुलसीदास इण्टर कालेज तक मिथलेश कुमार पाण्डेय के मकान तक सी0सी0 रोड का निर्माण लं0 0.865 किमी	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा बॉदा	10.000	7.500

(एच0एन0पी0 कुशवाहा)
अनु सचिव

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी0एस0यू0पी0-एल0 391 विधान सभा (613)-20-3-2006-813 प्रतियां (कम्प्यूटर)।